श्रीकृष्ण और मध्यस्ता

वी. के. आहूजा

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
और न्यायिक अकादमी, असम

2023

श्रीकृष्ण और मध्यस्ता

प्रोफेसर (डॉ.) वी. के. आहूजा
कुलपति
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और
न्यायिक अकादमी, असम
वरिष्ठ प्राध्यापक
विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
और न्यायिक अकादमी
हाजो रोड, आमिनगाँव, कामरूप
गुवाहाटी - 781031
असम
2023

शीर्षक वर्सो पृष्ठ

शीर्षक: श्रीकृष्ण और मध्यस्थता

लेखक : प्रोफेसर (डॉ.) वी. के. आहूजा

प्रथम संस्करण

प्रकाशन का वर्ष: 2023

© प्रोफेसर (डॉ.) वी. के. आहूजा

प्रकाशक:

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और
न्यायिक अकादमी, असम
हाजो रोड, आमिनगाँव, जिला कामरूप
गुवाहाटी - 781031

आईएसबीएन: 978-81-954276-7-3

डिजिट्स एंटरप्राइज़, गुवाहाटी द्वारा प्रकाशित

यह पुस्तक केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए निःशुल्क संस्करण है।

परम देवत्व
भगवान श्रीकृष्ण
को समर्पित

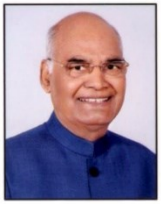

सत्यमेव जयते

Ram Nath Kovind

FORMER PRESIDENT OF INDIA

29 मार्च, 2023

संदेश

समय के साथ साथ सभी न्यायालों में वादों की लंबितता कई गुना बढ़ गई है। ऐसे में समय पर न्याय प्रदान करने के लिए मध्यस्थता की प्रासंगिकता बहुत अधिक बढ़ गई है। प्रो. वी.के. आहूजा द्वारा किया गया प्रयास जिसमे उन्होंने अपनी पुस्तक "श्रीकृष्ण और मध्यस्थता" में मध्यस्थता के बारे में प्राचीन ज्ञान का विवरण दिया है, प्रशंसा के लायक़ है।

भगवान श्रीकृष्ण ने राजनीति, युद्ध, आत्मा की मुक्ति और मध्यस्थता सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या की है। यह पुस्तक भगवान श्रीकृष्ण के व्यावहारिक ज्ञान का आह्वान करने का प्रयास करती है ताकि मध्यस्थता को न्याय के प्रभावी तरीक़े के रूप में पुनर्स्थापित किया जा सके।

प्रो. आहूजा की पुस्तक हमें प्राचीन भारतीय मूल्यों की ओर वापस ले जाती है और आधुनिक संदर्भ में उसी की प्रासंगिकता की पुष्टि करती है, जिससे पुरातनता और भावी पीढ़ी के बीच संबंध पर ध्यान दिया जा सके। यह पुस्तक अनेक प्रकार

से पुराने समय के मूल्यों का पुनर्कथन है, जिसकी आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिकता अनेक विचारकों ने प्रतिध्वनित की है। मुझे आशा है कि कानून के मध्यस्थता सिद्धांत पर साहित्य में यह पुस्तक एक उपयोगी वृद्धि होगी।

मैं प्रो. वी.के. आहूजा को इतना समृद्ध प्रकाशन लाने के लिए बधाई देता हूं और उनके सभी विद्वतापूर्ण प्रयासों के लिए उनकी सफलता की कामना करता हूं।

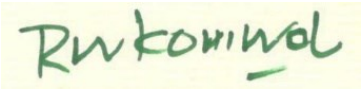

राम नाथ कोविंद

Hrishikesh Roy
Judge
Supreme Court of India

6, Tughlak Road,
New Delhi-110 011
Tel. : 011-23793479

संदेश

जिस तरह प्रो. (डॉ.) वी. के. आहूजा ने भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षाओं और ज्ञान को मध्यस्थता प्रक्रिया में एकीकृत किया है वह बहुत ही अभिनव है। भगवद गीता के श्लोकों, पवित्र शास्त्रों से कविताओं और दृष्टांतों का उपयोग पाठकों को बांधे रखता है और मध्यस्थता में करुणा, आत्म-जागरूकता और वैराग्य के महत्व को निर्बाध रूप से व्यक्त करता है। मैं उन्हें मध्यस्थता के संबंध में एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण लाने और न्यायशास्त्र और आध्यात्मिकता के बीच एक सतत संवाद बनाने के लिए न्यायिक घोषणाओं के महत्व पर ध्यान देने के लिए बधाई देता हूं। मध्यस्थता के अभ्यास या भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षाओं में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इस पुस्तक से न केवल ज्ञान के मोतियों की प्राप्ति होगी बल्कि अधिक शांति और आत्म समझ की आध्यात्मिक यात्रा में भी लाभ होगा।

(ऋषीकेश रॉय)

1 मार्च 2023
नयी दिल्ली

Justice Ujjal Bhuyan
Judge, Supreme Court of India

Flat No: A-6, Tower A-1,
Deen Dayal Upadhyay Marg,
New Delhi - 110001
Landline : 01123210071

अग्रशब्द

प्रोफेसर (डॉ.) वी.के. आहूजा, एक मृदुभाषी और सज्जन शिक्षक, वर्तमान में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और न्यायिक अकादमी, असम के कुलपति होने के अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में वरिष्ठ प्रोफेसर हैं।

उन्होंने कृष्णा और मध्यस्थता नामक पुस्तक लिखी है। पाण्डुलिपि को पढ़ने पर मुझे पता चला कि उन्होंने इस पुस्तक को बड़ी श्रद्धा और दृढ़ विश्वास के साथ लिखा है।

मध्यस्थता वैकल्पिक विवाद समाधान के तरीकों में से एक है। ऐसा नहीं है कि सिविल प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियम, 1999 के माध्यम से नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 में धारा 89 को सम्मिलित करने के साथ ही वैकल्पिक विवाद समाधान या मध्यस्थता ने देश के न्यायिक परिदृश्य में प्रवेश किया है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 ने विवाद समाधान के इस पारंपरिक तरीके को केवल वैधानिक मान्यता दी है। परिवार के बुजुर्गों या गांव के बुजुर्गों या समुदाय के बुजुर्गों के हस्तक्षेप पर विवाद का निपटारा हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति में शामिल है।

असम में भक्ति आंदोलन मूल रूप से भगवान श्रीकृष्ण या भगवान विष्णु के अवतारों के प्रति निर्विवाद श्रद्धा दिखा रहा है।

ऐसी भक्ति के सहायक के रूप में नामघर नामक एक महत्वपूर्ण संस्था वस्तुतः ब्रह्मपुत्र घाटी के हर गाँव में आ गई है जहाँ महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव के नेतृत्व वाले भक्ति आंदोलन का प्रभाव ज्यादातर महसूस किया जाता है। नामघर केवल प्रार्थना या धार्मिक प्रवचन के केंद्र ही नहीं हैं, बल्कि भक्ति के विषय पर केंद्रित नाटकीय प्रस्तुतियाँ करने का स्थान भी है, जिसे भाओना कहा जाता है। इसके अलावा, ये ऐसे स्थानों के रूप में भी उभरे हैं जहाँ गाँव के बुजुर्ग या समुदाय के बुजुर्ग व्यक्तिगत और सामुदायिक विवादों पर चर्चा करने और उन्हें हल करने के लिए एक साथ बैठते हैं।

मध्यस्थता विवाद समाधान के प्रभावी माध्यम के रूप में उभरी है। यह एक स्वैच्छिक, सहकारी प्रक्रिया है जिसमें एक निष्पक्ष और तटस्थ मध्यस्थ विवादित पक्षों को समझौते तक पहुंचने में मदद करता है। यह एक समझौता प्रक्रिया है जो अनौपचारिक है जिसमे विवादित पक्ष अपने विवादों को सुलझा सकते हैं और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समझौते पर पहुंच सकते हैं। यह विवादित पक्षों को लचीलेपन, नियंत्रण और भागीदारी की अनुमति देता है। हालांकि मध्यस्थ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन उसकी भूमिका एक सहजकर्ता की होती है। मध्यस्थ एक निष्पक्ष और तटस्थ तीसरा व्यक्ति होना चाहिए। वह विवाद के समाधान में सहजता लाता है, परंतु वह सुझाव नहीं देता कि समाधान क्या होना चाहिए। मध्यस्थ समाधान थोपता नहीं है बल्कि एक अनुकूल वातावरण बनाता है जिसमें विवादित

पक्ष अपने विवादों को हल कर सकते हैं। इस प्रकार मध्यस्थता एक लचीली प्रक्रिया है और यह पार्टी की स्वायत्तता में हस्तक्षेप नहीं करती है; बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पार्टी की स्वायत्तता का सम्मान करती है।

मध्यस्थता मुकदमेबाजी या पंचाट की तुलना में विवादों को हल करने का कहीं अधिक संतोषजनक तरीका है। हालाँकि, सामान्य तौर पर एक गलत धारणा है कि मध्यस्थता केवल वैवाहिक या पारिवारिक विवादों के समाधान के लिए उपयुक्त है। जैसा कि एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाम चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन,[1] में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मध्यस्थता केवल अंतर-व्यक्तिगत या पारिवारिक विवादों तक ही सीमित नहीं है। सिविल प्रकृति के सभी विवाद, चाहे वह व्यापार, वाणिज्य और अनुबंध से संबंधित हों, मध्यस्थता के माध्यम से विवाद समाधान के लिए उपयुक्त हैं।

आंकड़े बताते हैं कि देश में विवाद समाधान के तरीकों के रूप में मध्यस्थता का प्रयोग काफी असमान है। जबकि कुछ केंद्रों में, मध्यस्थता ने उचित सफलता के साथ मजबूत जड़ें जमा ली हैं, परन्तु इसे अभी भी देश के अन्य हिस्सों में पूरी तरह से समर्थन मिलना और अपनाया जाना बाकी है।

चूंकि हमारे न्यायालय मुकदमों से भरे जा रहे हैं और पंचाट अधिक से अधिक महंगा होता जा रहा है, इसलिए यह आवश्यक

---

[1] (2010) 8 SCC 24.

है कि सभी हितधारक विवाद समाधान की मध्यस्थता पद्धति को अपनाएं और लागू करें।

हालांकि अब्राहम लिंकन ने बहुत पहले कहा था: मुकदमेबाजी को हतोत्साहित करें; जहाँ भी आप कर सकते हैं अपने पड़ोसियों को समझौता करने के लिए राजी करें; हालाँकि, वास्तविकता यह है कि विवाद अपरिहार्य हैं, ज़्यादातर तब जब समाज अधिक से अधिक जटिल होता जा रहा है।

जैसा कि हम मुकदमेबाजी की प्रतिकूल प्रणाली में अत्यधिक लीन हैं, मध्यस्थता के माध्यम से निपटान संस्कृति को अपनाने के लिए बीच में गियर को स्थान्तरित करना मुश्किल है। इसलिए यह आवश्यक है कि विधि के छात्रों और युवा वकीलों के बीच एक समझौता संस्कृति विकसित की जाए और इसकी शुरुआत विधि महाविद्यालयों से ही होनी चाहिए। विधि के पेशे में जबरदस्त बदलाव आया है और चलन के अनुसार इसमें और बदलाव आने की संभावना है। एक वकील अपने मुवक्किल का केवल सशुल्क प्रवक्ता ही नहीं होता। वकील की भूमिका एक शांतिकर्ता के रूप में देखी जानी चाहिए, इस प्रकार वह वास्तव में अदालत का एक अधिकारी हो जाता है। जैसा कि अब्राहम लिंकन कहा करते थे, एक शांतिकर्ता के रूप में वकील के पास एक अच्छा आदमी होने का बेहतर अवसर होता है; वहां अभी भी काफ़ी व्यापार होगा; पेशे में एक नैतिक स्वर डाला जाना चाहिए।

शांतिकर्ता के रूप में वकीलों के बारे में, महात्मा गांधी ने कहा था कि एक वकील का असली काम बंटे हुए पक्षों को एकजुट करना है। उन्होंने कहा था कि एक वकील के रूप में उनके बीस वर्षों के पेशे का एक बड़ा हिस्सा सैकड़ों मामलों के निजी समझौते कराने में लगा था, जिससे उन्होंने कुछ भी नहीं खोया, पैसा भी नहीं और "निश्चित रूप से मेरी आत्मा भी नहीं", जैसा कि उन्होंने कहा था।

मुझे विश्वास है कि श्रीकृष्ण और मध्यस्थता, मध्यस्थता न्यायशास्त्र के साहित्य में एक उपयोगी वृद्धि होगी।

मैं प्रोफेसर आहूजा को उनके श्रमसाध्य प्रयासों के लिए बधाई देता हूं और उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

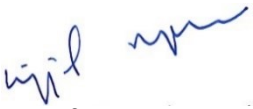

(न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां)

01 अक्टूबर, 2023
नयी दिल्ली

SANDEEP MEHTA
CHIEF JUSTICE

GAUHATI HIGH COURT
(High Court of Assam, Nagaland, Mizoram and Arunachal Pradesh)
GUWAHATI - 781001 ASSAM
0361-2735866 / 2735877 (O)
2735955 (FAX)
e-mail : hcjsecretariat@yahoo.in

15 मार्च, 2023

संदेश

मुझे प्रो. (डॉ.) वी.के. आहूजा की पुस्तक "कृष्णा और मध्यस्थता" के लिए लिखते हुए प्रसन्नता हो रही है। मैं लेखक को इस शानदार लेखन के लिए बधाई देना चाहता हूं जिसमे उन्होंने अति प्राचीन काल से लेकर आज तक विवादों या संघर्षों को निपटाने में मध्यस्थता की भूमिका पर जोर दिया है।

संघर्ष या विवाद मानव समाज में हमेशा मौजूद रहने वाली सामाजिक प्रक्रिया है। विवाद समाधान के लिए एक तरीके के रूप में मध्यस्थता की अवधारणा भारतीय लोकाचार में गहराई से निहित है, और इसका उपयोग किसी की कल्पना से कहीं अधिक लंबे समय से किया जा रहा है।

श्रीमद् भगवद गीता और महाभारत जैसे हिंदू साहित्य के स्मरणार्थक टुकड़ों में, पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष को हल करने के लिए एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले भगवान श्रीकृष्ण के कई किस्से मिल सकते हैं। महाकाव्य महाभारत के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण ने दोनों पक्षों के बीच शांति बनाए रखने के अपने प्रयास में साम, दाम, दंड और भेद जैसी सभी मध्यस्थता कौशल का इस्तेमाल किया। प्रत्यक्ष रूप से न सही,

लेकिन कानूनी या न्यायिक प्रणाली में मध्यस्थता की अवधारणा ने इतिहास में अपनी जड़ें पाई हैं।

बढ़ती संख्या और मामलों की लंबितता, अदालतों पर बढ़ते बोझ के साथ, मध्यस्थता भारतीय न्याय व्यवस्था में लोकप्रियता प्राप्त कर रही है। हाल ही के वर्षों में, एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता को इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए काफी प्रोत्साहन मिला है। देश भर में समय-समय पर मध्यस्थों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कई चर्चाएँ, सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

सभी पाठकों के लाभ के लिए इस तरह के एक महत्वपूर्ण विषय को तथा इसकी ऐतिहासिक उत्पत्ति को एक स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करने के लिए मैं लेखक के सराहनीय प्रयास के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक विभिन्न वर्गों के पाठकों का व्यापक ध्यान आकर्षित करेगी।

मैं पुस्तक की अपार सफलता की कामना करता हूँ।

(संदीप मेहता)

Suman Shyam
Judge, Gauhati High Court

GAUHATI HIGH COURT
Guwahatil - 781001, Assam
sumanshyam.2000@gmail.com
Mobile : 94353-75158

अग्रशब्द

प्रो. (डॉ.) वी.के. आहूजा से मेरा परिचय लगभग उस दिन से है जब उन्होंने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और न्यायिक अकादमी, असम के कुलपति का पदभार संभाला था। विधि विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में, मुझे कई मौकों पर प्रो. (डॉ.) वी.के. आहूजा के साथ बातचीत करने का सौभाग्य मिला है और मैंने पाया कि वह न केवल एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, बल्कि अपने काम पर भी बेहद ध्यान केंद्रित करते हैं।

प्रो. (डॉ.) आहूजा का असाधारण विद्वतापूर्ण गुणों के साथ एक शानदार शैक्षणिक करियर रहा है। उनके नाम में कई महत्वपूर्ण प्रकाशन हैं, जिनमें "बौद्धिक संपदा अधिकार" और "अंतर्राष्ट्रीय कानून" पर पुस्तकें शामिल हैं। मैंने पाया है कि उनकी सभी पुस्तकें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की प्रकाशन कंपनियों, जैसे लेक्सिस नेक्सिस द्वारा प्रकाशित की गई है और विधि के छात्रों द्वारा बहुत पसंद की गई हैं।

गौहाटी उच्च न्यायालय मध्यस्थता समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए, मुझे मध्यस्थों और रेफरल न्यायाधीशों के

लिए आयोजित किए गये कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने का अवसर मिला। मैं संभावित मध्यस्थों द्वारा मध्यस्थता को करियर विकल्प के रूप में लेने के लिए दिखाई गई गहरी दिलचस्पी से बहुत प्रभावित हुआ। उस समय मैंने वैकल्पिक विवाद समाधान के एक बहुत प्रभावी माध्यम के रूप में मध्यस्थता की क्षमता और भविष्य के लिए इसके वायदे को महसूस किया।

"श्रीकृष्ण और मध्यस्थता" पुस्तक मध्यस्थता की उत्पत्ति का एक विचारशील विवरण देती हैं, जिसे महान भारतीय महाकाव्यों, रामायण और महाभारत और उससे पहले भी खोजा जा सकता है। द्वारपुर युग में, भगवान श्रीकृष्ण, सर्वोच्च देव ने कुरुक्षेत्र युद्ध को टालने के लिए स्वयं कौरवों और पांडवों के बीच मध्यस्थता की थी, लेकिन राजा धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की हठ के कारण प्रक्रिया विफल हो गई। पुस्तक में मध्यस्थ के रूप में भगवान श्रीकृष्ण की भूमिका को विद्तापूर्वक चित्रित किया गया है। मुझे लगता है कि गीता के श्लोकों के अंशों के साथ-साथ पुस्तक में कहानियों, कविताओं और "धर्म" के सिद्धांतों की व्याख्या वर्तमान समय के संदर्भ में भी प्रासंगिक है और इसने पुस्तक को बहुत समृद्ध किया है।

आधुनिक समाज में संघर्षों और विवादों की संख्या में वृद्धि और मुकदमों की बढ़ती संख्या के साथ, मध्यस्थता जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) प्रणाली दुनिया भर में लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं। भारतीय न्यायालय आज मुकदमों से भरे हुए हैं। विवाद

निवारण के अन्य वैकल्पिक तरीके जैसे पंचाट इसमें शामिल कानूनी प्रक्रिया की कठोरता के कारण अप्रभावी साबित हो रहे है। इन परिस्थितियों में, मध्यस्थता तेजी से विवाद निवारण का पसंदीदा वैकल्पिक तरीका बनती जा रही है। अपने विविध लाभों के कारण मध्यस्थता जनता के बीच तीव्र गति से स्वीकार्यता प्राप्त कर रही है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में विवाद के समाधान में मध्यस्थता की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मेडिएशन रेजोल्यूशन इंटरनेशनल, एलएलसी के संस्थापक जोसेफ ग्रिनबाम के शब्दों में, "मध्यस्थता का एक औंस विवाचन के पाउंड और मुकदमेबाजी के टन के समतुल्य है"।

उपरोक्त संदर्भ में मुझे लगता है कि लेखक का प्रयास वास्तव में सराहनीय है। यह पुस्तक न केवल मध्यस्थता के क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए, बल्कि सामान्य रूप से जनता को मध्यस्थता प्रक्रिया की बारीकियों को समझने में और यह जानने में मदद करेगी कि किस तरह मध्यस्थता द्वारा विवाद को हल करने का अवसर प्रदान करने के साथ साथ समाज में शांति को बढ़ावा दिया जाता है।

मैं न्यायाधीशों, वकीलों, मध्यस्थों और सामान्य रूप से जनता को "कृष्णा और मध्यस्थता" पुस्तक की सिफारिश करता हूं, जो कि मेरी राय में, उत्कृष्ट पठन सामग्री है।

श्री सुमन श्याम
न्यायाधीश, गौहाटी उच्च न्यायालय

Prof. (Dr.) Upendra Baxi University of Warwick
Emeritus Professor of Law University of Delhi

अग्रशब्द

प्रोफेसर (डॉ.) वीरेन्द्र आहूजा ने मध्यस्थता पर एक बुद्धिमान और विचारोत्तेजक पुस्तक लिखी है, जिसे वे उत्कृष्ट प्राचीन हिंदू विधि और न्यायशास्त्र और भगवान श्रीकृष्ण से जोड़ते हैं। पुस्तक भगवान श्रीकृष्ण और मध्यस्थता के बारे में है न कि मध्यस्थता के कानून और नीति के बारे में; हालाँकि विद्वान लेखक उसे भी अच्छी तरह से जानता है। भारतीय मध्यस्थ अक्सर कहते हैं कि मध्यस्थता के सिद्धांत और अभ्यास का दैवीय उद्गम है। लेकिन यह भारत में मध्यस्थता के सिद्धांत और अभ्यास की खगोलीय उत्पत्ति का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने वाली पहली पुस्तक है। डॉ. आहूजा के काम को जो रुचिकर बनाता है वह यह दिखाने का प्रयास है कि जबकि पश्चिम देशों और भारत में लोकतांत्रिक संवैधानिकता, राजाओं के शासन करने के दैवीय अधिकारों की कुल अस्वीकृति के साथ शुरू हुई, वहीं भारत में मध्यस्थता का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका मध्यस्थता की दिव्य उत्पत्ति का पता लगाना है।

तदनुसार यह पुस्तक एक कानूनी ग्रंथ के रूप में नहीं बल्कि मध्यस्थता पर निरंतर ध्यान के रूप में लक्षित है। यह समकालीन वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के चार मान्यता प्राप्त रूपों, अर्थात् पंचाट, सुलह, लोक अदालत और मध्यस्थता के

माध्यम से निपटान सहित न्यायिक समझौता के बारे में नहीं है। यह अनिवार्य रूप से अदालती भीड़भाड़ कम करने के उपाय हैं, जो अब सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2005) में सुप्रीम कोर्ट विस्तृत रूप से वर्णित कर चुका है।

दिलचस्प रूप से, प्रोफेसर आहूजा हमें उन युगीन मध्यस्थता की याद दिलाते हैं जो "त्रेता युग में राम और रावण के बीच अंगद द्वारा; द्वापर युग में कौरवों और पांडवों के बीच भगवान श्रीकृष्ण द्वारा; और राम जन्म भूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा" की गई थी। वह अफसोस जताते हैं कि "तीनों मध्यस्थता विफल" रही। लेकिन वह हमें यह भी याद दिलातें हैं कि ये बड़ी विफलताएं हमें विवाद निपटान व्यवस्था में मध्यस्थता की क्षमता के रूप के बारे में बताती हैं। अब मध्यस्थता को अनौपचारिक तरीके से मामलों की अंतहीन संख्या में आह्वान किया जाता है। हालाँकि, विद्वान लेखक अंत में कहते हैं कि कानून और न्याय का उद्गम भी भगवान श्रीकृष्ण से हुआ है जैसा कि महाभारत में कहा गया है: "यतः कृष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जयः"।

डॉ. आहूजा ठीक ही कहते हैं कि "महाभारत दिखाता है कि कैसे श्रीकृष्ण एक आदर्श मध्यस्थ थे, जिन्होंने कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध को टालने की पूरी कोशिश की। श्रीकृष्ण, ब्रह्मांड के भगवान होने के नाते, यह अच्छी तरह से जानते थे कि मध्यस्थता एक असफल प्रयास होगा", फिर भी उन्होंने "मानवता को सिखाने के लिए मध्यस्थता का प्रयास किया ताकि मनुष्य

विवादों को सुलझाने के लिए अंतिम समय तक हर संभव प्रयास करे"।

"मध्यस्थता को एक मौका" देना वाक्यांश एक महत्वपूर्ण मोड़ है क्योंकि सामान्य कानून/औपनिवेशिक विरासत एक कानूनी भाग्य विजेता-टेक-इट-ऑल दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। रंगपुर, गुजरात में लोगों के विवाद निपटान के संदर्भ में, मैंने यह दिखाने की कोशिश की है कि कैसे और क्यों विवाद और यहां तक कि संघर्ष तकरार से करार में बदल जाते हैं[1] और मध्यस्थता से वास्तव में सहभागी लोकतांत्रिक परिणाम प्राप्त होते हैं।

डॉ. आहूजा इस बात पर सही जोर देते हैं कि महान महाकाव्य कथा के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण द्वारा कौरवों और पांडवों के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश युद्ध और रक्तपात को कम से कम अपरिहार्य बनाने का एक तरीका थी। लेकिन यह वह था, जिसे आज हम एक सद्भावनापूर्ण प्रयास कहेंगे; भगवान श्रीकृष्ण की मध्यस्थता और सुलह के कार्य नेक नियति वाले थे, लेकिन एक पक्ष ने बदनीयती बनाए रखते हुए सभी प्रयासों को व्यर्थ कर दिया। इस बात की सराहना की जानी चाहिए कि डॉ. आहूजा ने धर्मयुद्ध की अवधारणाओं के संदर्भ में

---

[1] उपेंद्र बक्शी, "फ्रॉम टकरार टू करार: द लोक अदालत एट रंगपुर: ए प्रिलिमिनरी स्टडी", जर्नल ऑफ कांस्टीट्यूशनल एंड पार्लियामेंटरी स्टडीज़ 53 (1916); द क्राइसिस ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम (दिल्ली: विकास, 1982) में उपेंद्र बक्शी का उपसंहार देखें। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि लोक अदालत के नव-गांधीवादी नेता भगवान श्रीकृष्ण के बजाय स्वदेशी लोगों के रीति-रिवाजों और महात्मा गांधी से मध्यस्थता के रूपों का सहारा लेते हैं।

संपूर्ण कथा को गढ़ा है, जो संघर्ष और विवाद दोनों के क्षेत्र तक फैली हुई है (जिसे विद्वान लेखक शुरुआत में स्पष्ट करते हैं)।

यह एक गहरा काम है, और मैं सहानुभूतिपूर्ण पाठकों को इसके साथ आत्मिक रूप से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं, ताकि मध्यस्थता के दिव्य मूल के आसपास के कुछ केंद्रीय योगदानों और उलझनों को पूरी तरह से समझ सकें।

उपेंद्र बक्शी
दिल्ली
21 मार्च 2023

विषय-सूची

	प्राक्कथन	i
	आभार	v
1.	प्रस्तावना	1
2.	मध्यस्थता	41
3.	श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व के कई पहलू	69
4.	मध्यस्थ के रूप में श्रीकृष्ण	93
5.	अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता	115
6.	भारत में मध्यस्थता	135
7.	भारत में लंबित मामले: क्या मध्यस्थता आमूलचूल परिवर्तन ला सकती है?	155
8.	उपसंहार	173

प्राक्कथन

पुस्तक "श्रीकृष्ण और मध्यस्थता" इतिहास में वापस जाने और भारत में मध्यस्थता की संस्था को देखने का एक विनम्र प्रयास है। पुस्तक विधि ग्रंथ के रूप में नहीं लिखी गई है। यह आम आदमी के दृष्टिकोण से और यह समझने के लिए लिखी गई है कि भारत में प्राचीन काल से विवादों को सुलझाने और समाज में शांति और सद्भाव लाने के लिए मध्यस्थता कैसे प्रचलित थी।

यद्यपि मध्यस्थता की संस्था का पता वैदिक काल में लगाया जा सकता है; और त्रेता युग में भी, जहां इसे राम और रावण के बीच युद्ध को टालने के लिए लागू किया गया था, परन्तु ध्यान द्वापर युग में श्रीकृष्ण द्वारा मध्यस्थता करने पर केंद्रित किया गया है। ऐसा करने का कारण यह है कि श्रीकृष्ण को ब्रह्मांड का स्वामी माना गया है; और जब ब्रह्मांड के भगवान स्वयं विवाद समाधान का एक विशेष तरीका अपनाते हैं, तो यह पूरे समाज को प्रेरित करता है और लोगों को अपने विवादों और मतभेदों को उसी तरीके से हल करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

स्वदेशी न्याय प्रदान प्रणाली में कुलानी, श्रेणी, पूगा, महाजन, मध्यस्थता और पंचायत शामिल थे। मध्यस्थता हमेशा विवादों और संघर्षों को हल करने के सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक रही है। अंगद द्वारा त्रेता युग में राम और रावण के बीच; भगवान श्रीकृष्ण द्वारा द्वापर युग में कौरवों और पांडवों के बीच; और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस युग (कलयुग) में राम जन्मभूमि मामले में मध्यस्थता की गई; और दुर्भाग्य से, तीनों मध्यस्थता विफल रही। फिर भी, समुदाय ने विवाद समाधान तरीकें के रूप में मध्यस्थता की क्षमता को जाना और इसे अनौपचारिक तरीके से अनगिनत मामलों में लागू किया।

पुस्तक में संघर्ष और विवाद पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसमें भगवान श्रीकृष्ण के कई पहलुओं पर भी चर्चा की गई है। पुस्तक में मध्यस्थ के रूप में भगवान श्रीकृष्ण की भूमिका पर बल दिया गया है। पुस्तक समकालीन समय में भारत में और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मध्यस्थता पर चर्चा करती है।

पुस्तक में उन मामलों की लंबितता के बारे में भी चर्चा की गई है जो 5 करोड़ के आंकड़े को छूने वाले हैं, जो कि कई देशों की कुल जनसंख्या से अधिक है। पुस्तक में यह भी चर्चा की गई है कि कैसे मध्यस्थता न्याय व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन ला सकती है और लंबित मामलों को कम कर सकती है।

कुछ तथ्यों का उदाहरण देने के लिए धर्म, गीता के श्लोकों, कहानियों, कविता आदि का संदर्भ दिया गया है।

मुझे पूरी आशा है कि पुस्तक पाठकों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी।

प्रो. (डॉ.) वी.के. आहूजा
गुवाहाटी
5 अक्टूबर 2023

आभार

श्रीकृष्ण और मध्यस्थता पुस्तक लिखने की मेरी प्रेरणा का स्रोत कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्रीकृष्ण हैं। जितना अधिक मैंने श्रीकृष्ण के बारे में पढ़ा, उतना ही मैं उनसे प्रेरित हुआ। इस पुस्तक को लिखने के लिए मेरी प्रेरणा बनने के लिए भगवान श्रीकृष्ण के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

कोई भी अच्छा काम करने के लिए माता-पिता हमेशा प्रेरणा के स्रोत होते हैं। मेरे माता-पिता और मेरी पत्नी शालिनी के माता-पिता (जो सभी श्रीकृष्ण के कमल चरणों में स्थान पा चुके है) स्वभाव से बहुत धार्मिक थे और मेरी शैक्षणिक यात्रा के लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत थे। जब भी मैंने कोई शैक्षणिक तथा शोध कार्य शुरू किया तो मुझे हमेशा उनसे प्रोत्साहन मिला। उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। हालांकि उनका भौतिक अस्तित्व नहीं है, फिर भी मैं हमेशा उनका आशीर्वाद महसूस कर सकता हूं।

मैं अपनी पत्नी शालिनी आहूजा का आभारी हूँ जिन्होंने इस पुस्तक के लेखन में मेरी सहायता की। पुस्तक के आवरण पृष्ठ को डिजाइन करने के लिए मैं अपनी पुत्री पार्थवी आहूजा,

एडवोकेट का बहुत आभारी हूं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। शोध में मेरी सहायता करने के लिए मैं प्राप्ति सिंह, एडवोकेट और मेरे पुत्र लक्ष्य आहूजा का भी आभारी हूँ।

मैं माननीय न्यायमूर्ति मीर अल्फाज अली, निदेशक, न्यायिक अकादमी, असम और पूर्व न्यायाधीश, गौहाटी उच्च न्यायालय; प्रो. आर.एन. शर्मा, पूर्व कुलपति, आई.ए.एस.ई. विश्वविद्यालय और पूर्व अध्यक्ष और डीन, विधि संकाय, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर; और डॉ. जी. आर. राघवेंद्र, पूर्व संयुक्त सचिव, न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार को पुस्तक की पांडुलिपि की समीक्षा करने और अपने बहुमूल्य सुझाव देने के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय श्री राम नाथ कोविंद जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति; माननीय श्री न्यायमूर्ति हृषीकेश रॉय, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय; माननीय श्री न्यायमूर्ति संदीप मेहता, मुख्य न्यायाधीश, गौहाटी उच्च न्यायालय; माननीय श्री न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां, मुख्य न्यायाधीश, तेलंगाना उच्च न्यायालय; और माननीय श्री न्यायमूर्ति सुमन श्याम, न्यायाधीश, गौहाटी उच्च न्यायालय को पुस्तक के लिए अपने बहुमूल्य संदेश और अग्रशब्द भेजने के लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं।

मैं गुरुओं के गुरु प्रोफेसर (डॉ.) उपेंद्र बक्शी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पुस्तक के लिए अग्रशब्द लिखने

के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला। प्रोफेसर बक्शी सदा ही मेरा मार्गदर्शन करते रहे हैं और मुझे शैक्षणिक और शोध कार्यों की तरफ प्रेरित करते रहे हैं।

सभी तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए मैं श्री सत्यजीत, सिस्टम एनालिस्ट को विशेष धन्यवाद देता हूं। पुस्तक का साँचा उनके द्वारा तैयार किया गया है। इसके अलावा, उन्होंने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और न्यायिक अकादमी, असम की वेबसाइट पर पुस्तक को अपलोड करने के लिए सभी प्रकार की तैयारियाँ की है और पुस्तक को फ्लिप पुस्तक के रूप में परिवर्तित किया है।

पुस्तक के लिए आईएसबीएन प्राप्त करने के लिए मैं सहायक लाइब्रेरियन डॉ. कंकना बैश्य का भी आभारी हूं। मैं इस पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए संस्थागत सहयोग प्रदान करने के लिए डॉ. नंदरानी चौधरी का भी आभारी हूं।

प्रो.(डॉ.) वी.के. आहूजा

अध्याय 1
प्रस्तावना

"मध्यस्थता करना एक दिव्य कार्य है।"

न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश

1. प्रस्तावना

> "अनौपचारिक संस्थाओं द्वारा निपटारे की संस्कृति हमारे समाज की जड़ों में है, जहां बुजुर्गों या प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा स्थानीय स्तर पर मामलों को सुलझाया जाता है"।
>
> न्यायमूर्ति शरद ए बोबडे
> भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश

संघर्ष और विवाद मानव व्यवहार का हिस्सा होने के कारण मानव सभ्यता में हमेशा से पाए गए हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि संघर्ष और विवाद उतने ही पुराने है जितनी कि मानव सभ्यता। दुनिया का कोई भी समाज संघर्षों और विवादों से मुक्त नहीं हो सकता।

भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना ने एक बार कहा था, "किसी भी समाज में विभिन्न कारणों जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और

धार्मिक, से संघर्ष अपरिहार्य हैं। और संघर्षों के साथ, संघर्षों के समाधान के लिए उचित तंत्र विकसित करने की भी आवश्यकता है"।

अफ्रीकी समुदाय ने परंपरागत रूप से संघर्ष पर सकारात्मक मानसिकता अपनाई और उसमें कुछ भी गलत नहीं पाया। इबादान विश्वविद्यालय, नाइजीरिया में शांति और सामरिक अध्ययन संस्थान के निदेशक प्रोफेसर इसहाक ओलावाले अल्बर्ट ने निम्नलिखित शब्दों में संघर्ष पर महत्वपूर्ण विचार व्यक्त करते हुए कहा कि –

> "संघर्ष में कुछ भी गलत नहीं है; यह एक महत्वपूर्ण तंत्र है जिसके द्वारा व्यक्तियों और समूहों के लक्ष्यों और आकांक्षाओं को व्यक्त किया जाता है; यह मानवीय समस्याओं के रचनात्मक समाधान की परिभाषा के लिए एक माध्यम है और मानवीय समस्याओं के रचनात्मक समाधान के साधन और एक सामूहिक पहचान के विकास का एक साधन है।"[1]

न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी का कहना है कि "जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही वस्तु पर कब्जा करना चाहते हैं,

---

[1] के.एस. सरमा, "ट्रेडिशनल मीडियेशन प्रैक्टिसेज इन इंडिया एंड अदर कल्चर्स" इन इ-मीडियेशन राइटिंग्स, *मीडियेशन कम्पेंडियम* (2021), pp. 46-52, at p. 50.

एक ही स्थान या एक ही विशिष्ट स्थिति पर कब्जा करना चाहते हैं, असंगत भूमिका निभाते हैं या अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पारस्परिक रूप से असंगत साधन अपनाते हैं तो एक संघर्ष उत्पन्न होता है"।[2] संघर्ष को दो व्यक्तियों के विचारों के रूप में संदर्भित किया जा सकता है जो एक स्थिति को एक दूसरे के ऊपर अपनी रुचि रखकर अपने स्वयं के दृष्टिकोण से अलग तरीके से देखते हैं।

अमरजीत सिंह चंडियोक के अनुसार, "संघर्ष और विवाद संभवतः मानव अस्तित्व के रचनात्मक रोग हैं"।[3]

आम तौर पर, "संघर्ष" और "विवाद" शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयाय के रूप में उपयोग किए जाते हैं। परंतु वास्तव में ये शब्द एक दूसरे से भिन्न हैं। शब्द "संघर्ष मुद्दों के एक व्यापक क्षेत्र को संदर्भित करता है और इस व्यापक क्षेत्र के भीतर, विशिष्ट विवाद उत्पन्न हो सकते हैं"। दूसरे शब्दों में, विवाद संघर्ष से उत्पन्न होते हैं।[4] इसके अलावा, विवादों की तुलना में

---

[2] जस्टिस ए.के. सीकरी, "द सिंगापुर कन्वेंशन: ए पैराडाइम शिफ्ट फॉर मीडियेशन" इन सुधांशु बतरा, एट.एल. (eds.), *द पॉवर ऑफ़ मीडियेशन* (2020), p. 10.

[3] अमरजीत सिंह चंधिओक इन सुधांशु बतरा, एट.एल. (eds.), *द पॉवर ऑफ़ मीडियेशन* (2020), p. 8.

[4] अनुजा सक्सेना, "कॉन्फ़्लिक्ट एंड डिस्प्यूट: अंडरस्टैंडिंग द मिसअंडरस्टैंडिंग" इन इ-मीडियेशन राइटिंग्स, *मीडियेशन कम्पेंडियम* (2021), pp. 9-21, at p. 11.

संघर्षों की प्रकृति अधिक गंभीर और संवेदनशील होती है। समाधान के संदर्भ में संघर्ष बहुत परिवर्तनशील होते हैं, जबकि "विवादों को विशिष्ट मुद्दे से निपटने और अंतिम निर्धारण पर आने से आसानी से हल किया जा सकता है"।[5] दूसरे शब्दों में, संघर्ष जाति है, जबकि विवाद उसकी प्रजाति है।

चूंकि संघर्ष और विवाद मुक्त समाज का होना लगभग असंभव है, इसलिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि उन संघर्षों और विवादों का प्रभावी, तेज और किफायती तरीके से कैसे निपटारा किया जाए, क्योंकि नजर अंदाज़ किए गए संघर्ष और विवाद अवांछित स्थितियों में परिवर्तित हो सकते हैं जिसके परिणाम स्वरूप कभी-कभी अपराध भी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकती है और समाज में शांति और सद्भाव को भंग कर सकती है। कभी-कभी दो देशों के बीच अनसुलझे मतभेद जब बढ़ जाते हैं तो वे युद्ध का रूप ले लेते हैं। मतभेद और युद्ध के बीच, विभिन्न चरण आते हैं, जैसे कि असहमति, समस्या, विवाद, संघर्ष और हिंसा।[6] प्रत्येक समाज इस चुनौती का सामना करता है; इसलिए, एक मजबूत

[5] अधिक जानकारी के लिये देखिए "डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ़्लिक्ट एंड डिस्प्यूट" at https://www.differencebetween.com/difference-between-conflict-and-vs-dispute/

[6] देखिए एम.सी.पी.सी., सुप्रीम कोर्ट, मिडियेशन ट्रेनिंग मैन्युअल ऑफ़ इंडिया, p. 10.

न्याय प्रदान प्रणाली किसी भी समाज के व्यवस्थित विकास के लिए अपरिहार्य है।[7]

भारत में स्वदेशी न्याय प्रदान प्रणाली यतो धर्मस्ततो जयः के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसका अर्थ है कि जहां धर्म है, वहीं विजय (जयः) है। इस सिद्धांत की उत्पत्ति महाकाव्य महाभारत के श्लोक - यतः कृष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जयः से हुई है । अर्थात् जहां कृष्ण हैं, वहां धर्म है और जहां धर्म है, वहीं विजय है।[8] महाभारत उद्योग पर्व के अध्याय 68 के श्लोक 9 में भी कहा गया है:

> "यतः सत्यं यतो धर्मो यतो हिरर्जवम यत:।
> ततो भवति गोविंदो यत: कृष्णस्ततो जयः ||"
>
> (जहां सत्य है, जहां धर्म है, जहां ईश्वरविरोधी कार्यों में लज्जा है और जहां ह्रदय की सरलता होती है, वहीं श्रीकृष्ण रहते हैं, और जहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं, वहीं नि:संदेह विजय है।)

---

[7] वी.के. आहूजा एंड पार्थवी आहूजा, "मिडियेशन इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स" इन वी.के. आहूजा, आशुतोष मिश्रा, एंड आशुतोष आचार्य, *मिडियेशन* (2020), p. 127.

[8] https://www.aajtak.in/india/story/supreme-court-motto-or-tagline-and-meaning-tstp-971577-2019-11-09

यह कहना उचित होगा कि कानून और न्याय का अभ्योदय भगवान श्रीकृष्ण से हुआ हैं। "यतो धर्मस्ततो जयः" को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक चिन्ह में भी देखा जा सकता है।

यहाँ यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि महाकाव्य महाभारत में कौरवों ने अधर्म का मार्ग चुना था और बेहतर जीवन का आनंद लिया था। हालांकि, वे अंतिम युद्ध हार गए थे। दूसरी ओर, पांडवों ने धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ा और जीवन भर संघर्ष करते रहे। अंत में उन्होंने कुरुक्षेत्र का युद्ध, जिसे धर्म युद्ध भी कहा जाता है, जीता था। भगवान श्रीकृष्ण स्वयं पांडवों की तरफ थे, क्योंकि वे धर्म के लिए लड़ रहे थे। दूसरे शब्दों में, धर्म का मार्ग, चाहे कितना भी कठिन और चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, अंततः विजय की ओर ले ही जाता है।

उपरोक्त के आधार पर, आसानी से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्वदेशी न्याय प्रदान प्रणाली के साथ-साथ भारत की आधुनिक न्याय प्रदान प्रणाली भी सर्वोच्च देव भगवान श्रीकृष्ण के अलावा और किसी से प्रेरित नहीं है।

कोई बहुत अच्छी तरह से तर्क दे सकता है कि श्रीकृष्ण का जन्म केवल 5000 साल से कुछ पहले द्वापर युग में हुआ था, इसलिए ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि उनके जन्म से पहले की अवधि के लिए भी कानून और न्याय का उदय उन्हीं से ही

हुआ था? अर्जुन ने श्रीकृष्ण से एक अलग संदर्भ में ऐसा ही प्रश्न पूछा था, जिसके उत्तर में श्रीकृष्ण ने कहा था:[9]

> बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ।
> तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप ॥5॥
>
> (तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी को याद कर सकता हूं, लेकिन तुम नहीं कर सकते।)

इससे पहले भी श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा था:[10]

> न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः |
> न चैव न भविष्याम: सर्वे वयमत: परम् || 12||
>
> (कोई ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, और ये सभी राजा नहीं थे; और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे।)

इसके अतिरिक्त गीता के श्लोक 10.8 में श्रीकृष्ण कहते हैं:

> अहं सर्वस्य प्रभवो मत्त: सर्वं प्रवर्तते ।
> इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता:

[9] *श्रीमद् भागवत गीता,* अध्याय 4, श्लोक 5.
[10] *श्रीमद् भागवत गीता,* अध्याय 2, श्लोक12.

(मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक संसारों का स्रोत हूं। सब कुछ मुझ से उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान इसे पूरी तरह से जानते हैं वे मेरी भक्ति सेवा में संलग्न होते हैं और अपने पूरे दिल से मेरी पूजा करते हैं)।

इन श्लोकों से यह स्पष्ट होता है कि श्रीकृष्ण अतीत में विद्यमान थे, वे वर्तमान में भी विद्यमान हैं और भविष्य में भी विद्यमान रहेंगे। सब कुछ श्रीकृष्ण से उत्पन्न होता है। इसलिए, सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कानून और न्याय भी भगवान श्रीकृष्ण से उत्पन्न होते हैं जैसा कि श्लोक के माध्यम से भी कहा गया है:

यतः कृष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जयः ।

यहां यह उल्लेख करना भी अप्रासंगिक नहीं होगा कि मूल हस्तलिखित संविधान में अध्याय III (मौलिक अधिकार) और अध्याय IV (राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत) क्रमशः भगवान राम और भगवान श्रीकृष्ण की तस्वीरों से ओत परोत हैं। राम और श्रीकृष्ण मानव अधिकारों के संरक्षक के रूप में जाने जाते है। राम और श्रीकृष्ण ने हमेशा धर्म और शांतिपूर्ण जीवन की वकालत की। दोनों ने सिखाया कि जहां तक संभव हो युद्ध से बचना चाहिए। हालाँकि, दोनों का यह भी मानना था कि यदि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना अनिवार्य हो तो ऐसा युद्ध न्यायसंगत होगा।

"धर्म" शब्द यहाँ "नीतिपरायणता" को संदर्भित करता है। रोसेन रोचर के अनुसार, एक व्यापक धार्मिक और सामाजिक वर्णक्रम में धर्म का सबसे अच्छा अनुवाद "नीतिपरायणता" या "कर्तव्य" के रूप में किया गया है।[11]

महाभारत का एक श्लोक धर्म को इस प्रकार परिभाषित करता है:

धारणाद्धर्ममित्याहु: धर्मो धारयते प्रजा: |
यस्याद्धारणसंयुक्तं स धर्म इति निश्चय: ||[12]

"धर्म" शब्द "धारणा" (धारण करने के लिए) से लिया गया है। यह "धर्म" ही है जो समाज को एक साथ रखता है। इसलिए अगर कोई ऐसी चीज है जो लोगों को एक साथ बांधे रखने में सक्षम है, तो वह धर्म ही है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि "मनुस्मृति - मनु का नियम" भी सभी के लिए धर्म निर्धारित करता है।[13]

---

[11] रोसने रोचर, "द क्रिएशन ऑफ़ एंग्लो-हिन्दू लॉ" इन तिमोथी लूबीन, डोनाल्ड आर. डेविस, जूनियर एंड जयंथ के. कृष्णन, (eds.), *हिंदुइज्म एंड लॉ: एन इंट्रोडक्शन* (2010), p. 87.
[12] महाभारत, 69.58 (*कर्ण पर्व*).
[13] *मनुस्मृति*, द लॉ ऑफ़ मनु, available on https://advocatetanmoy.com/2018/07/10/manusmriti-the-laws-of-manu-english/

"धर्म" शब्द नीतिपरायणता या न्याय की एक अमूर्त धारणा के रूप में पवित्र कानून के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, और अधिक ठोस शब्दों में सामाजिक आचरण और अनुष्ठान कार्रवाई के विशिष्ट नियमों के सामूहिक नाम के रूप में प्रकट शास्त्र ("वेद") में निहित माना जाता है।[14] "मीमांसक वेदों को आदर्श मानते हैं, और वास्तव में अंततः उन्हें एकमात्र, हमारे धर्म के ज्ञान का स्रोत मानते है। वे इन्हें वैदिक आदेश द्वारा इंगित एक अच्छाई के रूप में परिभाषित करते हैं"। धर्म के बारे में, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा था कि:

> "गीता द्वारा घोषित धर्म हम सभी पुरुषों के लिए है। यह उसके लिए सबसे अच्छा धर्म है जो पुनर्जन्म में विश्वास करता है और उसके लिए भी जो ऐसा नहीं करता है । यह उनके लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म है जो कृष्ण के प्रति समर्पित हैं और उनके लिए भी जो कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं हैं। यह उनके लिए सबसे अच्छा धर्म है जो ईश्वर में विश्वास करते हैं और उनके लिए भी जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं।"[15]

---

[14] टिमोथी लुबिन, डोनाल्ड आर. डेविस, जूनियर, और जयंथ के. कृष्णन, "इंट्रोडक्शन" इन टिमोथी लुबिन, डोनाल्ड आर. डेविस, जूनियर, और जयंथ के. कृष्णन, (eds.), *हिन्दुईसिम एंड लॉ:ऐन इंट्रोडक्शन* (2010), p. 5.

[15] हंस हार्डर, (ed.), बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय की श्रीमद्भगबद्गीता: ट्रांसलेशन एंड एनालिसिस (2001), p. 60 कोटेड इन एंड्रयू सर्तोरी "द ट्रांसफिगरेशन ऑफ़ ड्यूटी इन औरोबिंदो'स एसेजेज ऑन गीता" इन श्रुति कपिला और

उन्होंने आगे कहा कि धर्म (नैतिक दायित्व, कार्रवाई का नियम) मानवता के सार में "शाश्वत है, और इसलिए समाज के साथ इसका संबंध है। यह ईश्वर की मंशा कदापि नहीं हो सकती है कि उनके द्वारा घोषित धर्म केवल किसी विशिष्ट समाज या समाज की स्थिति के लिए ही हो।"[16]

वह आगे लिखते हैं कि "धर्म द्वारा स्वीकृत किसी के अधिकार की सर्वोत्तम क्षमताओं से रक्षा करना उसका धर्म है। ... यदि स्वार्थवश दूसरों को उनके अधिकारों से वंचित करने वालों को स्वतंत्र रूप से लूटने और फिर दूसरों की संपत्ति का उपभोग करने की अनुमति दी जाती है, तो समाज एक दिन भी नहीं टिक सकता है। ऐसी स्थिति में सभी मनुष्य असीम रूप से पीड़ित होंगे।"[17]

महात्मा गांधी के अनुसार, "एक धर्म जो व्यावहारिक जरूरतों को पूरा नहीं करता है वह धर्म नहीं, अधर्म है"।[18] उन्होंने अपने सच्चे धर्म से चिपके रहने की आवश्यकता पर जोर

फैसल देवजी, (eds.), पॉलिटिकल थॉट इन एक्शन: द भगवद गीता एंड मॉडर्न इंडिया (2013), p. 54.

[16] *Ibid.*

[17] *Id.*, p. 55.

[18] महात्मा गांधी इन दीपेश चक्रबर्ती एंड रोचोना मजूमदार, "गांधी'ज गीता एंड पॉलिटिक्स ऐज़ सच" इन श्रुति कपिला एंड फ़ैसल देवजी, (eds.), *पोलिटिकल थॉट इन एक्शन: द भगवद् गीता एंड मॉडर्न इंडिया* (2013), p. 81.

दिया जैसा कि गीता में सिफारिश की गई थी: यदि हम "अपना धर्म खो देते हैं, तो हम अच्छे कार्यों के लिए अपनी क्षमता खो देते हैं, और साथ ही इस दुनिया और दूसरी दुनिया दोनों को खो देते हैं"।[19]

कौरवों और पांडवों के बीच श्रीकृष्ण द्वारा की गई मध्यस्थता की विफलता के बाद, अर्जुन को अपने धर्म के कारण कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ना पड़ा। यह युध अर्जुन के लिए कौरवों में अपने रिश्तेदारों के प्रति उनकी सभी भावनाओं, प्रेम, सम्मान से भी ऊपर था। कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरवों द्वारा पांडवों को न्याय न दिए जाने का परिणाम है। धर्म का सिद्धांत राजा, शासक और सरकार, जैसा भी मामला हो, पर समान रूप से लागू होता है। क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना प्रत्येक राज्य का धर्म है। साथ ही, अपने क्षेत्र के भीतर एक मजबूत न्याय प्रदान प्रणाली सुनिश्चित करना भी राज्य का धर्म है। इसलिए, यह राज्य के तीन अंगों, विशेष रूप से न्यायपालिका का धर्म है कि लोगों को समय पर न्याय प्रदान करना सुनिश्चित करे, क्योंकि न्याय करने में देरी करना न्याय करने से वंचित करने के समान होता है। न्यायालयों में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या दर्शाती है कि संपूर्ण राज्य और विशेष रूप से न्यायपालिका इस धर्म का पालन करने में विफल रही है।

[19] *Ibid.*

बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या धर्म श्रीकृष्ण के लिए भी था? यदि हाँ, तो उन्होंने कुरुक्षेत्र का युद्ध क्यों होने दिया? युद्ध का परिणाम एक पूर्ण विनाश था, जिसमे हजारों लोगों मारे गये थे। युद्ध ने विवाहित महिलाओं को विधवा, बच्चों को अनाथ और माता-पिता को निःसंतान बना दिया था। युद्ध को रोकना तथा हजारों लोगों की जान बचाना स्वयं श्रीकृष्ण के हाथों में था जो सर्वोच्च देवता हैं।

इन प्रश्नों का उत्तर गीता के श्लोक 3.15 और 3.22 से 3.24 में मिलता है। 3.15 श्लोक में श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं:

कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् |
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ||

(मनुष्यों के लिए कर्तव्यों का वर्णन वेदों में किया गया है, और वेद स्वयं भगवान द्वारा प्रकट किए गए हैं। इसलिए, सर्वव्यापी भगवान यज्ञ के कार्यों में नित्य उपस्थित हैं)।

श्लोक 3.15 यह स्पष्ट करता है कि वेदों (जो स्वयं ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं) में वर्णित अपने कर्तव्यों का पालन करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है।

श्लोक 3.22 में श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं:

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन |
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ||

(हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे करने के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, न ही मुझे कुछ लाभ अर्जित करना है या कुछ पाना है। फिर भी मैं निर्धारित कर्तव्यों में लगा हुआ हूं)।

श्रीकृष्ण श्लोक 3.23 में आगे कहते हैं:

यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रित: |
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या: पार्थ सर्वश: ||

(क्योंकि हे पार्थ, यदि मैं सावधानी से निर्धारित कर्तव्यों का पालन नहीं करूंगा, तो सभी लोग हर तरह से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करेंगे)।

श्लोक 3.24 में श्रीकृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं:

उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् |
सङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमा: प्रजा: ||

(यदि मैं निर्धारित कर्मों को करना बंद कर दूं, तो ये सभी संसार नष्ट हो जाएंगे। जो कोलाहल/विप्लव प्रबल होगा और मानव जाति की शांति को नष्ट कर देगा, उसके लिए मैं जिम्मेदार होऊंगा)।

उपरोक्त वर्णित श्लोक यह स्पष्ट करते हैं कि भले ही श्रीकृष्ण के लिए कोई कर्तव्य नहीं था और उनके पास लाभ अर्जित करने या कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर

भी वे निर्धारित कर्तव्यों में लगे हुए थे। इसके अलावा, यदि वह सावधानी से अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहते, तो सभी लोग हर तरह से उनके मार्ग का अनुसरण कर सकते थे; जिसके गंभीर परिणाम दुनिया को भुगतने पड़ सकते थे। लोग श्रीकृष्ण को उस कोलाहल/विप्लव के लिए जिम्मेदार ठहराते जो समाज में शांति को नष्ट कर सकता था।

इसलिए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि श्रीकृष्ण का भी अपने निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करने का धर्म था। यह भी सच है कि युद्ध को रोकने के लिए प्रयास करना उनका कर्तव्य था, जो उन्होंने अंततः किया। युद्ध को टालने और शांति स्थापित करने के लिए श्रीकृष्ण ने कौरवों और पांडवों के बीच मध्यस्थता करके अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। जब दुर्योधन की हठ के कारण कौरव संघर्ष को हल करने के लिए आगे नहीं आए तो युद्ध अनिवार्य हो गया। उस समय श्रीकृष्ण का धर्म समाज में धर्म की पुनः स्थापना करना था, जो उन्होंने अंततः किया।

श्रीकृष्ण ने गीता के श्लोक 4.7 और 4.8 में भी कहा है कि धर्मात्माओं की रक्षा के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म के सिद्धांतों को फिर से स्थापित करने के लिए, मैं सहस्राब्दी दर सहस्राब्दी इस धरती पर प्रकट होता हूं।

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥

श्रीकृष्ण ने अर्जुन को उनके धर्म के बारे में याद दिलाकर और कुरुक्षेत्र के युद्ध को शुरू करने के लिए प्रेरित करके अपना धर्म निभाया। इसीलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध को धर्म युद्ध भी कहा जाता है। यदि युद्ध नहीं हुआ होता, तो लोगों में एक गलत संदेश जाता कि शक्तिशाली लोगों को शासन करने और कमजोरों को दण्डमुक्ति के साथ अपमानित करने का अधिकार है। उस स्थिति की कल्पना कीजिए, यदि राजा के भाई की बहू द्रौपदी को खुले दरबार में दुष्ट दुर्योधन और उसका भाई सबके सामने अपमानित कर सकते थे, तो वहां की सामान्य महिलाओं का क्या होता? धर्म पर अधर्म की जीत हो सकती थी और मानव जाति की भलाई के लिए भगवान द्वारा बनाई गई पूरी धर्म व्यवस्था ध्वस्त हो सकती थी।

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, श्रीकृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि यह धर्म युद्ध था। पांडवों ने कौरवों को पराजित करके और सभी अधर्मियों (पापपूर्ण गतिविधियों में शामिल लोगों) को मारकर, हस्तिनापुर में धर्म को फिर से स्थापित किया और कार्यभार संभाल लिया।

उल्लेखनीय है कि भारतीय शास्त्रों में अधिकारों की बात नहीं की गई है। ये ग्रंथ सभी के लिए कर्तव्य प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, हमारे शास्त्र एक कर्तव्य आधारित समाज की

परिकल्पना करते हैं न कि एक अधिकार आधारित समाज की, जिसमें हम आज रहते हैं।[20] गीता में भी श्रीकृष्ण ने कहा है:

> कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन |
> मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ||[21]
>
> (आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों के पालन करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कर्मों के फल के हकदार नहीं हैं। कभी भी अपने आप को अपने कार्यों के परिणामों का कारण न समझें और न ही निष्क्रियता में संलिप्त हों)।[22]

यहाँ यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि राम और श्रीकृष्ण को केवल हिंदू देवताओं के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। वे दोनों तो भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि "हिंदुत्व" और "हिंदू धर्म" को हिंदुओं से परे देखा जाना चाहिए। 1966 में, *शास्त्री यज्ञपुरुषदजी और अन्य* बनाम *मूलदास ब्रुदरदास वैश्य और अन्य*[23] में सुप्रीम कोर्ट ने

---

[20] अधिक जानकारी के लिये देखिए "लीगल सिस्टम्स – वैदिक कॉन्सेप्ट ऑफ़ लॉ एंड ज्यूरिसप्रूडेंस", at https://vedicheritage.gov.in/legal-systems/

[21] *श्रीमद् भागवत गीता,* अध्याय 2, श्लोक 47.

[22] देखिए https://www.holy-bhagavad-gita.org/chapter/2/verse/47

[23] 1966 SCR (3) 242.

मोनियर विलियम्स को उद्धृत किया जिन्होंने लिखा था कि "यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि हिंदू धर्म ब्राह्मणवाद पर आधारित आस्तिकता के एक रूप से कहीं अधिक है... हिंदू धर्म हिंदुओं के समग्र चरित्र का प्रतिबिंब है, जो एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई हैं। यह सार्वभौमिक ग्रहणशीलता के विचार पर आधारित है। इसने हमेशा परिस्थितियों के अनुकूल खुद को समायोजित करने का लक्ष्य रखा है, और तीन हजार से अधिक वर्षों से अनुकूलन की प्रक्रिया को जारी रखा है। इसने सभी पंथों से पहले वहन किया और फिर, कहने के लिए, निगल लिया, पचा लिया, और कुछ ग्रहण कर लिया।"[24]

एम इस्माइल और अन्य बनाम *भारत संघ और अन्य* (अयोध्या मामला)[25], में न्यायमूर्ति भरूचा ने अपने और न्यायमूर्ति अहमदी के लिए अलग राय में निम्नलिखित टिपण्णी कीं:

> "हिंदू धर्म एक सहिष्णु धर्म है। यह वह सहिष्णुता है जिसने इस्लाम, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म को इस भूमि पर आश्रय और समर्थन पाने में सक्षम बनाया है... ।"[26]

---

[24] मोनियर विलियम्स, *रिलीजियस थॉट एंड लाइफ इन इंडिया* (1883), p. 57.

[25] 1994 (6) SCC 360.

[26] *Id.*, at p. 442.

रमेश यशवंत प्रभु बनाम *प्रभाकर काशीनाथ कुंटे*[27] के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि:

> "आमतौर पर, हिंदुत्व को जीवन के एक तरीके या मन की स्थिति के रूप में समझा जाता है और इसे धार्मिक हिंदू कट्टरवाद के बराबर या उस जैसा नहीं समझा जाना चाहिए"।

पूर्व के निर्णयों का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने यह भी कहा कि "हिंदू धर्म या हिंदुत्व को संकीर्ण रूप से न तो समझना चाहिये न ही ऐसा अर्थ निकालना चाहिए कि हिंदू धर्म केवल सख्त हिंदू धार्मिक प्रथाओं तक ही सीमित है, जो भारत के लोगों की संस्कृति और लोकाचार से संबंधित नहीं है, जो कि भारतीय लोगों के जीवन का तरीका है। ... संक्षेप में ये शब्द भारतीय लोगों के जीवन के एक तरीके का संकेत देते हैं और केवल हिंदू धर्म का पालन करने वाले व्यक्तियों को एक विश्वास के रूप में वर्णित करने तक ही सीमित नहीं हैं"। उल्लेखनीय है कि भारत को हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है, हालांकि यह देश का आधिकारिक नाम नहीं है। हिंदुस्तान सभी धर्मों और आस्थाओं के लोगों का घर है।

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म केवल हिंदुओं तक ही सीमित नहीं हैं और इसलिए इन्हें

---

[27] 1996 SCC (1) 130.

उनसे परे देखा जाना चाहिए, इसी लिए भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण की तस्वीरों को संविधान में चित्रित किया गया है।

भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण को भारत के मूल हस्तलिखित संविधान के अध्याय III में दर्शाया गया है।

भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन को भारत के मूल हस्तलिखित संविधान के अध्याय IV में चित्रित किया गया है।

श्रीराम को लोगों के अधिकारों का सच्चा संरक्षक माना जाता है। उन्होंने अपने पास आने वाले हर व्यक्ति की रक्षा की। सुग्रीव हो या विभीषण, उन्होंने सबको पूरी सुरक्षा दी और उन्हें उनका अधिकार वापिस दिलवाने में मदद की। वह इतने विनम्र थे कि उन्होंने आदिवासी माता शबरी के बेर भी खाये, जिसे शबरी ने पहले स्वयं चखा और फिर श्रीराम को खाने के लिए दिया। श्रीराम के लिए, सभी समान थे और उन्होंने अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया। श्रीराम ने हमेशा अपना राजधर्म निभाया और कभी भी अपने धर्म द्वारा निर्धारित सीमाओं को पार नहीं किया। राजा के रूप में श्रीराम के समय में हर कोई खुश था।

आज हम भारत को राम राज्य बनाने की परिकल्पना करते हैं। राम राज्य का मतलब हिंदू राष्ट्र बिलकुल नहीं है। इसका अर्थ है एक ऐसा राष्ट्र जो धर्म के शासन द्वारा शासित हो, और जिसमे सीमाओं, समृद्धि, प्रगतिशील विकास, और लोगों के बीच खुशी और सद्भाव की रक्षा की जाती हो। राम राज्य लोगों के कल्याण के लिए काम करता है और एक जन-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाता है।[28] राम राज्य के दौरान न्याय तत्पर किया जाता था।

[28] अधिक जानकारी के लिये देखिए तेजस्वी सूर्या एंड सुयश पांडे, "व्हाई पेंटिंग ऑफ़ राम इन इंडिया'ज कंस्टीट्यूशन मैटर्स", at

श्रीराम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण के चरित्रों को निम्नलिखित शब्दों में खूबसूरती से परिभाषित किया गया है:

> "राम आपकी आत्मा हैं। सीता आपका हृदय है। रावण आपका मन है जो आपकी आत्मा से आपका हृदय चुरा लेता है। लक्ष्मण आपकी अंतरात्मा हैं, हमेशा आपके साथ हैं और आपकी ओर से सक्रिय है। हनुमान आपका अंतर्ज्ञान और साहस हैं जो आपकी आत्मा को फिर से चेतन करने के लिए आपके हृदय को पुनः प्राप्त करने में मदद करते है"।[29]

इसी तरह, श्रीकृष्ण और अर्जुन की तस्वीरें हमें यह संदेश देती है कि हम में से प्रत्येक अपने धर्म का निर्वाह करने के लिए कर्तव्यबद्ध है।

यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि भारत की संस्कृति दुनिया में सबसे पुरानी है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी इसे सर्वाधिक प्रभावशाली संस्कृति के रूप में स्वीकार किया है। मुलर ने एक बार लिखा था कि "वह दूसरे के हित को "वास्तविक भारत" की और निर्देशित करना चाहते थे, जिसमें यूरोपीय संस्कृति की

---

https://theprint.in/opinion/why-painting-of-ram-in-indian-constitution-matters/592160/

[29] अधिक जानकारी के लिये देखिए
https://www.hindustantimes.com/india/stories-woven-into-a-kashmiri-shawl/story-kpR0f1edReRdNTJ5nU5uuJ.html

आदिम उत्पत्ति थी।" उन्होंने आगे कहा कि "... भारत में प्राचीन साहित्य, वैदिक और बौद्ध ... उस जगह है जहां से ... हम सरल शुरुआत से उच्चतम अवधारणाओं तक उस स्तर तक वास्तविक विकास देख सकते हैं जहां तक मानव मन सक्षम है ..."।[30]

"धर्म" और "न्याय" के सिद्धांत भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। धर्म सभी के लिए परिभाषित किया गया है चाहे वह राजा हो या सामान्य व्यक्ति। यह सुनिश्चित करना राजा का धर्म था कि उसके लोगों को समय पर न्याय मिले। इसलिए, स्वदेशी न्याय प्रदान प्रणाली को तदनुसार विकसित किया गया था। न्याय प्रदान करने की प्रणाली बहुत तेज और प्रभावी थी जहां व्यक्तियों के बीच संघर्ष और विवादों का फैसला बहुत ही कम समय में किया जाता था। मध्यस्थता भारत में शुरुआती समय में संघर्ष और विवाद समाधान के सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय तरीकों में से एक थी।

विवाद निपटान के तरीके मध्यस्थता की भारत में वैदिक युग से गहरी जड़ें रही हैं।[31] भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद ए बोबडे, ने कहा था कि "भारत में अदालत के

---

[30] मूलर उद्धृत इन मिश्का सिन्हा, "द ट्रांसनेशनल गीता" इन श्रुति कपिला एंड फैसल देवजी, (eds.), *पोलिटिकल थॉट इन एक्शन: द भगवद् गीता एंड मॉडर्न इंडिया* (2013), p. 33.

[31] Jaya Goyal, "मीडियेशन लॉज इन इंडिया एंड इम्पोर्टेंट जजमेंट्स ऑन मीडियेशन" इन इ-मीडियेशन राइटिंग्स, *मीडियेशन कम्पेंडियम* (2021), p. 55.

बाहर समझौता प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्राचीन भारतीय साहित्य विभिन्न सामुदायिक मुद्दों को हल करने के लिए मध्यस्थता और मध्यस्थता जैसे तंत्र के बारे में बात करता है।"[32] न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ने भी कहा कि विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाना "सभ्यता की पहचान" है। उन्होंने आगे कहा कि प्राचीन भारत में मध्यस्थता प्रणाली किसी न किसी रूप में प्रचलित थी। गाँवों में मध्यस्थता जारी रही और हमारे आदिवासी क्षेत्रों में अपने प्रथागत रूप में संरक्षित भी रही।[33]

यहाँ गीता के एक श्लोक का उल्लेख करना उचित होगा, जिसमें भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है:

सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु |
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ||[34]

(जो शुभचिंतक, मित्र, शत्रु, तटस्थ, मध्यस्थ, ईर्ष्यालु, सम्बन्धी, साधु और पापियों को समान भाव से देखता है, वही श्रेष्ठ है।)

उपरोक्त श्लोक में प्रयुक्त शब्द "मध्यस्थ" उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो "दो विरोधी युद्धरत पक्षकारों के लिए

---

[32] जस्टिस शरद ए. बोबड़े, "फ़ॉरवर्ड" in वी.के. आहूजा, आशुतोष मिश्रा, एंड आशुतोष आचार्य, मीडियेशन (2020).
[33] एम.सी.पी.सी., सुप्रीम कोर्ट, मीडियेशन ट्रेनिंग मैन्युअल ऑफ़ इंडिया, p. i.
[34] *श्रीमद् भागवत गीता,* अध्याय 6, श्लोक 9.

एक वार्तालाप के जरिये माध्यम के रूप में कार्य करने की कोशिश करता है तथा संघर्ष का समाधान करने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करने का प्रयास करता है।"[35]

भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं इस श्लोक में मध्यस्थ का संदर्भ दिया है। यह साबित करने के लिए इससे बेहतर साक्ष्य क्या हो सकता है कि मध्यस्थता न केवल स्वदेशी न्याय प्रदान प्रणाली बल्कि भारतीय संस्कृति का भी एक अविभाज्य और अहम हिस्सा थी। यह भी उल्लेखनीय है कि गीता 5,000 साल से भी पहले अर्थात् ईसाई धर्म के उदय से बहुत पहले अस्तित्व में आई थी।

दिलचस्प बात यह है कि सुलह को "मनुस्मृति, मनु के नियम" में भी जगह मिली है। इसमें कहा गया है कि एक राजा को अपने शत्रुओं को कई तरीकों से जीतने की कोशिश करनी चाहिए; और उनमें से एक साधन सुलह है।[36]

प्राचीन भारत की न्यायिक प्रणाली की सराहना करते हुए, एक ब्रिटिश लेखक, जॉन डब्ल्यू स्पेलमैन ने कहा कि "कुछ

[35] देखें https://gitadaily.com/gita-06-09-explained/
[36] "*मनुस्मृति*, द लॉज ऑफ़ मनु", at https://advocatetanmoy.com/2018/07/10/manusmriti-the-laws-of-manu-english/

मामलों में प्राचीन भारत की न्यायिक प्रणाली सैद्धांतिक रूप से हमारी आज की प्रणाली से बहुत आगे थी"।[37]

याज्ञवल्क्य और नारद के अनुसार, प्राचीन भारत में, मध्यस्थता के अलावा, विवादों को हल करने या तय करने के अन्य तरीकों में ग्राम परिषदों (कुलानी)[38], निगमों (श्रेनी)[39], और सभाओं (पुगा)[40] की व्यवस्था भी शामिल थी।[41] उपरोक्त तंत्र एक तरह से आधुनिक पंचायतों की तरह ही पंचाँट न्यायाधिकरणों के समान था। इन तथाकथित मध्यस्थ न्यायाधिकरणों के फैसलों के खिलाफ राजा द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों की अदालतों और अंत में खुद राजा के पास अपील की जा सकती थी।[42]

---

[37] जॉन डब्लू. स्पेलमैन, पोलिटिकल थ्योरी ऑफ़ एन्सिएंट इंडिया: ए स्टडी ऑफ़ किंगशिप फ्रॉम द अरलिएस्ट टाइम्स टू सिरका ए.डी. 300 (ऑक्सफ़ोर्ड, 1964), p.128.

[38] *कुलानी* या *कुला* "परिवार, समुदाय, जनजातियों, जातियों या नस्लों के सदस्यों के बीच विवादों" से निपटते थे।

[39] *श्रेणी* "एक ही व्यवसाय का पालन करने वाले कारीगरों का निगम था, जो उनके आंतरिक विवादों से निपटता था"।

[40] *पुगा* "वाणिज्य की किसी भी शाखा में व्यापारियों का संघ" भी था।

[41] एम.सी.पी.सी., सुप्रीम कोर्ट, मीडियेशन ट्रेनिंग मैन्युअल ऑफ़ इंडिया, p. 2.

[42] अधिक जानकारी के लिये देखें केन, *हिस्ट्री ऑफ़ धर्मसास्त्र* (1946), Vol. 3, p. 280, 230 at https://www.advocatekhoj.com/library/lawreports/arbitrationact/11.php?Title=Arbitration%20Act,%201940&STitle=Yajnaval

इस प्रकार, स्वदेशी न्याय प्रदान प्रणाली के अनुसार, मध्यस्थता के अलावा, लोगों के बीच मामलों को तय करने के लिए दो और तरीके मौजूद थे, जैसे कि पंचाँट न्यायाधिकरण और राजा द्वारा स्थापित अदालतें।

इसके अलावा, अपने व्यापारिक विवादों को हल करने के लिए, व्यापारी महाजनों के पास जाते थे, जिन्हें सम्मानित, निष्पक्ष और विवेकपूर्ण व्यक्ति माना जाता था। ये महाजन उन व्यापारियों के बीच मध्यस्थता करते थे जो एक व्यापारिक संघ के सदस्य थे ताकि उनके विवादों को सुलझाया जा सके। व्यापारियों के लिए न्यायालय का सहारा लेने से पहले अपने विवादों को महाजनों के पास भेजना अनिवार्य था। यदि कोई व्यापारी इस नियम का उल्लंघन करता तो उसे उस संघ की सदस्यता से हटा दिया जाता था।[43]

यह उल्लेखनीय है कि समकालीन समय में आदिवासी क्षेत्रों में, विशेष रूप से भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में, विवादों को हल करने के पारंपरिक तरीके आज भी व्यापक स्वीकार्यता के साथ उपयोग में हैं। अरुणाचल प्रदेश में, आदि केबांग के पास

---

kya%20and%20Narada; शिवराज एस. हुच्छनवार, "द लीगल सिस्टम इन एन्सिएंट इंडिया" at https://www.legalservicesindia.com/article/1391/The-Legal-system-in-ancient-India.html

[43] एम.सी.पी.सी., सुप्रीम कोर्ट, मीडियेशन ट्रेनिंग मैन्युअल ऑफ़ इंडिया, p. 4.

दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई करने की न्यायिक शक्ति है। आदि केबांग मूल रूप से वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) मंच प्रदान करने वाली एक गैर-विरोधी पारंपरिक ग्राम परिषद प्रणाली है। विवाद के पक्ष औपचारिक अदालतों में जाने के बजाय अपने विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए केबांग से संपर्क करते हैं। केबांग युगों से मध्यस्थता और सुलह की प्रथा का पालन कर रहे हैं। यह व्यवस्था अभी भी जारी है। अरुणाचल प्रदेश के लोगों का केबांग में विश्वास है क्योंकि यह आर्थिक रूप से और प्रभावी ढंग से त्वरित न्याय प्रदान करता है।

मध्यस्थता या पंचायतों के माध्यम से विवादों को हल करने या तय करने की प्रथा देश के ग्रामीण हिस्सों में इतनी प्रमुख थी कि दोनों पक्ष इसे एक दायित्व के रूप में स्वीकार करते थे। पंचायत प्रणाली ने स्थिति के अनुसार विवाद के निपटारे के लिए मध्यस्थता, सुलह और विवाचन का पालन किया। जहां मध्यस्थता या सुलह के माध्यम से विवाद का निपटारा नहीं किया जा सकता था, वहां पंचायतें दोनों पक्षों को सुनती थीं और विवादों का फैसला करती थीं।

महान हिंदी लेखक मुंशी प्रेमचंद ने पंचायतों के माध्यम से विवादों को तय करने की प्रथा पर एक छोटी सी कहानी लिखी थी जिसमें उन्होंने पंचों के पवित्र कर्तव्यों पर जोर दिया था।

पंच परमेश्वर की कहानी का सार कुछ इस प्रकार है - एक गाँव में दो अच्छे दोस्त अलगू चौधरी और जुम्मन शेख रहते थे। उनकी दोस्ती उस गांव में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक आदर्श दोस्ती थी। जुम्मन की बूढ़ी मौसी ने अपनी जमीन जुम्मन को इस शर्त पर हस्तांतरित कर दी कि वह उसकी मृत्यु तक उसकी बुनियादी जरूरतों का ख्याल रखेगा। कुछ समय बाद जुम्मन और उसकी पत्नी उसकी जरूरतों को अनदेखा करने लगे और उसके साथ दुर्व्यवहार भी करने लगे। उसने एक पंचायत बुलाई और अलगू को पंचों में से एक पंच बनाया। अलगू ने उससे कहा कि वह जुम्मन का घनिष्ठ मित्र है, इसलिए उसे किसी और व्यक्ति को चुन लेना चाहिए। मौसी ने जवाब दिया कि एक पंच होने के नाते, उसे सिर्फ इसलिए अपने कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि दूसरा पक्ष उसका मित्र है। अलगू ने अनिच्छा से पंच बनने के उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जुम्मन सहित सभी को विश्वास था कि मामला जुम्मन के पक्ष में ही तय होगा, क्योंकि अलगू उसका सबसे अच्छा दोस्त था।

अलगू ने पहले दोनों से कहा कि वे अपना विवाद अपने आप ही सुलझा लें। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने दोनों की बात ध्यान से सुनी और जुम्मन को अपनी मौसी को मासिक भत्ता देने का निर्देश देकर विवाद का फैसला मौसी के पक्ष में कर दिया। हर कोई हैरान था कि अलगू ने अपने सबसे अच्छे दोस्त जुम्मन के खिलाफ फैसला दिया, लेकिन सभी ने इस

फैसले की सराहना की। इस फैसले के बाद जुम्मन अलगू का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। वह इतना नाराज़ हुआ कि उसने अलगू से हिसाब बराबर करने का मन ही मन फैसला कर लिया।

जीवन आगे बढ़ता गया। इसी दौरान अलगू ने अपना बैल एक व्यापारी को बेच दिया। बैल अच्छी नस्ल का और स्वस्थ था। व्यापारी ने कुछ समय बाद बैल की कीमत चुकाने का वचन दिया। व्यापारी बहुत लालची था और वह बैल पर बहुत सारा सामान लाद देता था और उसे भरपेट भोजन भी नहीं देता था। एक दिन उसने भूखे बैल पर इतना बोझ डाला कि वह चल नहीं सका और कुछ कदम चलने के बाद गिर पड़ा और मर गया। जब अलगू ने बैल का मूल्य मांगा तो व्यापारी ने उत्तर दिया कि बैल बीमार, कमजोर और बेकार था इसलिए मर गया। इसलिए बैल की कीमत चुकाने का तो सवाल ही नहीं होता। अलगू ने पंचायत बुलाई और व्यापारी ने जुम्मन को अपना पंच नियुक्त किया, जिसे अलगू ने भी मान लिया।

सभी को विश्वास था कि जुम्मन अपने निजी प्रतिशोध को निपटाने का सुअवसर अपने हाथ से जाने नहीं देगा। जुम्मन भी बदला लेने के लिए तैयार था। हालाँकि, जब उन्होंने पंच का पदभार ग्रहण किया, तो उनके व्यवहार में एक बड़ा बदलाव आया। उन्होंने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामला अलगू के पक्ष में तय किया। सभी ने फैसले का स्वागत किया और पंचों की सराहना की। जुम्मन को भी इस बात का आभास हो गया था कि

पंच न्याय के अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकता। इस कहानी से हमे यह नीतिगत संदेश मिलता है कि पंच सामान्य व्यक्ति नहीं होता है क्योंकि स्वयं भगवान उनमें उपस्थित होते हैं। न्याय करते समय पंच निष्पक्ष, ईमानदार और कर्तव्यपरायण हो जाते हैं और वे केवल न्याय करना ही अपना परम धर्म समझते हैं।

पंच परमेश्वर की कहानी दर्शाती है कि प्राचीन काल में हमारी पंचायत प्रणाली कितनी महत्वपूर्ण और प्रभावी थी।

पंचायत प्रणाली, जो पहले के समय में प्रचलित थी और जो अब भी देश के कुछ हिस्सों में प्रचलित है, का उल्लेख करने के बाद अब वैकल्पिक विवाद समाधान के एक प्रमुख तरीके के रूप में मध्यस्थता के बारे में चर्चा करना उचित होगा।

मध्यस्थता के महत्व और प्रासंगिकता को सभी युगों में और दुनिया के सभी देशों में मानव सभ्यता के पूरे इतिहास में मान्यता दी गई है। मध्यस्थता अफ्रीका, चीन, ग्रीस और मध्य पूर्व में बहुत पहले से मौजूद थी और "अरबी और इस्लामी परंपरा का एक हिस्सा" भी थी।[44]

मध्यस्थता विवाद समाधान के एक तरीके के रूप में भारत में अति प्राचीन काल से लागू थी। मध्यस्थता के उदाहरण

[44] अधिक जानकारी के लिये देखें, के.एस. सरमा, "ट्रेडिशनल मीडियेशन प्रैक्टिसेज इन इंडिया एंड अदर कल्चर्स" इन इ-मीडियेशन राइटिंग्स, *मीडियेशन कम्पेंडियम* (2021), pp. 46-52.

हमारे समाज में दिन-प्रतिदिन देखे जा सकते हैं, जिसका विस्तृत वर्णन अगले अध्याय में किया गया है।

भारत वर्ष के त्रेता युग और द्वापर युग के दो महान महाकाव्य - क्रमशः रामायण और महाभारत भी मध्यस्थता का उल्लेख करते हैं। मध्यस्थता त्रेता युग से भी पुरानी है और सत युग में भी पाई जा सकती है।

त्रेता युग में राम और रावण के बीच युद्ध टालने के लिए मध्यस्थता की गई थी। राम और रावण के बीच मध्यस्थता करने के लिए राम ने अंगद को रावण के महल में भेजा था ताकि उनके बीच युद्ध को टाला जा सके। रावण ने अंगद का ठीक से स्वागत नहीं किया। यहाँ तक कि उन्हें बैठने के लिए आसन तक भी उपलब्ध नहीं कराया। इतना ही नहीं, रावण ने राम के बारे में भी अपशब्द कहे। अंगद ने कहा कि नियम के अनुसार, उन्हें राम के पास वापस लौट जाना चाहिए था क्योंकि एक राजदूत होने के नाते वे रावण से अच्छे व्यवहार के न्यूनतम शिष्टाचार के पात्र थे, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया। फिर भी, उन्होंने अपमान के बाद भी वहाँ रहना उचित समझा क्योंकि शांतिप्रिय राम के दूत होने के नाते, वे राम और रावण के बीच मध्यस्थता करके युद्ध को टालना चाहते थे। अंगद ने वानर होने के कारण अपनी पूँछ को लंबा किया और उसे कुंडलित करके अपना आसन बनाकर उस पर बैठ गये। अब उनका आसन प्रचलित नियमों के अनुसार रावण के आसन के बराबर था। अंगद ने रावण से कहा कि

उसकी लंका राम की सेना से घिरी हुई है और वह उसके क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए राम के संकेत की प्रतीक्षा कर रही है।

उन्होंने आगे कहा कि राम ने उन्हें युद्ध टालने का अंतिम अवसर दिया है। अंगद ने अपने संचार कौशल का उपयोग करते हुए रावण को शांति का मार्ग स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश की। अंगद ने आगे कहा कि यदि युद्ध होगा तो उनके और उनके परिवार के सदस्यों के साथ बहुत सारे निर्दोष व्यक्ति भी मारे जाएंगे। इसलिए, उन्होंने रावण को सीता को राम को लौटाने और अपने पाप के लिए क्षमा मांगने की सलाह दी। अंगद ने कहा ऐसा करने से राम उसके द्वारा किए गए सभी दुष्कर्मों के लिए उसे क्षमा कर देंगे और युद्ध भी टल जाएगा। चूंकि रावण इतना घमंडी, जिद्दी और अति आत्मविश्वासी था कि उसने न केवल माता सीता को वापस लौटाने से मना किया, बल्कि अपने दरबार में अंगद के साथ-साथ राम का भी मजाक उड़ाया। उसने राम को कायर कहा, क्योंकि वह युद्ध को टालने और शांति बनाए रखने में रुचि रखते थे।

जब अंगद ने रावण को याद दिलाया कि अतीत में कई मौकों पर उसे कैसे अपमानित किया गया था, तो वह क्रोधित हो गया और उसने अपने सुरक्षाकर्मियों को अंगद को दरबार से बाहर फेंकने का आदेश दिया। उस समय अंगद ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और रावण और उसके सुरक्षाकर्मियों को

अपना पैर ज़मीन पर रख कर उसे हटाने की चुनौती दी। उन्होंने रावण के दरबार में वचन दिया कि अगर कोई भी उनका पैर उस स्थान से हटा देगा, तो राम अपनी हार मान लेंगे और रावण की लंका पर युद्ध किए बिना वापस चले जाएंगे। लंका के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक, उनके अपने बेटे मेघनाद सहित रावण के दरबार में कोई भी अंगद के पैर को उसके स्थान से नहीं हटा सका। अंत में रावण स्वयं अंगद का पैर हटाने के लिए अपने सिंहासन से उठा और उसके पास पहुंचा। अंगद तुरंत आगे बढ़े और रावण से कहा कि उनके पैर छूने के बजाय उन्हें राम के पैर छूकर माफी मांगनी चाहिए।

यहाँ रावण के हठ के कारण मध्यस्थता विफल रही और राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। परिणामस्वरूप, रावण बुरी तरह पराजित हुआ और वह अपने सभी योद्धाओं के साथ मारा गया।

द्वापर युग में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी, जहां स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने मध्यस्थता की थी। कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के युद्ध को टालने के लिए की गई उस मध्यस्थता की विस्तृत चर्चा अध्याय 4 में की गई है।

इस प्रकार, इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि मध्यस्थता की संस्था भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत से बहुत पहले से लागू थी। वास्तव में, भारतीय सभ्यता अन्य सभ्यताओं की तुलना में बहुत अधिक पुरानी है और जो भी प्राचीन भारत

पर साहित्य उपलब्ध है, उसमें मध्यस्थता के उदाहरण आसानी से पाए जा सकते हैं।

समकालीन समय में भी, उच्चतम न्यायालय द्वारा सबसे पुराने और जटिल मामलों में से एक में मध्यस्थता का आह्वान किया गया था। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ ने विवाद के "स्थायी समाधान" खोजने की आशा में मामले को न्यायालय की निगरानी में न्यायालय द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय पैनल को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल की अध्यक्षता पूर्व न्यायमूर्ति एफ. एम. आई. खलीफुल्लाह ने की। अन्य दो सदस्य श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम पंचू थे।[45]

इस मामले में समाज के नामी-गिरामी लोगों द्वारा मध्यस्थता किए जाने के बावजूद भी इस मामले में मध्यस्थता सफल नहीं रही और अंतत: इस मामले का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। बावजूद इसके कि इस मामले में मध्यस्थता सफल नहीं हुई, सर्वोच्च न्यायालय ने इस संवेदनशील मामले में मध्यस्थता प्रक्रिया को अपनाकर मध्यस्ता को एक विवाद समाधान की संभावित प्रभावी विधि के रूप में उजागर किया।

[45] https://www.livelaw.in/top-stories/ayodhya-babri-land-dispute-mediation-supreme-court-143401?infinitescroll=1

अध्याय के अन्त में, विलियम जेम्स को यहाँ उद्धृत करना उचित होगा:

> "जब भी आप किसी के साथ संघर्ष में होते हैं, तो एक कारक होता है जो आपके रिश्ते को नुकसान पहुँचाने और इसे गहरा करने के बीच अंतर कर सकता है। वह कारक रवैया है।"[46]

मध्यस्थ वह व्यक्ति होता है जो पक्षकारों को उनके विवाद को सुलझाने के लिए वह रवैया अपनाने में सहायता करता है।

[46] https://www.goodreads.com/quotes/54022-whenever-you-re-in-conflict-with-someone-there-is-one-factor

अध्याय 2
मध्यस्थता

"गीता में, हम संप्रदायों के बीच संघर्ष की दूर की आवाज सुनते हैं, और भगवान श्रीकृष्ण उन सभी में सद्भाव लाने के लिए बीच में आते हैं; वह सद्भाव के महान शिक्षक हैं।"

स्वामी विवेकानंद

2. मध्यस्थता

"मैंने कानून का सही अभ्यास सीखा था। मैंने मानव स्वभाव के बेहतर पक्ष का पता लगाने और मनुष्यों के दिल में प्रवेश करना सीखा था। मैंने महसूस किया कि एक वकील का असली काम विवाद में शामिल पक्षों को एकजुट करना है। यह सबक मेरे अंदर इस कदर समाया हुआ था कि एक वकील के रूप में मेरे बीस वर्षों के अभ्यास के दौरान मेरा अधिकांश समय सैकड़ों मामलों में निजी समझौते करवाने में लगा था। मैंने कुछ भी नहीं खोया, पैसा भी नहीं और निश्चित रूप से अपनी आत्मा भी नहीं।"

महात्मा गांधी

मध्यस्थता भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा रही है। भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र के रूप में हमेशा विवादित पक्षों के

बीच तनाव कम करने और समाज में शांति बनाये रखने में विश्वास करता रहा है। मध्यस्थता हमारी परंपराओं और रीति-रिवाजों में अंतर्निहित है। व्यावहारिक रूप से मध्यस्थता को हमारे व्यवहार के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि मध्यस्थता उतनी ही पुरानी है जितनी कि मानव सभ्यता।

मध्यस्थता समाज से संघर्षों को समाप्त करने के बारे में नहीं है। संघर्ष मानव व्यवहार का हिस्सा हैं और इसलिए यह दुनिया के सभी समाजों में सदैव रहेगा। मध्यस्थता पारस्परिक हितों और पक्षकारों के सहयोगात्मक प्रयासों के आधार पर संघर्ष को सहयोग में बदलने के बारे में है।[1]

भारतीय समाज में मध्यस्थता के अंतहीन उदाहरण मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब बच्चे झगड़ते हैं, तो माता-पिता या परिवार के बुजुर्ग उनके बीच मध्यस्थता करते हैं और मामले को सुलझाते हैं। छात्रों के मामले में भी ऐसा ही है, जहां शिक्षक विवादित छात्रों के बीच मध्यस्थता करते हैं। इसी तरह, जब दो पड़ोसियों के बीच विवाद होता है, तो अन्य पड़ोसी मध्यस्थता करके मामले को सुलझाते हैं। पति-पत्नी, भागीदारों, दोस्तों, परिवार के सदस्यों, नियोक्ता और

[1] अधिक जानकारी के लिये देखिए निरंजन जे. भट्ट, "रोल ऑफ़ 'थर्ड पार्टी' इन मिडियेशन" इन सुधांशु बतरा, एट.एल. (eds.), *द पॉवर ऑफ़ मीडियेशन* (2020), p. 51.

कर्मचारियों, विक्रेताओं और खरीदारों, आदि के बीच विवाद आमतौर पर मध्यस्थता के माध्यम से संभव सीमा तक सुलझाए जाते रहे हैं। कभी-कभी लोगों के एक समूह द्वारा सामूहिक मध्यस्थता भी की जाती है। इसलिए भारत के लिए मध्यस्थता कोई नई अवधारणा नहीं है। कई अन्य देशों के लिए भी यही सच हो सकता है।

मध्यस्थता की प्रणाली गाँव के बुजुर्गों, सामुदायिक कार्यकर्ताओं और समाज की अन्य प्रमुख हस्तियों आदि द्वारा विकसित की गई थी, जिनकी कानून की पृष्ठभूमि नहीं थी। इन तथाकथित "गैर-वकील" मध्यस्थों ने देश की स्वदेशी न्याय प्रदान प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।[2]

संघर्ष /विवाद को हल करने के लिए पुराने जमाने की मध्यस्थता को "एक पेड़ के नीचे बैठे तीन लोगों" के रूप में वर्णित किया गया है।[3] समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से मध्यस्थता प्रक्रिया अत्यावश्यक आधार पर पूरी तरह से सेवा उन्मुख थी।

---

[2] अधिक जानकारी के लिये देखिए अनिल ज़ेवियर, "लॉयर मीडिएटर, नॉन-लॉयर मीडिएटर – हु इज बैटर?" available at https://www.arbitrationindia.com/lawyer_non_lawyer.html

[3] ग्रेग एफ. रेलिया, "मिडियेशन: ए पावरफुल टूल फॉर रिस्क रिडक्शन एंड रिवॉर्ड एक्सपेंशन इन द कॉमर्शियल सेक्टर" इन सुधांशु बतरा, एट.एल. (eds.), *द पॉवर ऑफ़ मीडियेशन* (2020), pp. 33-34.

न्यायमूर्ति सीकरी के अनुसार, मध्यस्थता में "आध्यात्मिकता का प्रभाव" होता है, और यह समाज में शांति और सद्भाव के अलावा समृद्धि लाता है।[4] यह एकमात्र प्रक्रिया है जो "पक्षकारों की भावनात्मक जरूरतों" को संबोधित करती है।[5]

अमरजीत सिंह चंडियोक भी "मध्यस्थता" को "एक शांति-निर्माण प्रक्रिया और समाज में सद्भाव बनाने की दृष्टि से एक सेवा उन्मुख कर्तव्य" के रूप में परिभाषित करते हैं। वह आगे कहते हैं कि मध्यस्थता "सभी मतभेदों और विवादों, चाहे वह वाणिज्यिक हो या व्यक्तिगत, को हल करने के लिए एक मंच है"।[6]

मध्यस्थता मूल रूप से एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, जिसमें बल या जबरदस्ती का कोई तत्व नहीं होता है। कोई भी पक्ष किसी भी समय मध्यस्थता की कार्यवाही से बाहर निकल सकता है यदि वह किसी भी कारण से असहज

---

[4] जस्टिस ए.के. सीकरी, "द सिंगापुर कन्वेंशन: ए पैराडाइम शिफ्ट फॉर मिडियेशन" इन सुधांशु बतरा, एट.एल. (eds.), *द पॉवर ऑफ़ मीडियेशन* (2020), p. 31.

[5] जे.पी. सिंघ, "इम्पावरिंग सस्टेनेबल नेगोशिएशनस इन द न्यू वर्ल्ड ऑफ़ मीडियेशन" इन सुधांशु बतरा, एट.एल. (eds.), *द पॉवर ऑफ़ मीडियेशन* (2020), p. 93.

[6] अमरजीत सिंह चण्डियोक उद्धृत इन सुधांशु बतरा, एट.एल. (eds.), *द पॉवर ऑफ़ मीडियेशन* (2020), p. 8.

महसूस करता है। इसके अलावा, कार्यवाही में कितनी जानकारी प्रकट की जानी है, यह पक्षकारों पर निर्भर करेगा, क्योंकि यह उनका मामला है। इसलिए मध्यस्थता प्रक्रिया में गोपनीयता बनी रहती है।

मोती राम (मृतक) जरिये विधिक प्रतिनिधि और अन्य बनाम *अशोक कुमार और अन्य*[7], के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की कार्यवाही की गोपनीयता पर जोर दिया। न्यायालय ने कहा कि "न्यायालय में कार्यवाही जो सार्वजनिक रूप से खुले तौर पर आयोजित की जाती है" के विपरीत, मध्यस्थता की कार्यवाही पूरी तरह से गोपनीय होती है। न्यायालय ने इस वाद में निम्नलिखित महत्वपूर्ण टिपण्णी कीं:

> "यदि मध्यस्थता सफल होती है, तो मध्यस्थ को मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान क्या हुआ, इसका उल्लेख किए बिना दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित समझौते को अदालत में भेजना चाहिए। यदि मध्यस्थता असफल होती है, तो मध्यस्थ को अपनी रिपोर्ट में केवल एक वाक्य लिखकर यह कहते हुए न्यायालय को भेजना चाहिए कि 'मध्यस्थता असफल रही'। इसके अलावा, मध्यस्थ को मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान की गई चर्चा, प्रस्ताव या

[7] निर्णय की तिथि 7 दिसम्बर, 2010; देखिए https://indiankanoon.org/doc/79225691/

> कार्यवाही के बारे में कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मध्यस्थता में बहुत बार पक्षकारों द्वारा पेशकश, प्रति पेशकश और प्रस्ताव रखे जाते हैं, लेकिन जब तक पक्षकार उनके द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौते तक नहीं पहुँचते, तब तक यह संपन्न अनुबंध नहीं माना जाता। यदि मध्यस्थता की कार्यवाही में होने वाली घटनाओं का खुलासा किया जाता है, तो यह मध्यस्थता प्रक्रिया की गोपनीयता को नष्ट कर देगा"।

लॉर्ड गिल के अनुसार, "मध्यस्थता पक्षकारों को अधिक संभावित परिणाम और महत्वपूर्ण रूप से, वांछित परिणाम प्रदान कर सकती है"।[8] यह दोनों पक्षों के लिए एक जीत की स्थिति जैसा परिणाम होता है।

मध्यस्थता को एक ऐसी कला के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसके द्वारा मध्यस्थ दोनों पक्षों को केक बांटने के लिए इस तरह से प्रोत्साहित करता है कि प्रत्येक पक्ष इस

[8] लार्ड गिल उद्धृत इन अनीता साहनी, "डोमेस्टिक वायलेंस: इज मीडियेशन ए पनासिया ओर ऐन इल्लूजन?" इन सुधांशु बतरा, एट.एल. (eds.), *द पॉवर ऑफ़ मीडियेशन* (2020), pp. 172.

विश्वास में जश्न मनाता है कि जैसे उसे केक का सबसे बड़ा टुकड़ा मिल गया हो।[9]

लैला ओल्लापल्ली के अनुसार, मध्यस्थता के चार स्तंभ हैं - (i) पक्षकार की स्वायत्तता, (ii) गोपनीयता, (iii) तटस्थता, और (iv) स्वैच्छिकता, जो इसे विवाद समाधान का एक अनूठा माध्यम बनाती है।[10] हालाँकि, वीना रल्ली कहती हैं कि "मध्यस्थता एक लचीली, फिर भी संरचित प्रक्रिया है जो पाँच अलग-अलग तत्वों द्वारा निर्देशित होती है, जैसे कि गोपनीयता, स्वैच्छिकता, सशक्तिकरण, तटस्थता और रचनात्मक समाधान"।[11]

एक अनौपचारिक कार्यवाही होने के नाते, मध्यस्थता प्रक्रियात्मक कानूनों या साक्ष्य के कानून पर आधारित नहीं होती है। मध्यस्थता की कार्यवाही में भाग लेने के लिए पक्षकारों को कानूनी विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती है। पक्षकारों को बहुत लचीलापन मिलता है क्योंकि मध्यस्थता

---

[9] अधिक जानकारी के लिये देखिए गाउगुइन उद्धृत इन तिमोथी डी. कीटर, "कॉन्फ़लिक्ट वर्सस डिसप्यूट?" (2011) at http://www.uop.edu.pk/ocontents/ConflictvsDisputeKeator2.pdf

[10] लैला ओल्लापल्ली, "प्राइवेट मीडियेशन: पीसमेकिंग ऐज़ ए प्रोफेशन" इन सुधांशु बतरा, एट.एल. (eds.), *द पॉवर ऑफ़ मीडियेशन* (2020), pp. 101.

[11] वीणा रैल्ली, "बैलेंसिंग पार्टीज इन रिज़ॉल्विंग फ़ैमिली डिस्प्यूट्स" इन सुधांशु बतरा, एट.एल. (eds.), *द पॉवर ऑफ़ मीडियेशन* (2020), pp. 158-59.

भागीदारी की कार्यवाही है और पक्षकार स्वयं निर्णय लेते हैं। इसके अतिरिक्त मध्यस्थता कार्यवाही पारदर्शी रहती है। सब कुछ पक्षकारों के सामने होता है। मध्यस्थता में अचानक या आश्चर्य जैसा कुछ नहीं होता।

भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ ने हाल ही में कहा कि मध्यस्थता एक विरोधात्मक, औपचारिक प्रक्रिया को अधिक सहयोगी, रुचि-आधारित प्रक्रिया में बदल देती है।[12]

सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन, तमिलनाडू बनाम *भारत संघ* (2005)[13] में सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट मध्यस्थता नियम, 2003 से सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के संदर्भ में मध्यस्थता की निम्नलिखित परिभाषा को संदर्भित किया:

> "मध्यस्थता द्वारा निपटान का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा पक्षकारों या न्यायालय द्वारा नियुक्त एक मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, पक्षकारों के बीच विवाद

[12] अधिक जानकारी के लिए देखें "सीजेआई चन्द्रचूड़ बैट्स फॉर मीडियेशन ऐज़ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर इंडीविडुअल्स, गवर्नमेंट" ऐट
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/99501254.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

[13] (2005) 6 SCC 344.

> की मध्यस्थता करता है ..., और विशेष रूप से, पक्षकारों के बीच सीधे या एक दूसरे के साथ संवाद करके, मुद्दों की पहचान करने में पक्षकारों की सहायता करता है, गलतफहमियों को कम करता है, प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है, समझौते के क्षेत्रों की खोज करता है, विवाद को हल करने के प्रयास में विकल्प उत्पन्न करता है और इस बात पर जोर देता है कि यह निर्णय लेने के लिए पक्षकारों की स्वयं अपनी जिम्मेदारी है जो उन्हें प्रभावित करती है।"

वारेन बर्गर के अनुसार, मध्यस्थता "विवाद को एक ऐसे ढंग से हल करती है जो निजी, तेज और किफायती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक तटस्थ हस्तक्षेपकर्ता दो या दो से अधिक वार्ताकारों को चिंता के मामलों की पहचान करने, उनकी स्थिति की बेहतर समझ विकसित करने और उस बेहतर समझ के आधार पर उन चिंताओं को हल करने के लिए पारस्परिक रूप से स्वीकार्य प्रस्ताव विकसित करने में सहायता करता है। यह लोकतांत्रिक निर्णय लेने के दर्शन को अपनाता है"।[14]

---

[14] अल्फ़िन एट.एल., *मीडियेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस*, (2006) उद्धृत इन *विक्रम बख्शी एंड अदर्स* v. *सोनिया खोसला (डेड) बाइ एलआरएस*, (2014) 15 SCC 80.

मध्यस्थता पक्षकारों के दृष्टिकोण "मेरा मार्ग या राजमार्ग" को पूरी तरह से खारिज करती है। यह "हमारा मार्ग" दृष्टिकोण पर आधारित है। मध्यस्थता का प्रमुख उद्देश्य "विवादों का सहयोगी समाधान" है, जैसा कि न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा है। वह यह कहकर मध्यस्थता की अवधारणा को विस्तृत करने के लिए अपनी बात को आगे बढ़ाते है कि "चर्चा हमेशा तर्कों से बेहतर होती है, क्योंकि एक तर्क यह पता लगाने के लिए होता है कि कौन सही है, और एक चर्चा यह खोजने के लिए है कि क्या सही है"।[15]

मध्यस्थता में परिवर्तनकारी दृष्टिकोण भी पाया जाता है। यह न केवल पक्षकारों के बीच विवादों को सुलझाती है बल्कि समय-समय पर उनके संबंधों को बेहतरी के लिए भी बदलती है। "परिवर्तन मध्यस्थता प्रक्रिया का लक्ष्य है। भावनात्मक उपचार प्रक्रिया के बिना कोई परिवर्तनकारी समाधान नहीं हो सकता है"।[16]

सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुंदरेश मेनन ने यह भी कहा कि "मध्यस्थता में समाज के 'न्याय' के विचारों

---

[15] जस्टिस ए.के. सीकरी, "द सिंगापुर कन्वेंशन: ए पैराडाइम शिफ्ट फॉर मीडियेशन" इन सुधांशु बतरा, एट.एल. (eds.), *द पॉवर ऑफ़ मीडियेशन* (2020), pp. 12-13.

[16] वीणा रैल्ली, "बैलेंसिंग पार्टीज इन रिज़ॉल्विंग फ़ैमिली डिस्प्यूट्स" इन सुधांशु बतरा, एट.एल. (eds.), *द पॉवर ऑफ़ मीडियेशन* (2020), p. 158.

को प्रतिकूल शून्य योग परिणामों से अधिक प्रभावी संबंधपरक परिणामों में बदलने की क्षमता है, क्योंकि मध्यस्थता, विवाचन और सुलह जैसे तंत्र भविष्य में रिश्तों में गिरावट और दरार को रोकते हैं"।[17]

रॉबर्ट ए. बारूक बुश और जोसेफ फोल्गर कहते हैं कि "मध्यस्थता लोगों और उनके पारस्परिक संबंधों में ना केवल एक अल्पकालिक समस्या का समाधान करती है बल्कि बहुत गहरे परिवर्तन को प्रभावित कर सकती है"। उन्होंने आगे कहा कि, "मध्यस्थता का सबसे बड़ा मूल्य न केवल लोगों की समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता में निहित है, बल्कि संघर्ष के बीच में लोगों को खुद को बेहतर बनाने के लिए बदलना है"।[18]

मध्यस्थता के मौलिक लाभों का उल्लेख करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने *विक्रम बख्शी और अन्य* बनाम *सोनिया खोसला*[19] मामले में निम्नलिखित महत्वपूर्ण टिपण्णी कीं:

---

[17] देखे https://www.indiatoday.in/india/story/amicable-dispute-settlement-is-part-of-indian-cultural-ethos-says-cji-nv-ramana-1829436-2021-07-17

[18] रॉबर्ट ए. बरूच बुश एंड जोसेफ फ़ॉल्गर, *द प्रॉमिस ऑफ़ मीडियेशन* (1994) उद्धृत इन अनिल ज़ेवियर, "मीडियेशन इज हेयर टू स्टे", *इण्डियन ईयरबुक ऑफ़ इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिसी* (2009), pp. 363-78 at p. 371 at http://arbitrationindia.com/pdf/mediation_tostay.pdf

[19] (2014) 15 SCC 80.

> "संचार को बनाए रखने, विकसित करने और सुधारने के लिए, समझ के सेतु का निर्माण करना, आपसी लाभ के समाधान के लिए विकल्पों का पता लगाना, स्पष्ट से अस्पष्ट खोजना, एक समस्या की तह तक जाना और विवादित पक्षों के अंतर्निहित हितों को ढूँढना, रिश्तों को बनाए रखना और समस्या का सहयोगात्मक हल करना मध्यस्थता के कुछ मूलभूत लाभ हैं। यहां तक कि उन मामलों में भी जहां रिश्ते कटु हो गए हैं, मध्यस्थता सकारात्मक परिणाम देने में सक्षम रही है, जिससे पक्षों के बीच शांति और सौहार्द बहाल हुआ है।"[20]

मध्यस्थता प्रक्रिया को मुकदमेबाजी के विपरीत कहा जाता है। मुकदमेबाजी में, पक्षकार आपस में दूरी बनाए रखते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। मुकदमेबाजी "दोष खोजने" पर केंद्रित है, जबकि दूसरी ओर मध्यस्थता पक्षकारों को एक-दूसरे से बात करने और मध्यस्थ की मदद से अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए कहा जाता है कि मध्यस्थता "समस्या-समाधान" पर केंद्रित है।[21]

---

[20] *Id.*, पैराग्राफ 16.

[21] ए.जे. जवाद, "इंटरप्ले बिटवीन डोमेन नॉलेज एंड प्रोसेस नॉलेज इन मीडियेशन" इन सुधांशु बतरा, एट.एल. (eds.), *द पॉवर ऑफ़ मीडियेशन* (2020), p. 148.

मध्यस्थता भावनात्मक उपचार स्पर्श प्रदान करती है जो कभी-कभी पक्षकारों को भविष्य में और अधिक घनिष्ठता से काम करने में मदद करती है। अनिल ज़ेवियर के अनुसार, "मुकदमे को ठंडा, कठिन और बेपरवाह कहा जाता है। दोनों पक्षों को हिदायत दी जाती है कि वे एक-दूसरे से बात न करें और न ही किसी पक्ष को अपनी चिंताओं के बारे में बताएं। मध्यस्थता चिंताओं को दूर करने, भावनात्मक उपचार को बढ़ावा देने और चल रहे रिश्तों को संरक्षित करने के लिए पक्षकारों के बीच आपसी समझ पैदा करने के लिए सहानुभूति की मनोवैज्ञानिक शक्ति का उपयोग करती है।"[22]

भगवान श्रीकृष्ण ने भी मध्यस्थता के माध्यम से कौरवों और पांडवों के बीच रक्तस्राव वाले रिश्ते का उपचार करने की कोशिश की, लेकिन वें ऐसा करने में असफल रहे क्योंकि कौरवों की ओर से दुर्योधन किसी भी समाधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इस विषय पर अध्याय 4 में विस्तार से चर्चा की गई है।

---

[22] रॉबर्ट ए. बरूच बुश एंड जोसेफ फ़ॉल्गर, *द प्रॉमिस ऑफ़ मीडियेशन* (1994) उद्धृत इन अनिल ज़ेवियर, "मीडियेशन इज हेयर टू स्टे", *इण्डियन ईयरबुक ऑफ़ इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिसी* (2009), pp. 363-78 at p. 373 available at http://arbitrationindia.com/pdf/mediation_tostay.pdf

विवाचन और मुकदमेबाजी के साथ मध्यस्थता की तुलना करते हुए, जवाद ने ठीक ही कहा है कि "मुकदमे और विवाचन के विपरीत, मध्यस्थता विवादित पक्षों के वास्तविक, अंतर्निहित हितों, उनके डर और चिंताओं, उनकी अनुभूति और भावनाओं और उनकी भविष्य की जरूरतों पर केंद्रित होती है"।[23] वह आर्ची ज़रिस्की को उद्धृत करते हुए कहते हैं:

> "मध्यस्थता और कानूनी प्रक्रियाओं के बीच अद्वितीय स्थितियों को प्रत्युत्तर देने की मध्यस्थों की क्षमता एक आवश्यक अंतर है जो संकीर्ण रूप से वर्गीकृत समस्याओं के लिए मानक समाधान प्रदान करती है।"[24]

विवाचन को एक समय विवाद समाधान का समय और लागत प्रभावी तरीका माना जाता था, लेकिन समय के साथ वह एक महंगा माध्यम बन गया और कुछ मामलों में तो अंतिम रूप लेने में बहुत समय लेने लगा। इसके विपरीत मध्यस्थता समय और लागत प्रभावी साबित हुई। जहां

---

[23] ए.जे. जवाद, "इंटरप्ले बिटवीन डोमेन नॉलेज एंड प्रोसेस नॉलेज इन मीडियेशन" इन सुधांशु बतरा, एट.एल. (eds.), *द पॉवर ऑफ़ मीडियेशन* (2020), p. 148.

[24] अर्चि ज़रीस्की, "स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ़ जायंट्स: आर्टिस्ट्री, एक्स्पर्टीज़ एंड प्रोफेशनलिसम इन मीडियेशन एंड द रोल ऑफ़ हायर एजुकेशन" उद्धृत इन ए.जे. जवाद, *id.*, p. 149.

पक्षकार अपने बीच विवाद को मध्यस्थता द्वारा हल करने की इच्छा दिखाते हैं, उन सभी मामलों में विवादों को प्रभावी ढंग से और बहुत कम समय में हल किया जा सकता है।

आम आदमी की भाषा में मध्यस्थ विवादित पक्षों को एक समाधान तक पहुँचने में सहायता करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। ऐसा कहा जाता है कि मध्यस्थ "विवाद चिकित्सक" की भूमिका निभाता है, जो विवाद के पक्षों के बीच उपचार प्रक्रिया शुरू करता है।[25] विवाद के पक्षकार कार्यवाही के नियंत्रण में रहते हैं। जैसा कि पहले ही कहा गया है कि मध्यस्थता की कार्यवाही को सहभागी कार्यवाही भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों पक्ष किसी समाधान तक पहुँचने के लिए कार्यवाही में भाग लेते हैं। यदि कार्यवाही के दौरान एक पक्ष प्रबल या निष्क्रिय हो जाता है तो मध्यस्थता संभव नहीं होती। इसलिए, दोनों पक्षों से अपेक्षा की जाती है कि वे मध्यस्थता को सफल बनाने के लिए सक्रिय भागीदारी निभाएं।

सही मायनों में, मध्यस्थों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वें पक्षकारों के बीच न्याय करें या उन्हें विवाद को हल करने के लिए मजबूर करें। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे

---

[25] देखे अनुरूप ओंकार एंड कृतिका कृष्णामूर्थी, "रोल एंड एथिक्स ऑफ़ ए मीडियेटर" इन इ-मीडियेशन राइटिंग्स, *मीडियेशन कम्पेंडियम* (2021), p. 137.

पक्षकारों को अपने लिए निर्णय स्वयं लेने के लिए सशक्त करें। सुधांशु बत्रा "सशक्तिकरण" को "मजबूत और अधिक आत्मविश्वासी बनने की प्रक्रिया, विशेष रूप से अपने जीवन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया" के रूप में परिभाषित करते हैं। यह उत्तरदायित्व की स्वीकृति और स्वयं को पीड़ित के रूप में देखने से इंकार करना है।[26]

मध्यस्थता की कार्यवाही में सफल परिणाम प्राप्त करने के लिए, एक मध्यस्थ के पास अच्छे संचार कौशल, विश्लेषणात्मक कौशल, पारस्परिक कौशल, करुणा, सहानुभूति और इसी तरह के अन्य कौशल होने चाहिए।[27] इसके अतिरिक्त, "मध्यस्थ का कौशल भी शक्ति असंतुलन पर पर्याप्त ध्यान देने और पक्षकारों के बीच शक्ति असंतुलन को समाप्त करने या कम से कम कम करने के लिए रणनीति बनाने में निहित है, ताकि मध्यस्थता को अधिक प्रभावी, तटस्थ और स्वीकार्य बनाया जा सके"।[28]

---

[26] सुधांशु बतरा, "एडिटोरियल आफ्टरवर्ड" इन सुधांशु बतरा, एट.एल. (eds.), *द पॉवर ऑफ़ मीडियेशन* (2020), p. 216.

[27] लैला ओल्लापल्ली, "प्राइवेट मीडियेशन: पीसमेकिंग ऐज़ ए प्रोफेशन" इन सुधांशु बतरा, एट.एल. (eds.), *द पॉवर ऑफ़ मीडियेशन* (2020), p. 101.

[28] देखें वीणा रैल्ली, "बैलेंसिंग पार्टीज इन रिज़ॉल्विंग फ़ैमिली डिस्प्यूट्स" इन सुधांशु बतरा, एट.एल. (eds.), *द पॉवर ऑफ़ मीडियेशन* (2020), p. 160.

स्टीफन कोवे लिखते हैं कि "ज्यादातर लोग समझने के इरादे से नहीं सुनते; वे उत्तर देने के इरादे से सुनते हैं।"[29] मध्यस्थता में भी ऐसा ही होता है। विवाद का प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को ठीक से समझे बिना अपनी राय बनाता है। ऐसे में मध्यस्थ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। मध्यस्थ का यह कर्तव्य है कि वह दोनों पक्षों को एक-दूसरे को ध्यान से सुनने और उनकी बात जानने के लिए तैयार करे। एक बार ऐसा हो जाने के बाद, बिना कठिनाइयों के समस्या का समाधान भी निकल जाता है।

कभी-कभी, मध्यस्थ कार्यवाही में अधिक सक्रिय हो जाता है और पक्षकारों को समस्या का समाधान सुझाता है। इस तरह की कार्यवाही को आम तौर पर सुलह कहा जाता है और समाधान सुझाने वाले व्यक्ति को सुलहकर्ता के रूप में जाना जाता है।

यद्यपि 'मध्यस्थता' और 'सुलह' शब्दों के बीच अंतर है, वही कई क्षेत्राधिकारों में इन शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है।

भारत-सिंगापुर मध्यस्थता शिखर सम्मेलन - 2021 में "सभी के लिए मध्यस्थता: भारत में मध्यस्थता की क्षमता

[29] देखें https://conversational-leadership.net/listen-to-understand/

को महसूस करना" पर व्याखायान देते हुए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन. वी. रमना ने कहा:

> "मध्यस्थता, एक अवधारणा के रूप में, भारतीय लोकाचार में गहराई से अंतर्निहित है। भारत में ब्रिटिश विरोधात्मक (adversarial) प्रणाली के आगमन से बहुत पहले, विवाद समाधान के तरीके के रूप में मध्यस्थता के विभिन्न रूपों का अभ्यास किया जा रहा था। विवादों को अक्सर मुखियाओं या समुदाय के बुजुर्गों द्वारा हल किया जाता था। इसी तरह, व्यवसाय से संबंधित विवादों को व्यापारियों द्वारा, या तो सीधे बातचीत द्वारा या व्यापारी निकायों के माध्यम से सुलझाया जाता था। हालांकि, 1775 में ब्रिटिश न्यायालय प्रणाली की स्थापना ने भारत में समुदाय आधारित स्वदेशी विवाद समाधान तंत्र के क्षरण को चिह्नित किया"।[30]

न्यायमूर्ति रमना ने यह भी कहा कि "मध्यस्थता और सुलह के अनुरूप बनाये गये भागीदारी मॉडल पक्षकारों को एक प्रक्रिया के अंदरूनी पक्ष बनने में सक्षम बनाता है जो पारंपरिक रूप से उन्हें बाहरी लोगों के रूप में मानते हैं"।[31]

---

[30] देखें https://www.deccanherald.com/national/mahabharata-early-attempt-at-mediation-a-tool-of-social-justice-chief-justice-n-v-ramana-1009719.html

[31] *Ibid*.

मध्यस्थता के मामले में, विवाद के पक्ष अनौपचारिक तरीके से अपने मामले को आगे बढ़ाने में आसान और सहज महसूस करते हैं क्योंकि इस प्रक्रिया में कोई तकनीकी पहलू शामिल नहीं है, गोपनीयता बनी रहती है, और साथ ही किसी कानूनी प्रतिनिधित्व की आवश्यकता भी नहीं होती है।[32] चूंकि मध्यस्थता का परिणाम समझौते पर आधारित होता है, इसलिए दोनों पक्ष विजेता के रूप में सामने आते हैं। मध्यस्थता के बाद उनका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो सकता है जो अंततः भविष्य में उनके लिए मददगार हो सकता है।

मध्यस्थता की कार्यवाही में लचीलापन पक्षकारों को कार्यवाही के बीच में विराम लेने के लिए या कार्यवाही को कुछ समय के लिए स्थगित करने के लिए सक्षम कर सकता है ताकि तथ्यों और मुद्दों पर एक अलग दृष्टिकोण से विचार किया जा सके और गतिरोध को समाप्त करने के लिए फिर से मध्यस्थ की सहायता से वापस मध्यस्थता की तरफ़ आया जा सकें।[33]

---

[32] वी.के. आहूजा, "लॉ ऑफ़ मीडियेशन: नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स" इन सूविनीयर ऑफ़ द बार काउंसिल ऑफ़ असम, नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, 2022, p. 47.
[33] देखें सुधीर कुमार जैन, "अंडरस्टैंडिंग इम्पास एंड प्रॉब्लम सोलविंग टेक्नीक्स" इन इ-मीडियेशन राइटिंग्स, *मीडियेशन कम्पेंडियम* (2021), pp. 127-34, at pp. 132-33.

मध्यस्थता का एक अन्य लाभ यह भी है कि दोनों पक्ष खुलकर अपने विचार रख सकते हैं, क्योंकि अदालत की अवमानना जैसा कोई मुद्दा नहीं है। हालांकि दोनों पक्षकारों से उम्मीद की जाती है कि वे शालीनता की लक्ष्मण रेखा नहीं लाँघेगे। फिर भी, यदि कोई पक्ष अपना स्वर ऊँचा करता है, तो मध्यस्थ उस पक्ष को शांत करने के लिए तुरंत हस्तक्षेप कर सकता है और उससे दूसरे पक्ष का विश्वास जीतने के लिए गरिमापूर्ण व्यवहार करने का अनुरोध कर सकता है।

उल्लेखनीय है कि मध्यस्थता वाले मामले अंतिम होते हैं। उन मामलों की कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होता है। इससे पता चलता है कि प्रतिरोधात्मक न्याय व्यवस्था में, यदि कोई मामला निचली अदालत द्वारा निर्णीत किया जाता है, तो वह अंतिम निर्णय के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकता है और ऐसे मामले को अंतिम रूप लेने में दशकों लग सकते हैं। एक पक्ष की जीत होती है और दूसरे की हार तथा साथ ही साथ पक्षकारों के बीच संबंध भी बिगड़ सकते हैं। दोनों पक्ष मामले में बहुत अधिक समय और पैसा खर्च करते हैं। दूसरी ओर, मध्यस्थता के मामले में अंतिम तरीके से बिना अधिक व्यय किए हुए मामले को शीघ्रता से सुलझाया जा सकता है, जिससे पक्षकारों के चेहरों पर मुस्कान लायी जा सकती है।

मध्यस्थता के फायदों पर चर्चा *विक्रम बख्शी और अन्य* बनाम *सोनिया खोसला* मामले में सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित विस्तृत अवलोकन द्वारा अभिव्यक्त की जा सकती है[34]:

> "मध्यस्थता विवाद के सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य समाधान सुनिश्चित करती है जिससे दोनों पक्षकार अपनी अपनी जीत की स्थिति में होते है। यह केवल मध्यस्थता है जो पक्षकारों को उनके विवादों और उनके समाधान दोनों के नियंत्रण में रखती है। यह मध्यस्थता है जिसके माध्यम से पक्षकार एक दूसरे के साथ वास्तविक अर्थों में संवाद कर सकते हैं, जो कि विवाद शुरू होने के बाद से वे नहीं कर पाए हैं। यह मध्यस्थता है जो प्रक्रिया को स्वैच्छिक बनाती है और पक्षकारों को उनकी इच्छा के विरुद्ध बाध्य नहीं करती है। यह मध्यस्थता ही है जो कीमती समय, ऊर्जा और लागत की बचत करती है जिसके परिणामस्वरूप गरीब वादियों को कानूनी सहायता प्रदान करने पर राजकोष पर पड़ने वाला बोझ कम हो सकता है। यह मध्यस्थता है जो दीर्घकालिक हित पर ध्यान केंद्रित करती है और पक्षकारों को विवाद निपटान के लिए कई विकल्प बनाने में मदद करती है। यह मध्यस्थता है जो टूटे हुए रिश्ते को पुनर्स्थापित करती है और

[34] (2014) 15 SCC 80.

> भविष्य को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है न कि अतीत को विच्छेदन करने पर। यह मूल्यों के एक वैकल्पिक सूत्र पर आधारित है जिसमें औपचारिकता को प्रक्रिया की अनौपचारिकता द्वारा, निष्पक्ष सुनवाई प्रक्रियाओं को पक्षकारों की प्रत्यक्ष भागीदारी द्वारा, लगातार मानक प्रवर्तन को मानक निर्माण द्वारा, न्यायिक स्वतंत्रता को विश्वसनीय साथियों की भागीदारी द्वारा, इत्यादि, से बदल दिया जाता है"।[35]

न्यायालय ने आगे कहा कि मध्यस्थता "न्याय की एक वैकल्पिक अवधारणा" प्रस्तुत करती है।[36]

भारत के मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड़ ने हाल ही में कहा कि "मध्यस्थता को केवल एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में ही नहीं माना जाना चाहिए"। उन्होंने आगे कहा कि "मध्यस्थता नागरिकों को न केवल उनके विवादों के परिणामों को निर्धारित करने के लिए एक मंच प्रदान करती है, बल्कि उन मानदंडों और मानकों को भी निर्धारित करती है जिनके द्वारा उन परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है"।[37]

---

[35] *Id.*, पैराग्राफ 18.
[36] *Ibid.*
[37] अधिक जानकारी के लिये देखें
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/99501254.c

उल्लेखनीय है कि समाज में मानदंड समय बीतने के साथ बदलते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कानून समाज की जरूरतों के अनुसार विकसित होता रहता है। अतीत में जो प्रासंगिक था, ज़रूरी नहीं वो आज भी प्रासंगिक हो।

जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया था और भीष्म बाणों की शय्या पर घायल पड़े थे, तब श्रीकृष्ण और भीष्म के बीच हुई वार्तालाप का यहाँ उल्लेख करना उचित होगा। भीष्म को कोई नहीं मार सकता था, उन्हें अपनी इच्छा से मरने का वरदान प्राप्त था। संसार छोड़ने से पहले उन्होंने श्रीकृष्ण से पूछा कि क्या युद्ध में जो कुछ हुआ वह सही और नैतिक था? वह युद्ध के कानून और प्रथाओं का जिक्र कर रहे थे। जैसा कि ज्ञात है कि दोनों ओर से युद्ध के कानून का उल्लंघन किया गया था। कौरवों द्वारा युद्ध के कानून के उल्लंघन में अभिमन्यु मारा गया था। पांडवों ने युद्ध के नियम के विरुद्ध कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य और जयद्रथ को भी धोखे से मार डाला था। चूँकि कौरवों की हार हुई थी और उनका सफाया हो गया था, इसलिए यह प्रश्न पांडवों के कृत्यों पर आधारित था।

श्रीकृष्ण ने भीष्म के प्रश्न का उत्तर यह कहकर दिया कि पांडवों की ओर से कुछ भी गलत नहीं हुआ। उन्होंने आगे

---

ms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

कहा कि हमें अतीत से सीखना चाहिए लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। निर्णय समय की जरूरतों और तर्कों के अनुसार ही लिए जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब मैं त्रेता युग में राम के रूप में पैदा हुआ था, तब दुश्मन रावण और बाली थे जो धर्म को जानते थे, लेकिन वे उससे भटक गए थे। विभीषण जैसा धार्मिक व्यक्ति रावण के भाई के रूप में पैदा हुआ था, और अंगद बाली के पुत्र के रूप में पैदा हुआ था। लेकिन इस द्वापर युग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनि और जयद्रथ जैसे शत्रु घोर पापी थे। त्रेता युग के विपरीत इनको एक अलग तरीके से निपटाया जाना था। धर्म की रक्षा के लिए पाप को हर कीमत पर समाप्त करना होता है। जब ये पापी पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं तो नैतिकता और सदाचार अर्थहीन हो जाते हैं। इसलिए, परंपराएं, नियम और कानून समय और स्थिति विशिष्ट होने चाहिए।

श्रीकृष्ण और भीष्म के बीच पूर्वोक्त वार्तालाप से एक संकेत लेते हुए यह आसानी से कहा जा सकता है कि मध्यस्थता का अभ्यास अपवाद नहीं है। अन्य बातों की तरह, मध्यस्थता की प्रथा भी समकालीन समय में परिवर्तन के दौर से गुजरी है।

मध्यस्थता, आज "एक पेड़ के नीचे तीन लोगों के बैठने" और विवाद को हल करने जैसी कोई चीज़ नहीं है।

हालांकि मध्यस्थता का मूल तत्व वही है। आज हर कोई मध्यस्थता करने के लिए अधिकृत नहीं है। मध्यस्थों द्वारा भ्रष्टाचार और पक्षपात को रोकने तथा मध्यस्थों के लिए नैतिकता पर नियम निर्धारित करने के लिए मध्यस्थता कानून का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में मध्यस्थता अधिनियम, 2023 मध्यस्थता पर कानून को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम माना जा रहा है।

अध्याय 3
श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व के कई पहलू

“श्रीकृष्ण सोलह कला सम्पूर्ण” और “पूर्ण पुरुषोत्तम हैं”।

3. श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व के कई पहलू

कृष्ण एक अदम्य बालक, एक घोर शरारती, एक मोहक बांसुरी वादक, एक सुंदर नर्तक, एक अथक प्रेमी, एक वास्तविक वीर योद्धा, अपने शत्रुओं पर निर्मम विजय प्राप्त करने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जिसने हर घर में एक टूटे हुए दिल को छोड़ दिया, एक चतुर राजनेता और राजा निर्माता, एक संपूर्ण सज्जन, सर्वोच्च क्रम के योगी, और ईश्वरीय के सबसे शानदार अवतार हैं।[1]

सद्गुरु

[1] देखें https://isha.sadhguru.org/us/en/wisdom/ article/krishna-quotes

पृथ्वी पर धर्म का शासन स्थापित करने के लिए, भगवान श्रीकृष्ण ने भगवान विष्णु के आठवें अवतार के रूप में जन्म लिया था। धर्म के नियम का अर्थ है नीतिपरायणता का शासन।[2] भगवान श्रीकृष्ण जैविक रूप से पैदा हुए थे और एक सामान्य इंसान के रूप में बड़े हुए थे। सभी मनुष्यों की तरह वह भी मृत्यु को प्राप्त हुए। हालाँकि, हमें यह याद रखने की आवश्यकता है कि ईश्वर की कभी मृत्यु नहीं होती, श्रीकृष्ण ने केवल अपना मानव शरीर छोड़ा था। वह हर काल में रहते है। बुद्धिमान लोगो ने उनमें ईश्वर को खोजा, जबकि दुर्योधन जैसे मूर्ख ने उन्हें एक रहस्यमय व्यक्ति कहा।

श्रीकृष्ण सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं। वह हर जगह मौजूद है। उन्हें सब कुछ पता है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में वह नहीं जानते, चाहे वह वर्तमान से, भूत से या भविष्य से संबंधित हो। वे सभी के पालक हैं, वे नियंत्रक हैं, वे सभी भौतिक धारणाओं से परे हैं, वे अचिन्त्य हैं, वे सूर्य के समान प्रकाशमान हैं, वे पारलौकिक हैं और इस भौतिक प्रकृति

[2] रेणु, "द क्वालिटीज़ ऑफ़ कृष्णा दैट यू मस्ट एडमायर" at https://www.boldsky.com/yoga-spirituality/faith-mysticism/2018/the-qualities-of-krishna-that-you-must-admire-123443.html

से परे हैं। वह सभी आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया का स्रोत है। हर वस्तु का उद्भव उन्हीं से होता है।

उनका व्यक्तित्व दुनिया में सबसे शक्तिशाली हैं। वह सर्वोच्च भगवान हैं। उन्हें "सोलह कला संपूर्ण" और "पूर्ण पुरुषोत्तम" माना जाता है। सोलह कला जो श्रीकृष्ण के पास थी, वे हैं - (1) दया; (2) धैर्य; (3) क्षमा; (4) न्याय; (5) निर्पक्ष/ निष्पक्षता; (6) निर्सकता / अनासक्ति; (7) तपस्या; (8) अपरिचितता - अजेयता; (9) दानशीलता - दुनिया में सभी धन के दाता; (10) सौन्दरज्यमय - सौन्दर्य अवतार; (11) नृत्यज्ञ - सर्वश्रेष्ठ नर्तक; (12) संगीतज्ञ - सर्वश्रेष्ठ गायक; (13) नीतिवादी; (14) सत्यवादी; (15) सर्वज्ञता - कविता, नाटक, चित्रकला आदि सभी कलाओं के पूर्ण स्वामी; और (16) सर्वण्यंत - सभी के नियंत्रक।[3]

श्रीकृष्ण, ईश्वरत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व होने के नाते, सोलह कला सम्पूर्ण थे; जबकि एक सामान्य मनुष्य के लिए सभी सोलह कलाओं को प्राप्त करना असंभव है, चाहे वह कितना भी दिव्य क्यों न हो।

[3] देखें https://timesofindia.indiatimes.com/religion/festivals/what-are-the-16-kalas-of-lord-krishna-things-you-need-to-know-on-janmashatami-2022/articleshow/93642598.cms

श्रीकृष्ण जी को "पूर्ण पुरुषोत्तम" भी कहा जाता है। गीता के आठवें अध्याय के श्लोक 1 में भी अर्जुन ने श्रीकृष्ण को पुरुषोत्तम कह कर संबोधित किया, जिसका अर्थ है पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सबके अधिष्ठाता और सर्वाधार होना।

श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। ऐसा कोई गुण, विशेषता या कौशल नहीं है जो भगवान श्रीकृष्ण में नहीं था। श्रीकृष्ण का जीवन विभिन्न विषयों की दृष्टि से अध्ययन का विषय है, जैसे की कानून; विवाद प्रबंधन; मानव अधिकार; महिला अधिकार; दर्शन; धर्मशास्त्र; संगीत; कूटनीति; राजनीति विज्ञान; प्रबंधन; रणनीतिक अध्ययन; परामर्श; प्रेरक अध्ययन; पारस्परिक कौशल; व्यक्तित्व विकास; तथा और भी कई।

श्रीकृष्ण में कोई भी एक महान मित्र, रक्षक, दार्शनिक, राजा, कुशल सारथी, गौ रक्षक, संगीतकार, जगत गुरु, राजनयिक, मध्यस्थ, महान प्रेमी, उत्कृष्ट संचारक और महान प्रेरक वक्ता ढूँढ सकता है। चूंकि किसी भी मनुष्य के लिए भगवान श्रीकृष्ण के सभी पहलुओं का पूर्ण विवरण देना लगभग असंभव है, इस अध्याय में उनके व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है।

श्रीकृष्ण के बचपन में कई मित्र थे। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर खूब शरारतें किया करते थे। हर कोई जानता था कि शरारत श्रीकृष्ण ने की थी, लेकिन सही मायने में किसी को

भी इस बात का बुरा नहीं लगता था, हालांकि वे श्रीकृष्ण की पालक माँ यशोदा से इसकी शिकायत ज़रूर करते थे।

श्रीकृष्ण और सुदामा की मित्रता अनुपम है। श्रीकृष्ण द्वारा सुदामा के प्रति दिखाई गई मित्रता निःस्वार्थ और अनुकरणीय थी। ऐसा कहा जाता है कि मित्र सुदामा जो बहुत गरीब थे और जिनके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था, वह अपनी पत्नी की जिद पर श्रीकृष्ण से मिलने के लिए द्वारका गये। वह श्रीकृष्ण के लिए कपड़े में बांध कर कुछ चावल ले गये। जब श्रीकृष्ण को उनके आगमन के बारे में पता चला, तो वह सबके सामने उन्हें लाने के लिए द्वार पर दौड़े आए। उन्होंने सुदामा के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। सुदामा उन चावलों को श्रीकृष्ण को देने में हिचकिचा रहे थे जो वह उनके लिये घर से लाए थे। श्रीकृष्ण ने सुदामा से चावल छीन लिए और उन्हें बड़े मजे से खाने लगे। सुदामा श्रीकृष्ण के व्यवहार से अत्यन्त प्रसन्न हुए। श्रीकृष्ण से मिलने के बाद जब सुदामा अपने घर वापिस पहुँचे तो अपने घर में पूरा कायापलट देखकर हैरान रह गये। श्रीकृष्ण जी की कृपा से उनका घर सभी सुख-सुविधाओं से परिपूर्ण हो गया था। श्रीकृष्ण और सुदामा की दोस्ती पूरी मानवता को एक गहरा संदेश देती है।

श्रीकृष्ण को जगत गुरु अर्थात विश्व का गुरु माना जाता है। उन्होंने दुनिया को गीता का वरदान देकर सिखाया कि समाज में धर्म का पालन करते हुए कैसे रहना चाहिए।

भगवान श्रीकृष्ण द्वारा दुनिया को गीता का उपहार क्यों दिया गया, इसके पीछे एक रोचक क़िस्सा है। कुरुक्षेत्र के युद्ध की शुरुआत से पहले, भगवान श्रीकृष्ण ने, जो अर्जुन के अनुरोध पर उसके सारथी बने थे, अपना रथ कौरवों और पांडवों की सेना के बीच में ले जा कर खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने अर्जुन से कौरवों के बल को देखने के लिए कहा जो उनके परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और गुरुओं से भरा हुआ था। अपने परिवार के सदस्यों के साथ-साथ अपने विस्तारित परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, गुरुओं आदि को शत्रु पक्ष में देखकर वह बहुत दुखी हो गये और उन्होने युद्ध न करने का फैसला किया, क्योंकि युद्ध में वह अपने ही लोगों को मार रहे होते। अपने परिवार के प्रति अर्जुन का यह लगाव ही मुख्य कारण था जिस वजह से श्रीकृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया जो अंततः गीता के रूप में जाना गया। अर्जुन को उनके धर्म के बारे में सिखाने, अधर्म को समाप्त करने और धर्म के शासन की स्थापना के लिए कौरवों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए प्रेरित करने को लोगो ने श्रीकृष्ण की एक चाल माना। गीता का उपहार भी इसी नीतिगत चाल का परिणाम माना गया।

यदि अर्जुन प्रथम दृष्टया कौरवों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए तैयार हो जाते, तो दुनिया को गीता कभी नहीं मिलती। गीता हिन्दुओं का धार्मिक ग्रंथ नहीं है जैसा कि अधिकांश लोग समझते हैं, यह एक महान ग्रंथ है जो विश्व के सभी धर्मों और धार्मिक निष्ठा के लोगों को जीने का तरीका बताता है। यह हमें सही और गलत

और धर्म और अधर्म के बीच अंतर बताता है। मिश्का सिन्हा लिखती हैं कि "गीता अब एक विशिष्ट गैर-पश्चिमी परंपरा के अनुसार एक पवित्र या धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि कुछ अधिक सार्वभौमिक ग्रंथ है"।[4]

गीता को सच्चे अर्थों में सभी मनुष्यों के लिए "जीवन नियमावली" माना जाता है, जो उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देती है, उनके भय को दूर करती है और ज्ञान प्रदान करती है। गीता को कानूनी दृष्टि से "जीवन का संविधान" के रूप में वर्णित किया जा सकता है। गीता संसार के सभी मनुष्यों पर लागू होती है, चाहे वह किसी भी जाति, पंथ, धर्म, और राष्ट्रीयता के हों। गीता में निर्धारित सिद्धांत बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए लागू होते हैं। गीता हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। यह हमें हमारे कर्तव्यों और धर्म (नीतिपरायणता) के बारे में बताती है। जीवन की जटिल परिस्थितियों से परेशान होने पर, हमें अपनी सभी समस्याओं और दुखों का समाधान खोजने के लिए गीता पर एक नज़र डालनी चाहिए। गीता सभी को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है।

[4] मिश्का सिन्हा, "द ट्रांसनेशनल गीता" इन श्रुति कपिला एंड फ़ैसल देवजी, (eds.), *पोलिटिकल थॉट इन एक्शन: द भागवद् गीता एंड मॉडर्न इंडिया* (2013), p. 38.

महात्मा गांधी ने गीता को अपनी "शाश्वत माता" मानते हुए कहा:

> "मैं आपके समक्ष स्वीकार करता हूं कि, जब संदेह मुझे परेशान करता है, जब निराशा मुझे चेहरे पर घूरती है, और जब मुझे क्षितिज पर प्रकाश की एक भी किरण नहीं दिखाई देती है, तो मैं भगवद गीता की ओर दौड़ता हूं और मुझे आराम देने के लिए एक श्लोक ढूंढता हूं, और मैं तुरंत अत्यधिक दुःख के बीच मुस्कुराना शुरू कर देता हूँ"।[5]

श्रीकृष्ण एक महान संगीतकार थे। उनकी बांसुरी की संगीत शक्ति न केवल गोपियों बल्कि जानवरों, विशेष रूप से गायों को भी आकर्षित करती थी। उनकी प्रेमिका देवी राधा सहित सभी श्रीकृष्ण की बांसुरी से निकलने वाले मधुर संगीत में डूब जाते थे। बांसुरी अनिवार्य रूप से श्रीकृष्ण के पास रही और यहां तक कि राधा भी कई बार शिकायत करती थीं कि वह उनसे ज्यादा बांसुरी को महत्व दे रहे हैं।

श्रीकृष्ण चरवाहे होने के कारण गायों के रक्षक भी माने जाते हैं। उनका एक नाम गोपाल है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है- "गो" और "पाल"। "गो" का अर्थ है "गाय" और "पाल"

---

[5] उमा मजमूदार, "महात्मा गांधी एंड द भागवद् गीता" at https://www.mkgandhi.org/articles/Mahatma-Gandhi-and-the-Bhagavad-Gita.html

का अर्थ है "जो इनकी रक्षा करता है"।[6] श्रीकृष्ण और गायों के बीच का संबंध इतना मजबूत है कि इसे हमेशा भारतीय पुराणों और इतिहास में एक अविभाज्य दिव्य इकाई के रूप में देखा गया है।[7] गीता की स्तुति और वंदना में निम्नलिखित कहा गया है:

सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थ वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत

(उपनिषद गायें हैं, भगवान गोपालनंदन गाय दुहने वाले हैं, पार्थ-अर्जुन बछड़ा है, ज्ञानी विद्वान उस दूध को पीने वाले हैं और गीता वह दूध है जो जीवन का अमृत है)।[8]

भागवत गीता के अध्याय 18, श्लोक 44 में, श्रीकृष्ण कहते हैं कि गायों की देखभाल करना वैश्यों का कर्तव्य है:

कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्।

[6] https://isha.sadhguru.org/us/en/wisdom/article/ gopala-understanding-essence-krishna-cowherd

[7] See also https://hinduexistence.org/2016/08/25/ remembering-the-cow-krishna-divine-relationship-in-janmashtami/

[8] https://hinduexistence.org/2016/08/25/ remembering-the-cow-krishna-divine-relationship-in-janmashtami/

> (कृषि, गायों की देखभाल, और वाणिज्य, वैश्यों के गुणों वाले लोगों के लिए स्वाभाविक कार्य हैं)। [9]

उल्लेखनीय है कि *मो. अब्दुल खालिक* बनाम *यूपी राज्य और अन्य*,[10] में इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ बेंच) के न्यायमूर्ति शमीम अहमद ने गाय संरक्षण के बारे में निम्नलिखित महत्वपूर्ण टिपण्णी कीं:

> हिंदू धर्म में, विश्वास और आस्था है कि गाय दैवीय और प्राकृतिक भलाई का प्रतिनिधि है, इसलिए इसे संरक्षित करना चाहिए और पूजना चाहिए। गाय को विभिन्न देवताओं से भी जोड़ा गया है, विशेष रूप से भगवान शिव (जिनका वाहन नंदी, एक बैल है), भगवान इंद्र (कामधेनु, बुद्धिमता प्रदान करने वाली गाय से निकटता से जुड़े हुए हैं), भगवान श्रीकृष्ण (अपनी युवावस्था में एक चरवाहे थे), और सामान्य तौर पर देवियाँ (उनमें से कई के मातृ गुणों के कारण)। ... उसके पैर चार वेदों के प्रतीक हैं; उसके दूध का स्रोत चार पुरुषार्थ (उद्देश्य, यानी धर्म या नीतिपरायणता, अर्थ या भौतिक धन, काम या इच्छा और मोक्ष) है; उसके सींग देवताओं का प्रतीक

[9] देखें https://www.holy-bhagavad-gita.org/chapter/18/verse/44

[10] एप्लीकेशन u/s 482 no. - 1743 of 2021, 14 फ़रवरी 2023 का आदेश.

> हैं, उसका चेहरा सूर्य और चंद्रमा, और उसके कंधे अग्नि या अग्नि के देवता के प्रतीक हैं। उन्हें अन्य रूपों में भी वर्णित किया गया है: नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुशीला और सुमना।[11]

श्रीकृष्ण बड़े प्रेमी भी थे। राधा के लिए उनका पवित्र प्रेम जगजाहिर है। दोनों ने विवाह नहीं किया, लेकिन उनका प्यार इतना गहरा था कि श्रीकृष्ण के नाम के साथ राधा का नाम जुड़ गया। हालाँकि उनके 108 नाम हैं, फिर भी उन्हें राधेकृष्ण और राधेश्याम के नाम से भी जाना जाता है। श्रीकृष्ण और राधा द्वारा साझा किया गया प्रेम शाश्वत और अमर माना जाता है।[12] एक बार राधा ने श्रीकृष्ण से पूछा कि वे विवाह क्यों नहीं कर सकते? श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया कि विवाह के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जबकि वे दोनों तो एक ही हैं। कुछ जगहों पर लोग श्रीकृष्ण से अधिक राधा की पूजा करते हैं, क्योंकि मान्यता यह है कि यदि आप राधा की पूजा करते हैं, तो आपकी प्रार्थना स्वतः ही श्रीकृष्ण तक पहुँच जाएगी।

---

[11] *Id.*, p. 6, available at https://www.livelaw.in/news-updates/cow-killers-rot-hell-centre-ban-cow-slaughter-declare-protected-national-animal-allahabad-hc-223050?infinitescroll=1.

12 अधिक जानकारी के लिये देखें https://vedicfeed.com/things-about-love-you-can-learn-from-bhagavad-gita/

श्रीकृष्ण मानवाधिकारों के महान रक्षक थे। श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा:

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥[13]

(हे अर्जुन, जब भी धर्म (नीतिपरायणता) में गिरावट आती है और पाप का तेज़ी से उदय होता है, उस समय मैं खुद को पृथ्वी पर प्रकट करता हूं)।

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥[14]

(धर्मियों की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, और धर्म के सिद्धांतों को फिर से स्थापित करने के लिए मैं इस धरती पर युग युग में प्रकट होता हूं।)

उपरोक्त श्लोकों का अर्थ है कि जब भी, विशेष रूप से राजा, सरकार या सत्ता में रहने वालों की ओर से धर्म (नीतिपरायणता) में गिरावट आती है (जिसके परिणामस्वरूप लोगों के मानवाधिकारों के साथ-साथ अन्य अधिकारों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन होता है), और पापपूर्ण गतिविधियाँ भी बढ़

[13] *श्रीमद् भागवत गीता*, अध्याय 4, श्लोक 7।
[14] *Id.,* श्लोक 8.

जाती हैं, तब तब श्रीकृष्ण धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। श्रीकृष्ण कहते हैं कि वे पापियों का नाश करते हैं और फिर से धर्म की स्थापना करते हैं, अर्थात लोगों के मानवाधिकारों की भी रक्षा करते हैं। इस प्रयोजन के लिए युगों युगों में, जब भी आवश्यकता होती है, वह इस पृथ्वी पर आते हैं।

उपरोक्त मानवाधिकारों का उल्लंघन लोगों को सच बोलने के लिए दंडित करने, उन्हें भूखा रखने, उन्हें उनकी आजीविका से वंचित करने, अनावश्यक रूप से यातना देने, अपमानित करने, बिना किसी कारण के मारने, उनकी पसंद के अनुसार पूजा करने पर रोक लगाने, उनसे उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा जबरन वसूली करने, आदि के संदर्भ में हो सकता है।

जहाँ तक महिलाओं के अधिकारों का सवाल है, श्रीकृष्ण ने हमेशा अपने जीवन साथी के चयन के लिए महिला के अधिकार का समर्थन किया। कृष्णा का हमेशा से मानना था कि परिवार के किसी भी सदस्य को परिवार की किसी भी महिला पर उसकी शादी के संबंध में अपना फैसला नहीं थोपना चाहिए। शादी के बारे में हमेशा महिला से सलाह लेनी चाहिए। कृष्णा ने हमेशा महिला को उसकी पसंद के पुरुष से शादी करने का समर्थन किया, जब पूरा परिवार उसके फैसले से सहमत नहीं होता था।

दिलचस्प बात यह है कि श्रीकृष्ण ने खुद रुक्मणी का अपहरण उससे शादी करने के लिए किया था। रुक्मणी का

विवाह उसके भाई ने शिशुपाल से तय किया था, जो श्रीकृष्ण का चचेरा भाई था। रुक्मणी शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती थी। वह श्रीकृष्ण के प्रति आकर्षित थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। जब उसका विवाह शिशुपाल के साथ तय हो गया, तो उसने श्रीकृष्ण को एक संदेश भेजा कि वह उसे उस मंदिर से अगवा कर ले जहां वह पूजा के लिए जाएगी और उससे शादी करे। श्रीकृष्ण ने रुक्मणी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उसका अपहरण किया, उसके भाई को हरा दिया और उससे शादी कर ली।

श्रीकृष्ण ने अपनी छोटी बहन सुभद्रा को अर्जुन के साथ भाग जाने में भी मदद की थी, जब उसका विवाह उसके बड़े भाई बलराम द्वारा दुर्योधन के साथ तय किया गया था। सुभद्रा अर्जुन से प्रेम करती थी और उससे विवाह करना चाहती थी। जब उसे पता चला कि उसके भाई बलराम ने उसकी शादी दुर्योधन से तय कर दी है, तो वह बहुत परेशान हो गई। श्रीकृष्ण ने उन्हें मंदिर जाते समय अर्जुन के साथ भाग जाने की सलाह दी। उन्होंने उसे रथ की कमान संभालने की भी सलाह दी ताकि बलराम को लगे कि वह अर्जुन को भगा कर ले गई है, और वह अर्जुन को दंडित करने के लिए उसका पीछा नहीं करे। इस तरह श्रीकृष्ण ने सुभद्रा को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के अधिकार का प्रयोग करने में सहायता की थी।

उल्लेखनीय है कि त्रेता युग में भी स्त्री को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार था। सबसे अच्छा उदाहरण माता सीता का त्रेता युग में स्वयंवर के माध्यम से राम को अपने जीवन साथी के रूप में चुनना है। इसी प्रकार द्वापर युग में भी द्रौपदी को अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया था। द्वापर युग में और भी कई उदाहरण देखे जा सकते हैं जहाँ महिलाओं के लिए अपने जीवन साथी का चयन करने के लिए स्वयंवर आयोजित किए गए थे। श्रीकृष्ण ने महिलाओं के इस अधिकार की फिर से पुष्टि की थी।

जहाँ तक संचार का प्रश्न है, स्वयं श्रीकृष्ण से बेहतर संचारक और कौन हो सकता है। श्रीकृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अपने उपदेशों को संचार के माध्यम से अर्जुन को उस समय आलोकित किया जब युद्ध शुरू होने वाला था और बहुत शोर, भय, आक्रामकता और तनाव था। यह भी कहा जाता है कि यदि श्रीकृष्ण एक अच्छे संचारक थे, तो अर्जुन भी एक अच्छे श्रोता थे, जिन्होंने युद्ध के मैदान में श्रीकृष्ण की कही गई बातों को समझा और माना।

श्रीकृष्ण इतने वाकपटु थे कि वह अपनी वाकपटुता से अपने विचारों पर सभी का समर्थन प्राप्त कर लेते थे, भले ही उनके बड़े भाई बलराम सहित उनके परिवार वाले विपरीत विचार रखते हों। श्रीकृष्ण के तर्कों को सुनकर अन्त में सभी परिवारजन श्रीकृष्ण की बातों से सहमत हो जाते थे।

श्रीकृष्ण की "प्रस्तुति शैली, गैर-मौखिक के साथ-साथ मौखिक संचार, पारस्परिक कौशल और जन संचार" अद्वितीय थे।[15] उनके कौशल की आधुनिक समाज में प्रासंगिकता है और वह कौशल आधुनिक प्रबंधन और संचार व्यवसायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है।[16]

यह याद रखना चाहिए कि एक अच्छा मध्यस्थ बनने के लिए अच्छा संचार अत्यंत महत्वपूर्ण है; और श्रीकृष्ण ऐसे ही एक महान संचारक थे।

श्रीकृष्ण को दुनिया का पहला प्रेरक वक्ता माना जाता है। प्रथम होने के अतिरिक्त, श्रीकृष्ण प्रेरणा का सबसे अच्छा स्रोत भी है। यह इस तथ्य से परिलक्षित होता है कि उन्होंने अर्जुन को उस समय एक प्रेरक भाषण दिया था जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था। अर्जुन को शत्रु सेना में अपने सम्बन्धियों, गोत्रियों, गुरुओं और मित्रों को देखकर इतना लगाव हो गया था कि उन्होंने युद्ध में भाग न लेने और उन्हें न मारने का निश्चय कर लिया था। उपरोक्त व्यक्तियों के प्रति उनके लगाव ने उन्हें इतना भ्रमित कर दिया कि उन्होंने सोचा कि उन्हें मारने के बजाय उनके हाथों मरना बेहतर है। उस समय श्रीकृष्ण ने उन्हें प्रेरक

---

[15] देखें आयुष, "10 क्वालिटीज़ ऑफ़ लार्ड कृष्णा दैट मेक्स हिम ए फुल्ली ब्लॉसोमेड वन" available at https://vedicfeed.com/10-qualities-of-lord-krishna/

[16] *Ibid*.

भाषण दिया, जो गीता बन गया और जिसका दुनिया भर में लाखों लोग अनुसरण कर रहे हैं। अंत में, श्रीकृष्ण अपने भाषण के माध्यम से अर्जुन को युद्ध में भाग लेने और शत्रु सेना को मारने के लिए प्रेरित करने में सफल रहे ।

लोगों को सकारात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रेरक भाषण दिए जाते हैं। अपने प्रेरक भाषण के माध्यम से, श्रीकृष्ण ने अर्जुन को शत्रु सेना को मारने के लिए सकारात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित किया था, जिन्हें अर्जुन ने अपने लोगों के रूप में माना था। सामान्य परिस्थितियों में, युद्ध करना और लोगों को मारना एक सकारात्मक कार्य नहीं माना जाता है, हालाँकि, एक ऐसी स्थिति में जहाँ युद्ध अनिवार्य रूप से नीतिपरायणता तथा धर्म के शासन की स्थापना के लिए किया जाना हो, तो ऐसा युद्ध सकारात्मक माना जाता है। श्रीकृष्ण अपने प्रेरक भाषण के माध्यम से अर्जुन द्वारा ऐसा सकारात्मक युद्ध करवाने में सफल रहे। इसलिए श्रीकृष्ण को सबसे पहला और सबसे अच्छा प्रेरक वक्ता माना जाता है।

श्रीकृष्ण को एक उत्कृष्ट परामर्शदाता भी कहा जा सकता है। उन्होंने पांडवों को सलाह दी थी कि पहले कभी भी युद्ध का सहारा नहीं लेना चाहिए। इसे टालने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए और शांति बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने द्रौपदी को भी शांति की सलाह दी थी, जो कौरवों से बदला लेना चाहती थी, जिन्होंने उसे हस्तिनापुर में खुले दरबार में अपमानित किया

था। कौरवों और पांडवों के बीच मध्यस्थता का प्रयास करके, श्रीकृष्ण ने सच्चे अर्थों में धृतराष्ट्र और दुर्योधन को धर्म के अनुसार कार्य करने और पांडवों को उनका राज्य वापस करने की सलाह दी थी।

श्रीकृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन की बात को धैर्यपूर्वक सुनकर उनको सलाह दी। वह अंत में अर्जुन को उसके सभी सवालों का जवाब देकर और उसे धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने में सफल रहे। श्रीकृष्ण से ज्ञान प्राप्त करने के बाद, अर्जुन अंत में उठे और जीतने के इरादे से कौरवों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया।

श्रीकृष्ण को एक महान रणनीतिकार भी माना जाता है। एक बार, उन्हें अपने दुश्मन मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध के कारण मथुरा (जो श्रीकृष्ण के दादा महाराजा उग्रसेन का राज्य था) से भागना पड़ा था क्योंकि वह श्रीकृष्ण, उनके भाई बलराम और वहां रहने वाले लोगों को मारने पर उतारू था। जरासंध ने पहले भी मथुरा पर 17 बार हमला किया था और वहां भारी तबाही मचाई थी।

श्रीकृष्ण के वहां से भागने का कारण यह था कि जरासंध ने यवन राष्ट्र के राजा कालयवन के साथ गठबंधन किया था, जिसे भगवान शिव से मिले वरदान के कारण मारना बहुत ही मुश्किल था। उस वरदान की वजह से स्वयं भगवान श्रीकृष्ण भी उस को मार नहीं सकते थे।

श्रीकृष्ण अपने परिवार और मथुरा के लोगों के साथ द्वारका चले गए जहां विश्वकर्मा ने उनके लिए एक भव्य शहर बनाया था। जब जरासंध को इस बात का पता चला तो उसने श्रीकृष्ण को रणछोड़ के नाम से संबोधित किया। रणछोड़ दो शब्दों से मिलकर बना है रण और छोड़। रण का अर्थ है "युद्ध" और छोड़ का अर्थ है "छोड़ना"। अत: रणछोड़ का अर्थ युद्ध से दूर भागने वाला होता है। सामान्य बोलचाल में रणछोड़ को युद्ध का सामना न कर सकने वाला और कायर समझकर भाग जाने वाला व्यक्ति माना जाता है। श्रीकृष्ण ने अपने लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द "रणछोड़" की परवाह नहीं की, क्योंकि उस समय उनके लिए अपने लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि थी।

श्रीकृष्ण ने चतुराई से राजा कालयवन का वध करवाया। तत्पश्चात, वह वापस मथुरा लौट गये और उन्होंने जरासंध और कालयवन की संयुक्त सेना को हरा दिया।

उनके जीवन की इस घटना से पता चलता है कि वे एक महान रणनीतिकार भी थे। जब किसी को लगे कि उसके लिए युद्ध करने का यह उचित समय नहीं है, तब कुछ समय के लिए युद्ध क्षेत्र को छोड़ देना कायरता नहीं बल्कि एक रणनीति है। अपनी प्रजा की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है और इसलिए कभी-कभी युद्ध क्षेत्र से पीछे हटना और सही समय पर हमला करना ही समझदारी है। किसी को इस बात से परेशान नहीं होना

चाहिए कि उसे किसी ऐसे नाम से संबोधित किया जाएगा, जो उसकी हैसियत से मेल नहीं खाता।

उनके बेहतरीन रणनीतिकार होने का एक और उदाहरण भी दिया जा सकता है। श्रीकृष्ण ने पांडवों के लिए इस तरह से रणनीति बनाई कि उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों और उनके मित्र देशों की सेना पांडवों और उनके मित्र देशों की सेना से बहुत बड़ी थी। कौरवों और पांडवों की सेना के बीच का अनुपात 11:7 था। कौरवों के पास भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण आदि जैसे महान योद्धा थे जिन्हें आसानी से पराजित नहीं किया जा सकता था। भीष्म को कोई नहीं मार सकता था क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। कौरवों की इतनी शक्तिशाली सेना को हराना लगभग असंभव था। युद्ध से पहले, जब दुर्योधन और अर्जुन अपने पक्ष में लड़ने के लिए श्रीकृष्ण के पास पहुंचे, तो श्रीकृष्ण ने उनसे कहा कि वे उनके और उनकी नारायणी सेना के बीच चयन कर सकते हैं, जिसे बहुत शक्तिशाली माना जाता था। श्रीकृष्ण ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि न तो वे युद्ध में लड़ेंगे, और न ही अस्त्रों शस्त्रों को छुएँगे। फिर भी अर्जुन ने उन्हें चुना और दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना को। ऐसा करके दुर्योधन ने अपने फैसले पर गर्व महसूस किया।

दुर्योधन के जाने के बाद श्रीकृष्ण ने अर्जुन का उपहास करने की कोशिश की और उन्हें व्यंग्यात्मक ढंग से कहा:

"हार निश्चित हैं तेरी, हर दम रहेगा उदास।
माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास।।"

(युद्ध में तुम्हारी हार निश्चित है और तुम हमेशा निराश रहोगे, क्योंकि दुर्योधन माखन ले गया है और तुम्हारे पास केवल छाछ रह गई है)।

अर्जुन ने श्रीकृष्ण को उत्तर दिया:

"जीत निश्चित हैं मेरी, दास हो नहीं सकता उदास ।
माखन लेकर क्या करूँ, जब माखन चोर हैं मेरे पास।।"

(मेरा युद्ध जीतना निश्चित है और मैं निराश नहीं हो सकता; जब माखन चोर मेरे साथ है तो मैं माखन लेकर क्या करूँगा।)

अर्जुन जानता था कि कौरवों को हराने के लिए श्रीकृष्ण का साथ उसके लिए पर्याप्त था। युद्ध में, अर्जुन ने श्रीकृष्ण से उनका सारथी बनने और युद्ध की रणनीति बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने श्रीकृष्ण से प्राथमिकता के आधार पर प्रहार किए जाने वाले लक्ष्यों के बारे में उनका मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया। श्रीकृष्ण ने पूरी रणनीति बनाई और पांडव उनकी रणनीति के अनुसार ही लड़े और युद्ध जीत गए। वचन के अनुसार, श्रीकृष्ण ने पूरे युद्ध में स्वयं एक भी व्यक्ति को नहीं मारा, न ही उन्होंने हथियारों को छुआ।

कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों के पक्ष में रहकर, क्योंकि वे धर्म के लिए लड़ रहे थे, श्रीकृष्ण ने दुनिया को एक मजबूत संदेश दिया कि युद्ध बड़ी सेनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि एक महान रणनीति के आधार पर जीते जाते हैं। जिस तरह से श्रीकृष्ण ने पांडवों के लिए युद्ध लड़ने की रणनीति बनाई, कौरवों की विशाल सेना, जो अन्यथा अपराजित थी, पांडवों द्वारा पराजित की गई और धर्म (नीतिपरायणता) का शासन स्थापित किया गया।

इस अध्याय का समापन किसी के द्वारा लिखी गई इन सुंदर पंक्तियों के द्वारा किया जा सकता है:

> "पहली गाली पर 'सर काटने' की शक्ति होने के बाद भी; यदि 99 और गाली सुनने का 'सामर्थ्य' है, तो वो श्रीकृष्ण है।
>
> 'सुदर्शन' चक्र जैसा शस्त्र होने के बाद भी; यदि हाथ में हमेशा 'मुरली' है तो वो श्रीकृष्ण है।
>
> 'द्वारिका' का वैभव होने के बाद भी; यदि 'सुदामा' मित्र है, तो वो श्रीकृष्ण है।
>
> मृत्यु के फ़न पर मौजूद होने पर भी; यदि 'नृत्य' है तो, वो श्रीकृष्ण है।
>
> 'सर्वसामर्थ्य' होने पर भी; यदि 'सारथी' है, तो वो श्रीकृष्ण है।"

अध्याय 4
मध्यस्थ के रूप में श्रीकृष्ण

"मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता और न ही किसी का पक्षपात करता हूँ;

मैं सभी के लिए समान हूं"।

भगवान श्रीकृष्ण

4. मध्यस्थ के रूप में श्रीकृष्ण

जैसा कि पिछले अध्यायों में पहले ही कहा जा चुका है कि द्वापर युग के दौरान कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के युद्ध को रोकने के लिए मध्यस्थता ब्रह्मांड के भगवान, स्वयं श्रीकृष्ण द्वारा की गई थी। प्रश्न उठता है कि श्रीकृष्ण ने उनके बीच मध्यस्थता क्यों की? श्रीकृष्ण के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति ने ऐसा क्यों नहीं किया? कारण यह है कि दोनों पक्ष असाधारण शक्तिशाली थे। दोनों पक्षों में बड़े-बड़े योद्धा थे। कौरवों और पांडवों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए श्रीकृष्ण के अलावा कोई और व्यक्ति सक्षम नहीं था।

अन्य प्रासंगिक प्रश्न विचारणीय है कि क्या श्रीकृष्ण पांडवों के पक्ष में पक्षपाती थे? यह सवाल कई लोगों के मन में आ सकता है क्योंकि श्रीकृष्ण ने पांडवों के साथ काफी समय बिताया था। एक मध्यस्थ को किसी एक पक्ष के पक्ष में पक्षपाती नहीं होना चाहिए। पक्षपातपूर्ण मध्यस्थता कोई

मध्यस्थता नहीं होती है और इसे कभी भी प्रभावी नहीं किया जा सकता है। श्रीकृष्ण की भूमिका को कभी भी दो महत्वपूर्ण कारणों से पक्षपाती नहीं माना जा सकता। सबसे पहले, जब कौरवों ने पांडवों को धोखे से पासा के खेल में हराया, तो श्रीकृष्ण ने हस्तक्षेप नहीं किया। यदि श्रीकृष्ण ने हस्तक्षेप किया होता तो कौरवों की हार हो सकती थी और स्थिति अलग हो सकती थी। हार के परिणामस्वरूप, पाण्डवों को निर्वासन में जाना पड़ा जैसा कि इस अध्याय में बाद में विस्तार से चर्चा की जाएगी, और जो युद्ध का मूल कारण भी बन गया, क्योंकि निर्वासन की अवधि पूरी होने पर भी कौरवों द्वारा पाण्डवों को उनका क्षेत्र वापस नहीं किया गया था। दूसरी बात, श्रीकृष्ण ने समाधान पेश किया जो पूरी तरह से कौरवों के पक्ष में था, क्योंकि श्रीकृष्ण और पांडव दोनों शांति चाहते थे युद्ध नहीं। जैसा कि इस अध्याय की शुरुआत में पहले ही लिखा जा चुका है कि श्रीकृष्ण ने कहा था, "मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता और न ही मैं किसी का पक्षपात करता हूं; मैं सभी के लिए समान हूं"।

इसलिए यह संदेह से परे साबित हो जाता है कि श्रीकृष्ण सबसे सक्षम मध्यस्थ थे जिन्होंने शांति स्थापित करने के लिए बिलकुल निष्पक्ष तरीके से मध्यस्थता की; जो दुर्भाग्य से सफल नहीं हो सकी।

यहाँ उन परिस्थितियों का उल्लेख करना भी उचित है जिनके कारण श्रीकृष्ण ने कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध को रोकने के लिए मध्यस्थता की।

कुरु वंश में धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ था। धृतराष्ट्र ज्येष्ठ होने के कारण शासन करने के अधिकारी थे, किंतु जन्म से अंधे होने के कारण उनके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया। दुर्भाग्य से, पांडु अपनी पत्नियों कुंती और माद्री और पांच पुत्रों - युधिष्ठर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को छोड़कर जल्द ही स्वर्ग सिधार गये। पहले तीन पुत्र कुंती से और अंतिम दो माद्री से उत्पन्न हुए थे।

पांडु की मृत्यु के पश्चात, धृतराष्ट्र को कुछ समय के लिए राजा बनाया गया क्योंकि कोई अन्य विकल्प नहीं था। धृतराष्ट्र के सौ पुत्र और पांडु के पांच पुत्र एक साथ बड़े हुए। उन्होंने एक ही गुरु द्रोणाचार्य के अधीन शिक्षा और सेना का प्रशिक्षण प्राप्त किया। धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन को शुरू से ही अपने पांच चचेरे भाई पसंद नहीं थे, जिन्हें पांडवों के रूप में जाना जाता था। दुर्योधन पांडवों को अपने दुश्मनों की तरह से देखता था।

पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठर अपने चचेरे भाई, धृतराष्ट्र के पुत्रों में भी सबसे बड़े थे। हालाँकि, धृतराष्ट्र चाहते थे कि उनका पुत्र दुर्योधन राज्य का उत्तराधिकारी बने। अपने रास्ते से बाधाओं को दूर करने के लिए, दुर्योधन ने सभी पांच

पांडवों को मारने की साजिश रची, लेकिन असफल रहा क्योंकि भाग्य पांडवों के पक्ष में था जो हमेशा धर्म में विश्वास करते थे।

दुष्ट दुर्योधन ने पांडवों को पासे के खेल (एक प्रकार का जुँआ) में आमंत्रित करके फंसाने की कोशिश की। पांडव उनके कपटपूर्ण षडयंत्र को समझ नहीं पाये और उस खेल में बुरी तरह हार गए। इस खेल में दुर्योधन के मामा शकुनि ने धांधली की थी, जो कौरवों की तरफ़ से खेल रहा था। परिणामस्वरूप, पांडव स्वयं अपने आपको, अपने राज्य इंद्रप्रस्थ और अपनी पत्नी द्रौपदी, जो की एक पवित्र और दिव्य आत्मा थी, सहित सब कुछ हार गये। दुष्ट दुर्योधन इस हद तक गिर गया कि उसने अपने छोटे भाई दुशासन को खुले दरबार में द्रौपदी को नग्न करने का आदेश दे दिया। द्रौपदी ने उस कठिन क्षण में भगवान श्रीकृष्ण को याद किया जो बिना दिखाई दिए उसके बचाव में आए और उन्होंने द्रौपदी की साड़ी को अंतहीन बना दिया। दुशासन जितनी साड़ी खींचता गया, साड़ी उतनी ही लंबी होती गई। परिणामस्वरूप, श्रीकृष्ण की कृपा से द्रौपदी भरी सभा में अपनी गरिमा बनाए रख सकीं।

खेल (जुएँ) में पराजित होने के बाद, एक पूर्व-निर्धारित नियम के रूप में, पांडवों को 12 वर्ष की अवधि के लिए वनवास और एक वर्ष की अवधि के लिए अज्ञातवास में

रहना पड़ा। एक और शर्त थी कि यदि वे अज्ञातवास में ढूँढ लिए गए तो उन्हें वनवास और अज्ञातवास की एक नई अवधि से गुजरना होगा। पांडवों ने खेल के नियम के अनुसार वनवास और अज्ञातवास का अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया।

खेल के नियमों के अनुसार अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद, वे हस्तिनापुर लौट आए और हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से अनुरोध किया कि वे इंद्रप्रस्थ का राज्य उन्हें वापस सौंप दें। अहंकारी दुर्योधन, राजा धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र, जो वास्तव में वास्तविक राजा की तरह व्यवहार कर रहा था, ने इंद्रप्रस्थ को वापस करने से साफ़ इनकार कर दिया। इस तरह कौरवों और पांडवों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ।

इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए, श्रीकृष्ण ने कौरवों और पांडवों के बीच मध्यस्थता करने के बारे में सोचा। उन्होंने पांडवों को अपना इरादा स्पष्ट कर दिया कि वह युद्ध से बचने के लिए उनके बीच मध्यस्थता करने के लिए हस्तिनापुर जाएंगे। पांडव उनके प्रस्ताव पर सहमत हो गए क्योंकि वे भी शांति में रुचि रखते थे। वे बस इतना चाहते थे कि उनका इंद्रप्रस्थ का राज्य उन्हें वापस मिल जाए।

हालाँकि, जब द्रौपदी को श्रीकृष्ण के हस्तिनापुर जाने की योजना के बारे में पता चला, तो वह निराश हो गई और

उन्होंने श्रीकृष्ण को हस्तिनापुर न जाने के लिए मनाने की कोशिश की, जहाँ उन्हें खुले दरबार में अपमानित किया गया था। हालाँकि, श्रीकृष्ण ने किसी तरह उन्हें समझाया कि शांति ही बेहतर विकल्प है और युद्ध को किसी भी कीमत पर टाला जाना चाहिए।

जब श्रीकृष्ण के हस्तिनापुर आने की खबर भीष्म और विदुर (प्रधान मंत्री) तक पहुंची, तो वे रणनीति पर चर्चा करने के लिए धृतराष्ट्र और दुर्योधन से मिले। उनका मत था कि युद्ध टालने का यह उनके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता था, क्योंकि श्रीकृष्ण स्वयं कौरवों और पांडवों के बीच मध्यस्थता करने आ रहे थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि वह किसी भी कीमत पर इस अवसर को हाथ से न जाने दे, क्योंकि यह सबके हित में है। धृतराष्ट्र ने श्रीकृष्ण को प्रभावित करने के लिए हस्तिनापुर आने पर उन्हें ढेर सारे उपहार देने की योजना बनाई। विदुर ने उन्हें सलाह दी गई कि वे ऐसा न करें क्योंकि श्रीकृष्ण उन सभी भौतिक चीजों से परे थे। उन्हें यह भी सलाह दी गई कि वे पूरी ईमानदारी से श्रीकृष्ण की बात सुनकर उन्हें प्रभावित करें और तदनुसार कार्य करें क्योंकि श्रीकृष्ण शांति के दूत थे।

कौरव पांडवों की ताकत को जानते थे क्योंकि वे पहले ही विराट के युद्ध में पांडवों से हार चुके थे। हालाँकि,

अहंकारी दुर्योधन, पांडवों के विरुद्ध युद्ध जीतने के लिए अति-आत्मविश्वासी था।

जब श्रीकृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे, तो कौरव पक्ष के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने उनका गरिमापूर्ण तरीके से स्वागत किया। दुर्योधन चाहता था कि श्रीकृष्ण उसके साथ भोजन करें, जिसे श्रीकृष्ण ने सीधे मना कर दिया। उन्होंने विदुर के निवास पर भोजन करना पसंद किया, जो प्रधान मंत्री थे, लेकिन कुरु वंश से नहीं थे। इससे दुर्योधन बहुत नाराज हुआ।

दुर्योधन के साथ भोजन करने को राजी न होकर श्रीकृष्ण ने मानव जाति को संदेश दिया कि मध्यस्थता के लिए जाते समय किसी एक पक्ष का आतिथ्य स्वीकार करना अनैतिक होता है। एक मध्यस्थ को न केवल ईमानदार होना चाहिए, बल्कि उसकी ईमानदारी उसके कार्यों में भी झलकनी चाहिए।

श्रीकृष्ण को पूरे सम्मान के साथ दरबार में लाया गया। श्रीकृष्ण ने पूरी विनम्रता और सभी शिष्टाचार के साथ राजा धृतराष्ट्र को युद्ध टालने और शांति बनाये रखने के लिए पांडवों को इंद्रप्रस्थ लौटाने की सलाह दी। श्रीकृष्ण ने राजा से कहा कि पांडव उनके छोटे भाई पांडु के पुत्र हैंऔर इसलिए, वे भी उनके प्यार और स्नेह के पात्र है; और वह उनके साथ कोई अन्याय न करे।

इस पर राजा धृतराष्ट्र के स्थान पर उनके अभिमानी पुत्र दुर्योधन ने प्रतिक्रिया दी कि उन्हें इंद्रप्रस्थ लौटाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। फिर उन्होंने श्रीकृष्ण से पूछा कि क्या उनके पास कोई और प्रस्ताव है?

श्रीकृष्ण ने कहा कि उनके पास एक और प्रस्ताव है। यहां वह मध्यस्थ से समाधानकर्ता बन गए। उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को प्रस्ताव दिया कि यदि वह पांडवों को इंद्रप्रस्थ वापस नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। वह उन्हें केवल पांच गाँव दे दे, जैसे कि अविष्थल, वृकस्थल, मकांडी, वारणावत, और एक और गाँव। पांडव इन पांच गांवों को पा कर भी संतुष्ट होंगे क्योंकि वे शांतिप्रिय हैं और युद्ध टल जाएगा। एक बार फिर अहंकारी दुर्योधन ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने कहा कि वे पांडवों को पाँच गाँव तो क्या, सूई की नोंक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। वह इस बात पर अड़ा था कि पांडवों को 12 साल के एक और कार्यकाल के लिए फिर से वनवास (निर्वासन) जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने पासा के खेल की शर्त के अनुसार कार्यकाल पूरा नहीं किया था। दुर्योधन ने पांडवों द्वारा वनवास और गुप्त काल की अवधि पूरी होने पर विवाद किया।

राजा धृतराष्ट्र, जो अपने पुत्र दुर्योधन के प्रेम में अंधे थे, उसकी इच्छाओं के विरुद्ध नहीं गए। श्रीकृष्ण ने धृतराष्ट्र से

कहा कि युद्ध अपरिहार्य हो गया है। उन्होंने कौरवों को युद्ध के गंभीर परिणामों के बारे में चेतावनी दी, जिससे दोनों पक्षों को असहनीय दुख होगा क्योंकि दोनों और से बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। दुर्योधन को श्रीकृष्ण के शब्दों से बुरा लगा, जो युद्ध के परिणामों और युद्ध के बाद होने वाली उसकी माँ की पीड़ा के बारे में सच्चाई बता रहे थे। न केवल श्रीकृष्ण की शांति की अपील अनसुनी कर दी गई, बल्कि मूर्ख दुर्योधन ने श्रीकृष्ण को गिरफ्तार करने और उन्हें जेल में डालने के लिए अपने सुरक्षा कर्मियों को आदेश दे दिया। किसी ने ठीक ही कहा है:

सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम् ।
(हर चीज का इलाज है लेकिन मूर्खता का नहीं) ।[1]

दुर्योधन को इस बात का भ्रम था कि वह ही केवल पृथ्वी पर एकमात्र शक्तिशाली व्यक्ति था जो युद्ध जीतने में सक्षम था। श्रीकृष्ण ने महसूस किया कि अब समय आ गया है कि उसका भ्रम दूर किया जाये और उसे अपनी शक्ति का अहसास कराया जाये। तब श्रीकृष्ण ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों को अपना विराट रूप दिखाया। श्रीकृष्ण आकार में बढ़ते गये और लौकिक प्रकाश छोड़ते गये जिससे दुर्योधन

[1] मुकुल एशर, "इंट्रोडक्शन टू पब्लिक पॉलिसी" (2023), p. 6, at https://clppg.nluassam.ac.in/index.php/2023/03/04/introduction-to-public-policy-by-prof-mukul-asher/

और उनके सभी शुभचिंतक भयभीत हो गए। श्रीकृष्ण, तब युद्ध के भयानक परिणामों के बारे में बता कर धृतराष्ट्र के दरबार से चले गए।

केवल अहंकारी और हठी दुर्योधन को छोड़कर धृतराष्ट्र के दरबार में हर कोई यह महसूस कर सकता था कि पांडव अकेले ही श्रीकृष्ण की मदद से युद्ध जीत सकते हैं क्योंकि उनके पास दैवीय शक्तियां थीं। स्वयं धृतराष्ट्र सहित दरबार में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति आसानी से श्रीकृष्ण के उस विराट रूप का अर्थ समझ सकते थे। वे जानते थे कि जब तक श्रीकृष्ण पांडवों के साथ हैं, उनके लिए युद्ध जीतना संभव नहीं होगा। लेकिन धृतराष्ट्र मध्यस्थता स्वीकार करने के बजाय चुप रहे और अपने बिगड़ैल बेटे दुर्योधन के फैसले के खिलाफ नहीं जा सके, यह जानते हुए भी कि वे पांडवों के खिलाफ अन्यायपूर्ण युद्ध करेंगे और इसके गंभीर परिणाम होंगे।

महान हिंदी कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी तृतीय सर्ग की एक हिंदी कविता "कृष्ण की चेतवानी" में पूरी घटना का वर्णन किया है। कविता के प्रासंगिक अंश नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

“मैत्री की राह बताने को,
सबको सुमार्ग पर लाने को,
दुर्योधन को समझाने को,

भीषण विध्वंस बचाने को,
भगवान हस्तिनापुर आये,
पांडव का संदेशा लाये।

दो न्याय अगर तो आधा दो,
पर, इसमें भी यदि बाधा हो,
तो दे दो केवल पाँच ग्राम,
रक्खो अपनी धरती तमाम।
...

दुर्योधन वह भी दे ना सका,
आशीष समाज की ले न सका,
उलटे, हरि को बाँधने चला,
जो था असाध्य, साधने चला।
जब नाश मनुज पर छाता है,
पहले विवेक मर जाता है।

हरि ने भीषण हुंकार किया,
अपना स्वरूप-विस्तार किया,
डगमग-डगमग दिग्गज डोले,
भगवान कुपित होकर बोले-
'जंजीर बढ़ा कर साध मुझे,
हाँ, हाँ दुर्योधन! बाँध मुझे।

यह देख, गगन मुझमें लय है,
यह देख, पवन मुझमें लय है,
मुझमें विलीन झंकार सकल,
मुझमें लय है संसार सकल।
अमरत्व फूलता है मुझमें,
संहार झूलता है मुझमें।

...

भूलोक, अतल, पाताल देख,
गत और अनागत काल देख,
यह देख जगत का आदि-सृजन,
यह देख, महाभारत का रण,
मृतकों से पटी हुई भू है,
पहचान, इसमें कहाँ तू है।

...

बाँधने मुझे तू आया है,
जंजीर बड़ी क्या लाया है?
यदि मुझे बाँधना चाहे मन,
पहले तो बाँध अनन्त गगन।
सूने को साध न सकता है,
वह मुझे बाँध कब सकता है?

हित-वचन नहीं तूने माना,
मैत्री का मूल्य न पहचाना,
तो ले, मैं भी अब जाता हूँ,
अन्तिम संकल्प सुनाता हूँ।
याचना नहीं, अब रण होगा,
जीवन-जय या कि मरण होगा।

टकरायेंगे नक्षत्र-निकर,
बरसेगी भू पर वह्नि प्रखर,
फण शेषनाग का डोलेगा,
विकराल काल मुँह खोलेगा।
दुर्योधन! रण ऐसा होगा।
फिर कभी नहीं जैसा होगा।

भाई पर भाई टूटेंगे,
विष-बाण बूँद-से छूटेंगे,
वायस-श्रृगाल सुख लूटेंगे,
सौभाग्य मनुज के फूटेंगे।
आखिर तू भूशायी होगा,
हिंसा का पर, दायी होगा"।...[2].

[2] कविता का पूरा प्रारूप https://hindionlinejankari.com/ramdhari-singh-dinkar-poems/पर उपलब्ध है।

इस तरह लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने उपरोक्त कविता में मध्यस्थता की शुरुआत से लेकर श्रीकृष्ण द्वारा दुर्योधन को युद्ध के परिणामों की चेतावनी देने तक की पूरी घटना को सुंदर ढंग से वर्णित किया है।

श्रीकृष्ण द्वारा उत्कृष्ट प्रस्ताव के साथ मध्यस्थता करने के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद मध्यस्थता सफल नहीं हुई। मध्यस्थता के सफल न होने का एकमात्र कारण दुर्योधन का हठ था जो किसी के वश में नहीं था। परिणाम सर्वविदित हैं - कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप भारी जनहानि हुई।

कौरवों और पांडवों की सेना क्रमशः 11 अक्षौहिणी और 7 अक्षौहिणी थी। एक अनुमान के अनुसार रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों सहित दोनों सेनाओं की संख्या क्रमश: 24,05,700 तथा 15,30,900 थी। उनमें से अधिकांश युद्ध में मारे गए। कुरुक्षेत्र के युद्ध की भयावहता को देखते हुए इसे प्रथम विश्व युद्ध कहना सबसे उपयुक्त होगा।

महाभारत दिखाता है कि कैसे, श्रीकृष्ण एक आदर्श मध्यस्थ थे, जिन्होंने कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध को टालने की पूरी कोशिश की। श्रीकृष्ण, ब्रह्मांड के भगवान होने के नाते यह अच्छी तरह से जानते थे कि मध्यस्थता एक असफल प्रयास होगा, फिर भी उन्होंने मध्यस्थता करके मानवता को यह सिखाने का प्रयास किया कि विवादों को

सुलझाने के लिए अंतिम समय तक हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।

यहाँ गीता के एक श्लोक का उल्लेख करना उचित होगा। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को संसार की भलाई के लिए अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा[3]:

> यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः |
> स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ||
>
> (महापुरुष जो भी कर्म करते हैं, सामान्य लोग उसका पालन करते हैं। वे जो भी मानक निर्धारित करते हैं, सारी दुनिया उसका अनुसरण करती है।)

यद्यपि श्रीकृष्ण ने पूर्वोक्त श्लोक महापुरुषों के संबंध में कहा, वही उन पर भी लागू होता है, जो स्वयं सर्वोच देव हैं। श्रीकृष्ण ने कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष को सुलझाने, युद्ध को टालने और उनके बीच शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए मध्यस्थता की थी। आम लोगों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने विवादों को सुलझाने के लिए उसी तरीके का पालन करें। किसी को सफलता या असफलता की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गीता के अनुसार व्यक्ति केवल अपना कर्तव्य निभा सकता है, परिणाम सर्वोच्च

[3] *श्रीमद् भागवत गीता,* अध्याय 3, श्लोक 21.

भगवान के हाथों में है। श्रीकृष्ण ने स्वयं मानव जाति के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए मध्यस्थता की कोशिश की, हालांकि वे मध्यस्थता को सफल बनाने में असफल रहे। श्रीकृष्ण के अनुसार फल की आशा किये बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना ही हमारा धर्म है।

भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना ने महाभारत का जिक्र करते हुए मध्यस्थता के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा:

> "मैं हमेशा इस पौराणिक कहानी को उद्धृत करता हूं। यह भगवान कृष्ण के कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले मध्यस्थता करने के प्रयासों से संबंधित है। कल्पना कीजिए कि अगर मध्यस्थता सफल होती तो ये राज्य कैसे समृद्ध हो गये होते।"[4]

न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने भी विवाद समाधान के लिए बेहतर विकल्प के

[4] त्यागराजन नरेंद्रन, "इमेजिन हाउ किंगडम्स वुड हैव प्रॉसपर्ड हैड लॉर्ड कृष्णा 'सक्सीडेड' इन मैडियेटिंग कुरुक्षेत्र वॉर: सीजेआई एनवी रमना" available at https://lawbeat.in/top-stories/imagine-how-kingdoms-would-have-prospered-had-lord-krishna-succeeded-mediating

रूप में मध्यस्थता के बारे में चर्चा करते हुए महाभारत का उल्लेख किया और कहा:

> "यदि आप असफल होते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भगवान श्रीकृष्ण भी अपने प्रयास में विफल रहे थे।"[5]

यहाँ यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि श्रीकृष्ण की विफल मध्यस्थता मानव जाति के लिए कई सकारात्मक परिणाम लाई।

सबसे पहले, बुराई की हार हुई और धर्म की जीत हुई। दूसरे शब्दों में, कौरव जो धर्म के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं थे, बुरी तरह से हार गए और मारे गए। पांडवों की जीत के साथ धर्म का शासन स्थापित हुआ।

दूसरे, गीता मानव जाति को उपहार में मिली, जिसे इस धरती पर सभी मनुष्यों के लिए उनकी जाति, पंथ, विश्वास, धर्म और राष्ट्रीयता के बावजूद "जीवन नियमावली" माना जाता है।

---

[5] "लैक ऑफ़ प्रोफेशनलिसम बाई आर्बिट्रेटर्स ब्रिंगिंग बैड नेम टू द कंट्री: सीजेआई ठाकुर" available at https://www.dnaindia.com/india/report-lack-of-professionalism-by-arbitrators-bringing-bad-name-to-the-country-cji-thakur-2154716

तीसरे, कुरुक्षेत्र के युद्ध ने मानव जाति को एक सबक सिखाया कि जो लोग अपने विवादों को शांतिपूर्ण तरीकों (मध्यस्थता या सुलह) के माध्यम से नहीं सुलझाते हैं, और अपने अहंकार, अभिमान, और विरोधी पक्ष को कम आंकने के कारण युद्ध करते है उनका हश्र भी अंत में कौरवों जैसा ही होता है।

चौथे, श्रीकृष्ण ने उन गुणों को सिखाया जो एक व्यक्ति को एक अच्छा मध्यस्थ बनने के लिए उसके पास होने चाहिए, जैसे कि निष्पक्ष होना, अच्छा संचारक होना, अच्छा श्रोता होना, एक महान विचारक होना (अलग हटकर सोचना), सभी स्थितियों में धैर्यवान होना, प्रतिष्ठित होना, पक्षकारों के प्रति सम्मान रखना, भरोसेमंद होना, सकारात्मक मानसिकता रखना और आत्मविश्वासी होना, इत्यादि।

आधुनिक समय की मध्यस्थता में भी एक अच्छे मध्यस्थ में उपरोक्त सभी गुण होने चाहिए। अनिल ज़ेवियर, एक वकील और प्रमाणित मध्यस्थ लिखते हैं कि एक अच्छे मध्यस्थ में कुछ गुण होने चाहिए जैसे कि समग्र व्यक्ति कौशल, अच्छा मौखिक और सुनने का कौशल, अलग हटकर सोचने की क्षमता, लोगों को एक साथ टीम में काम करने में मदद करना, निष्पक्ष, पक्षों के लिए सम्मान, पक्षों का विश्वास हासिल करने की क्षमता, मध्यस्थता प्रक्रिया का ज्ञान, प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण लाना, पहल

और इसका उपयोग करने का विश्वास, चिंतनशील, भरोसेमंद, जानकारी गोपनीय रखना और दबाव में शांत रहने की क्षमता रखना।[6]

[6] अनिल ज़ेवियर, "मीडियेशन इज हेयर टू स्टे", *इण्डियन ईयरबुक ऑफ़ इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिसी* (2009), pp. 363-78 at p. 368 available at http://arbitrationindia.com/pdf/mediation_tostay.pdf

अध्याय 5
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता

"तेज गति वैश्विक संस्कृति का उदय, व्यापार और वाणिज्य के बदलते जनसांख्यिकीय परिदृश्य के साथ-साथ आधुनिक समाज की जटिलताएं कुशल और समयबद्ध विवाद निवारण तंत्र की मांग करती हैं। पिछले दो दशकों में, मध्यस्थता को विश्व स्तर पर वैकल्पिक विवाद समाधान के सबसे प्रभावी तरीके के रूप में पहचाना जाने लगा है"।

न्यायमूर्ति शरद ए बोबडे
भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश

5. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता

"जैसे ही हम मध्यस्थता के भविष्य की ओर देखते हैं, हमें खुद को याद रखना चाहिए कि कानूनी सेवाएं - अन्य सभी सेवाओं की तरह - अंततः उपयोगकर्ता को केंद्र में रखकर बनाई जानी चाहिए। और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता को अपने आप में स्थापित होने के लिए, इसे सीमा पार व्यवसायों की उभरती जरूरतों को पूरा करना चाहिए"।

न्यायमूर्ति सुंदरेश मेनन
सिंगापुर के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश

मध्यस्तथा को, एक जाँचे परखे विवाद समाधान के तरीक़े के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा दो पक्षों के बीच

विवादों को हल करने के लिए भी अपनाया गया है। मध्यस्थता, और कुछ मामलों में सामूहिक मध्यस्थता को दो राष्ट्रों के बीच युद्ध टालने और उन्हें रोकने के लिए भी लागू किया गया है। मैक्स लुकाडो ने ठीक ही कहा है कि "संघर्ष अपरिहार्य है - मुकाबला वैकल्पिक है"।[1] इतिहास ऐसे मामलों से भरा पड़ा है, जहाँ मध्यस्थता ने हिंसा को समाप्त करने और वैश्विक समुदाय में अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में उत्कृष्ट भूमिका निभाई है।

उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर भी सदस्य राष्ट्रों को अपने विवादों को मध्यस्थता और सुलह सहित शांतिपूर्ण तरीकों से निपटाने के लिए प्रेरित करता है। कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ भी इस बात का प्रावधान करती हैं कि मध्यस्थता को अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने के लिए चुना जा सकता है।[2]

द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण द्वारा जो (मध्यस्थता) आह्वान किया गया था, उसे आधुनिक दुनिया में अंतरराष्ट्रीय विवादों को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा

[1] See https://www.overallmotivation.com/quotes/mediation-quotes/

[2] अनुच्छेद 2(3) और 33, संयुक्त राष्ट्र चार्टर। अनुच्छेद 279, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ़ द सी, 1982।

अपनाया गया है। यह अंतरराष्ट्रीय विवादों के निपटारे में भारत के नेतृत्व को भी दर्शाता है।

मध्यस्थता की, विवाद समाधान के एक तरीके के रूप में क्षमता को महसूस करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए भी अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर UNCITRAL मॉडल कानून, 2018 मध्यस्थता के प्रक्रियात्मक पहलुओं पर विस्तार से प्रावधान करता है। यह राष्ट्रों को मध्यस्थता के माध्यम से वाणिज्यिक विवादों को हल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। चूँकि यह केवल मॉडल कानून है, इसलिए यह संधि दायित्व के रूप में राष्ट्रों पर लागू नहीं होता है।

UNCITRAL मॉडल कानून को शुरू में 2002 में "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक सुलह पर मॉडल कानून" के रूप में अपनाया गया था। मूल रूप से, इसमें केवल सुलह प्रक्रिया शामिल थी। इसे 2018 में संशोधित किया गया था और इसे "मध्यस्थता से उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय निपटान समझौतों पर मॉडल कानून" का नाम दिया गया था। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि 2002 के मॉडल कानून में "सुलह" और "मध्यस्थता" शब्दों का परस्पर उपयोग किया गया था।

मध्यस्थता को एक संधि दायित्व बनाने के लिए, 20 दिसंबर 2018 को मध्यस्थता से उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय निपटान

समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र करार (जिसे सिंगापुर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है) को अपनाया गया था। सिंगापुर कन्वेंशन एक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय समझौता करार के लिए रूपरेखा स्थापित करता है जो मध्यस्थता से उत्पन्न हो सकता है और जो "विभिन्न कानूनी, सामाजिक और आर्थिक प्रणाली" वाले राज्य दलों के लिए भी स्वीकार्य हैं। इस तरह की रूपरेखा सदस्य देशों के बीच "अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के विकास" में योगदान दे सकती है। मध्यस्थता से उत्पन्न समझौता करार राज्य पार्टियों द्वारा लागू किए जाने योग्य है।

"मध्यस्थता" को सिंगापुर कन्वेंशन द्वारा एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है "जिससे पक्षकार किसी तीसरे व्यक्ति या व्यक्तियों की सहायता से अपने विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, जिनके पास विवाद के पक्षों पर समाधान लागू करने का अधिकार नहीं है"। मध्यस्थता की परिभाषा में संदर्भित "तीसरे व्यक्ति" को मध्यस्थ के रूप में जाना जाता है।

सिंगापुर कन्वेंशन के तहत सदस्य देश समझौता करार को अपने स्वयं के प्रक्रिया के नियमों के अनुसार लागू करने के लिए बाध्य हैं, जैसा कि उनके क्षेत्र में और करार के अनुसार लागू होता है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि "विदेशी पंचाट की मान्यता और प्रवर्तन पर करार" ("न्यूयॉर्क कन्वेंशन") के

समान, सिंगापुर कन्वेंशन भी "समझौता करार की मान्यता और प्रवर्तन की सुविधा प्रदान करता है"। इस प्रकार, एक समझौता करार को केवल एक अनुबंध के रूप में माने जाने के बजाय अदालत द्वारा सीधे लागू किया जा सकता है, जिसके प्रवर्तन के लिए एक सिविल मुकदमा दायर किए जाने की आवश्यकता होगी।[3]

इसलिए, "करार का महत्व पक्षकारों को यह निश्चितता प्रदान करने में निहित है कि मध्यस्थता के माध्यम से प्रभावित समझौता करार अंततः एक कुशल तरीके से लागू होगा और यदि दूसरा पक्ष चूक करता है तो उन्हें पूर्ण विकसित मध्यस्थता या मुकदमेबाजी में वापस नहीं लाया जाएगा।" गैर-अनुपालन के मामले में, सिंगापुर कन्वेंशन मध्यस्थता किए हुए समझौता करारों को यह अधिकार देता है।

राहत से इनकार करने के लिए कन्वेंशन के अनुच्छेद 5 में प्रावधान किया गया है जो राज्य पार्टी के सक्षम प्राधिकारी

[3] अधिक जानकारी के लिये देखें शानीन पारिख और इफरा शेख, "इंडिया: द सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडियेशन – इंडिया'स प्रो-एनफोर्समेंट रन कंटीन्यूज़", available at https://www.mondaq.com/india/arbitration-dispute-resolution/838414/the- singapore-convention-on-mediation-india39s-pro-enforcement-run-continues

को राहत देने से इंकार करने में सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 5 में ये निम्नलिखित आधार दिये गये हैं:

> (i) समझौता करार के लिए एक पक्ष कुछ अक्षमता के अधीन था;
>
> (ii) विचाराधीन समझौता करार - (1) लागू कानून के तहत अमान्य और शून्य, निष्क्रिय या निष्पादन करने में अक्षम है; (2) बाध्यकारी नहीं है, या इसकी शर्तों के अनुसार अंतिम नहीं है; या (3) बाद में संशोधित किया गया है;
>
> (iii) समझौता करार में दायित्व - (1) निष्पादित किए जा चुके हैं; या (2) स्पष्ट या बोधगम्य नहीं हैं;
>
> (iv) राहत देना समझौता करार की शर्तों के विपरीत होगा;
>
> (v) मध्यस्थ या मध्यस्थता के लिए लागू उन मानकों का मध्यस्थ द्वारा गंभीर उल्लंघन किया गया था जिसने उस पक्ष के लिए समझौता करार में प्रवेश करने का आधार बनाया था; या
>
> (vi) मध्यस्थ पक्षकारों को उन परिस्थितियों का खुलासा करने में विफल रहा जो मध्यस्थ की निष्पक्षता या स्वतंत्रता के रूप में न्यायसंगत संदेह

पैदा करती हैं और खुलासा करने में ऐसी विफलता का एक पक्ष पर भौतिक प्रभाव या अनुचित प्रभाव पड़ा और यदि उस परिस्थिति का खुलासा किया जाता तो वह पक्ष समझौता करार नहीं करता।

इसके अलावा, समझौता करार के आधार पर मांगी गई राहत को राज्य पार्टी के *सक्षम प्राधिकारी* द्वारा अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, अगर यह पाया जाता है कि - (i) राहत देना उस राज्य पार्टी की सार्वजनिक नीति के विपरीत होगा; या (ii) विवाद की विषय वस्तु उस पक्ष के कानून के तहत मध्यस्थता द्वारा निपटान के लिए सक्षम नहीं है।

ग्रेग एफ रेलिया के अनुसार, अदालती फैसलों की तुलना में मध्यस्थता समझौते के करारों का अधिक पालन किया जाता है। इसका कारण यह है कि मध्यस्थता के मामले में समझौता करार पर पहुंचने में पक्षों की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है।[4]

विवाद समाधान के निर्णयात्मक साधनों के प्रति सांस्कृतिक पूर्ववृत्ति, विशेष रूप से पश्चिम में, हमेशा विद्यमान रही है। सिंगापुर कन्वेंशन कानूनी व्यवस्थाओं में कुछ

[4] ग्रेग एफ रेलिया, "*मीडियेशन: ए पावरफुल टूल फॉर रिस्क रिडक्शन एंड रिवॉर्ड एक्सपेंशन इन द कमर्शियल सेक्टर*" इन सुधांशु बतरा, एट.एल. (eds.), *द पॉवर ऑफ़ मीडियेशन* (2020), p. 41.

सांस्कृतिक अंतरालों को पाटने के लिए मध्यस्थता के उपयोग को बढ़ावा देता है।[5] यह उम्मीद की जाती है कि सिंगापुर कन्वेंशन मध्यस्थता पर अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा में निश्चितता और स्थिरता लाएगा, जिससे सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को, मुख्य रूप से SDG 16 (जिसका उद्देश्य "सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना" है), को प्राप्त करने में भी आसानी होगी।[6] इसके अलावा यह भी उम्मीद की जाती है कि सिंगापुर कन्वेंशन सभी के लिए न्याय तक पहुंच प्रदान करने और सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और समावेशी संस्थानों का निर्माण करने में सहायक सिद्ध होगा।[7]

चूंकि सिंगापुर कन्वेंशन 2018 UNCITRAL मॉडल कानून के अनुरूप है, इसलिए राज्यों को यह लचीलापन उपलब्ध है की वें कन्वेंशन, या अकेले मॉडल कानून, या कन्वेंशन और मॉडल कानून दोनों को पूरक दस्तावेंजों के रूप में मध्यस्थता पर एक व्यापक कानूनी ढाँचे के अन्तर्गत अपनायें। [8]

---

[5] केनेडी गैस्टन, "द सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मेडिएशन एंड डिस्प्यूट्स इनवॉल्विंग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन" इन वी. के. आहूजा एट. अल., मध्यस्थता (2020), p. 30.

[6] देखें https://uncitral.un.org/en/texts/mediation/ conventions /international_ settlement_agreements

[7] देखें https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300

[8] https://uncitral.un.org/en/texts/mediation/ conventions/ international_settlement_agreements

भारत सिंगापुर कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता है और अभी भी एक पार्टी नहीं बना है। सिंगापुर कन्वेंशन को अपनाने से निस्संदेह यह साबित हो गया है कि मध्यस्थता विवाद निपटान का एक समय परखा हुआ तरीका है, जहां मध्यस्थता की कार्यवाही दोनों पक्ष के नियंत्रण में रहती हैं और दोनों पक्षकार जीत की स्थिति में होते हैं। इसलिए मध्यस्थता को वाणिज्यिक विवादों को निपटाने का मौका दिया जाना चाहिए जहां समय एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। वाणिज्यिक विवादों में मध्यस्थता का सबसे बड़ा लाभ यह है कि मध्यस्थता के बाद पक्षकारों के मध्य व्यावसायिक संबंध अक्षुण्ण बने रहते हैं या कभी-कभी मजबूत भी हो जाते हैं तथा पक्षकार पहले से अधिक व्यापार करते हैं।

अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता संस्थान, हेग के अध्यक्ष माइकल मैकिलरथ ने कहा था कि मध्यस्थता को विश्व स्तर पर स्वीकार किए जाने की आवश्यकता है, तभी यह एक पेशे के रूप में उभरेगा। उनके अनुसार, "पेशे के रूप में उभरने के लिए, मध्यस्थता को विश्व स्तर पर समझा और स्वीकार किया जाना चाहिए; जहां सक्षम मध्यस्थ पारदर्शी उच्च मानकों को लागू करते हैं, और चाहे जो कुछ भी उनकी पृष्ठभूमि हो, वे सहज रूप से पेशेवरों के रूप में माने जाते हैं; जहां उपयोगकर्ता मध्यस्थता को एक अवसर के रूप में देखते हैं और मध्यस्थ को शामिल करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की तुलना में स्वीकार करने के लिए अधिक इच्छुक होते

है; जहां सभी संस्कृतियों और तकनीकी क्षेत्रों से पर्याप्त सक्षम मध्यस्थ उपलब्ध होतें हैं ताकि सबसे उपयुक्त मध्यस्थ को आसानी से पहचाना जा सके।"[9]

जैसा कि इस अध्ययन में पहले ही चर्चा की जा चुकी है कि मध्यस्थता सभी प्रकार के विवादों में संभव है, चाहे वह विवाद राजनीतिक, वाणिज्यिक, पारिवारिक, सेवा या अन्य किसी क्षेत्र में हो। यहाँ रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का संदर्भ देना उपयुक्त होगा। साथ ही युद्ध रोकने में मध्यस्थता की क्या भूमिका हो सकती है, इस बात पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है।

सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध नहीं होना चाहिए था। पूरा अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस युद्ध को टालने में नाकाम रहा है। 24 फरवरी 2022 से युद्धरत दो राष्ट्रों के बीच मध्यस्थता करने के लिए संयुक्त राष्ट्र या राष्ट्रों के समूह या किसी एक राष्ट्र द्वारा कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है। युद्ध शुरू हुए एक वर्ष से अधिक हो गया है और आज तक कोई समाधान नहीं निकला है। यह युद्ध व्यावहारिक रूप से दो राष्ट्रों के बीच नहीं बल्कि राष्ट्रों के दो समूहों के बीच है। जैसा कि आम तौर पर होता है,

---

[9] अनिल ज़ेवियर, "मीडियेशन इज हेयर टू स्टे", *इण्डियन ईयरबुक ऑफ़ इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिसी* (2009), pp. 363-78 at p. 370 at http://arbitrationindia.com/pdf/mediation_tostay.pdf

दो राष्ट्रों में से एक, यानी रूस, युद्ध करने के लिए अडिग और कृतसंकल्प था।

एक मजबूत सैन्य शक्ति होने के नाते, रूस इस युद्ध को जल्द ही जीतने के लिए अति आत्मविश्वास में था। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ। रूस अब तक समझ चुका है कि यूक्रेन को जीतना उसके लिए उतना आसान नहीं होगा जैसा कि अनुमान लगाया गया था। कहीं न कहीं यूक्रेन द्वारा पश्चिमी सहायता का आकलन भी गंभीर रूप से गलत रहा। यूक्रेन को भारी क्षति हुई है और सब कुछ सामान्य होने में वर्षों लग जाएंगे। एक अध्ययन के अनुसार, इस युद्ध से यूक्रेन के भौतिक बुनियादी ढांचे को दिसंबर 2022 तक 127 बिलियन डॉलर का अनुमानित नुकसान हो चुका है।[10] यह नुक़सान प्रतिदिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है।

यूक्रेन तब तक लड़ना जारी रखेगा जब तक उसे पश्चिम देशों से सैन्य सहायता मिल रही है। यदि यूक्रेन को सैन्य सहायता बंद कर दी जाती है, तो वह बहुत कठिन स्थिति में आ जाएगा और अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं होगा, हालाँकि, वह आत्मसमर्पण नहीं करना चाहेगा और अंत तक लड़ने का प्रयास करेगा। दोनों तरफ से भारी जनहानि हुई है। इस युद्ध में अब तक कितने लोगों की मृत्यु हुई है इसका

[10] अधिक जानकारी के लिये देखें https://www.statista.com/statistics/1303344/ukraine-infrastructure-war-damage/

ठीक-ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है। अनौपचारिक स्रोतों द्वारा उद्धृत मृतकों का आंकड़ा काफी भिन्न है। भारी जनहानि के अलावा, रूस को भारी आर्थिक नुकसान भी हुआ है, लेकिन पुतिन की जिद उसे युद्ध रोकने से रोक रही है।

इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर देखा जा सकता है। मार्टिन लूथर ने एक बार कहा था "कहीं भी अन्याय का होना, हर जगह न्याय के लिए खतरा है"।[11] कई देशों में कच्चे तेल की कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई थीं, जिससे जनता पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा। रूस ने विभिन्न यूरोपीय देशों को तेल और गैस की आपूर्ति बंद कर दी क्योंकि वे यूक्रेन का समर्थन कर रहे थे। सर्दियों के दौरान तेल और गैस की आपूर्ति में कटौती ने इन देशों के लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया था।

अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? रूस ने कई बार धमकी दी है कि जरूरत पड़ने पर वह यूक्रेन के विरुद्ध परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचायेगा। वास्तव में यह रूस के लिए भी उसकी प्रतिष्ठा को बचाने वाली स्थिति है, क्योंकि वह अब समझ चुका है कि इस युद्ध को जीतना इतना आसान नहीं है। यदि युद्ध जारी

[11] https://tssw.tulane.edu/news/injustice-anywhere-threat-justice-everywhere

रहता है, तो रूस को भी भारी नुक़सान होगा, हालाँकि यह यूक्रेन के समान अनुपात में नहीं होगा।

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि युद्ध होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जब हुआ है तो अब रुक जाना चाहिए। दुनिया इस अन्यायपूर्ण युद्ध की मूक दर्शक बन कर नहीं रह सकती है। समय आ गया है जब भारत को आगे आना चाहिए और मध्यस्थता के माध्यम से इस युद्ध को रोकने के लिए श्रीकृष्ण का चरित्र धारण करना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की विश्वसनीय छवि है। पूरी दुनिया भी भारत से इस 21वीं सदी के सबसे भीषण युद्ध में मध्यस्थता करने और इसे रोकने की उम्मीद करती है। जितनी जल्दी मध्यस्थता होती है और युद्ध को रोक दिया जाता है, उतना ही यह दोनों देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बेहतर होगा। यह युद्ध जितना लंबा चलेगा, मध्यस्थों के लिए इसे रोकना उतना ही कठिन होगा। हमें परिणामों की परवाह किए बिना मध्यस्थता, जो कि न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के शब्दों में ईश्वरीय कार्य है, को करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।[12]

[12] अधिक जानकारी के लिये देखें
https://www.dnaindia.com/india/report-lack-of-professionalism-by-arbitrators-bringing-bad-name-to-the-country-cji-thakur-2154716

भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने ठीक ही कहा था कि जब "पत्थर हथौड़े की आखिरी चोट से टूट जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि पहली चोट बेकार थी। सफलता निरंतर प्रयासों का परिणाम है"।[13] मध्यस्थता के पहले प्रयास में भले ही विवाद सुलझ न पाए, लेकिन निरंतर प्रयासों के सकारात्मक परिणाम अवश्य ही आएंगे क्योंकि युद्ध को एक दिन तो समाप्त होना ही है। भगवान श्रीकृष्ण द्वारा दिए गए संदेश को पूरे दिल से और पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि मध्यस्थता युद्ध को टालने या रोकने से दुनिया में शांति ला सकती है।

यदि भारत विश्व गुरु बनने का सपना देखता है, तो यह उसके लिए इस सबसे खराब स्थिति में खुद को साबित करने और दुनिया को प्रभावित करने का सबसे अच्छा अवसर है। गौरतलब है कि भारत को 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक साल के लिए G 20 राष्ट्रों की अध्यक्षता मिली है। G 20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी पांच स्थायी सदस्य, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और चीन इसके सदस्य हैं। G 20, जोकि "अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग

[13] https://www.goodreads.com/quotes/9739013-a-stone-is-broken-by-the-last-stroke-of-hammer

के लिए प्रमुख मंच" है, ने "व्यापार, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध" को शामिल करने के लिए अपने एजेंडे का विस्तार किया। G 20 दुनिया की लगभग दो-तिहाई आबादी, वैश्विक व्यापार के 75% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 85% का प्रतिनिधित्व करता है। वैसे तो सुरक्षा G 20 का एजेंडा नहीं है, लेकिन हमे यह भी सोचना होगा कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभाव में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहयोग संभव नहीं है।

जैसा कि पहले ही वर्णन किया जा चुका है, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध दुनिया के कई देशों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर रहा है। भारत के लिए अपना नेतृत्व सिद्ध करने और इस युद्ध को रोकने तथा विश्व में शांति स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का यह सही समय है। भारत, G 20 राष्ट्रों का अध्यक्ष होने के नाते मध्यस्थ की भूमिका निभाने और युद्धरत देशों के बीच गतिरोध समाप्त करने के लिए बेहतर स्थिति में है। पूरी दुनिया भारत की और देख रही है। भारत द्वारा उठाए गए कदम की दुनिया भर में सराहना होगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 16 सितंबर 2022 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करते हुए कहा था कि "...आज का युग युद्ध का युग नहीं है"। उन्होंने शांति और "लोकतंत्र, कूटनीति और संवाद" के महत्व की वकालत की थी। भारत का धर्म श्रीकृष्ण की भूमिका ग्रहण

करना और दोनों देशों को मध्यस्थता के लिए तैयार करना है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है, जिसका समाधान मध्यस्थता से न हो सके।

यहाँ हमें निम्नलिखित दोहे को ध्यान में रखना चाहिए:

"कौन कहता है कि आसमाँ में छेद नहीं हो सकता
एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों!"

यहां एक बात और ध्यान देना जरूरी है कि पश्चिमी विद्वान समझते है कि भारत ने आधुनिक अंतरराष्ट्रीय कानून में कुछ भी योगदान नहीं दिया है। तथ्य यह है कि आधुनिक अंतरराष्ट्रीय कानून की कई अवधारणाएं प्राचीन भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत से भी बहुत पहले से मौजूद थीं। उदाहरण के लिए, कोई भी व्यक्ति प्राचीन भारत में संधियों, मध्यस्थता, शांति बनाए रखने, युद्ध के कानून, विशेष रूप से युद्ध के कैदियों पर कानून, राजनयिक विशेषाधिकार, राजनयिक प्रतिरक्षा, मानव अधिकार, महिला सशक्तिकरण, आदि विषयों को देख सकता है। प्राचीन भारत में लागू होने वाले इन विषयों पर कानून के मूल तत्व आज भी वही हैं। यह समृद्ध प्राचीन भारतीय संस्कृति, कानून और प्रथाओं के बारे में पश्चिमी विद्वानों की अज्ञानता को दर्शाता है।

अंत में यह कहा जा सकता है कि भगवान राम और भगवान श्रीकृष्ण ने क्रमशः त्रेता युग और द्वापर युग में हमें जो सिखाया वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा अपनाया गया है। हमें अपने प्राचीन ग्रंथों, महाकाव्यों और प्रथाओं पर गर्व महसूस करने की आवश्यकता है। उन ग्रंथों और प्रथाओं में जो कुछ भी निर्धारित किया गया है वह आज भी प्रासंगिक है। दिलचस्प बात यह है कि जिन अंग्रेजों ने 1775 में हमारी प्राचीन न्याय प्रणाली की आलोचना कर अपनी विरोधात्मक न्याय प्रणाली हम पर थोप दी थी, उन्होंने भी मध्यस्थता को अपनाया है। आशा की जा सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता सभी प्रकार के विवादों में सफल होगी।

अध्याय 6
भारत में मध्यस्थता

"मध्यस्थता और सुलह कार्य न्याय और सामाजिक परिवर्तन के बारे में एक गहन खोज है। लेकिन साथ ही, वे सेवा, एकजुटता, मानव आत्मा की खोज और पुनः प्राप्ति के बारे में भी हैं जो मानव संघर्ष, क्रूरता, अज्ञानता और लालच के कारण खो गई है या बिखर गई है।"

हिजकियास असीफ

6. भारत में मध्यस्थता

> "मध्यस्थता का एक औंस विवाचन के पाउंड और मुकदमेबाजी के टन के समतुल्य है"।
>
> जोसेफ जिमबॉम

भगवान श्रीकृष्ण द्वारा आह्वान किया हुआ, समय परखा हुआ, अत्यधिक विश्वसनीय, कुशल, सस्ता और विवाद के तेज समाधान का तरीका, यानी मध्यस्थता, आजादी के बाद भी कई दशकों तक ठंडे बस्ते में रखा गया क्योंकि हम विरोधात्मक प्रणाली पर बहुत अधिक निर्भर हो गये थे और इसे सबसे उपयुक्त न्याय प्रदान प्रणाली मानते थे।[1] वास्तव में, संविधान

[1] अधिक जानकारी के लिये देखिए अनूप कुमार श्रीवास्तव, "मोड्स ऑफ़ डिस्प्यूट रिज़ोल्यूशन एंड मीडियेशन ऐज़ ए प्रेफ़र्रेड एडीआर" इन इ-मीडियेशन राइटिंग्स, *मीडियेशन कम्पेंडियम* (2021), pp. 26-27.

निर्माताओं ने भी वैकल्पिक विवाद समाधान के तरीक़ों, विशेष रूप से मध्यस्थता पर उचित ध्यान नहीं दिया। न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी ने कहा कि यह न्यायपालिका थी जिसे "भारत के संविधान के तहत न्याय प्रदान करने वाली संस्था" के रूप में मान्यता दी गई थी[2]; और न्यायपालिका ने मध्यस्थता पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जैसा कि स्पष्ट है।

संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 के द्वारा, अनुच्छेद 39ए को "समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता" के संबंध में संविधान के भाग IV यानी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में शामिल किया गया था।[3] अनुच्छेद 39ए में भी मध्यस्थता की बात नहीं की गई है। मध्यस्थता सहित विवाद समाधान के स्वदेशी तरीकों पर विचार न करना न्यायपालिका के लिए एक बड़ी भूल साबित हुई और इसका परिणाम यह हुआ कि हर साल मामलों की संख्या बढ़ती चली गई। दुर्भाग्य से, लोगों द्वारा दायर मामले प्रति दिन अदालतों द्वारा तय किए गए मामलों

---

[2] जस्टिस ए.के. सीकरी, "द सिंगापुर कन्वेंशन: ए पैराडाइम शिफ्ट फॉर मिडियेशन" इन सुधांशु बतरा, एट.एल. (eds.), *द पॉवर ऑफ़ मीडियेशन* (2020), p. 11.

[3] 39ए. समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता - राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे, और विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित न रहे, उपयुक्त कानून या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा।

की तुलना में बहुत अधिक थे, जिसके कारण मामलों की लम्बितता अत्यधिक होती गई। एक प्रसिद्ध कहावत है कि "न्याय में देरी करना न्याय से वंचित करना है" या यह कि "विलंब न्याय को हरा देता है", जैसा कि न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी ने ठीक ही कहा है। उन्होंने आगे कहा कि न्याय में इस देरी ने "मुकदमेबाजों के बीच निराशा" पैदा की और न्याय प्रदान प्रणाली में "विश्वास की हानि" भी हुई। मध्यस्थता की प्रासंगिकता और महत्व पर जोर देते हुए, उन्होंने कहा कि "मध्यस्थता, विभिन्न परिस्थितियों में, न्याय तक पहुंच का सबसे अच्छा तरीका साबित हुई है"।[4] भगवान श्रीकृष्ण ने 5000 साल पहले दुनिया को यही सिखाया था।

न्यायमूर्ति सीकरी कहते हैं कि भारत में "सामाजिक संदर्भ न्याय" की अवधारणा को अपनाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि "सामाजिक संदर्भ न्याय" मुख्य रूप से "विरोधात्मक व्यवस्था से एक बदलाव है ताकि न्याय प्रदान प्रणाली में समाज का विश्वास बनाए रखा जा सके जिससे कानून और जीवन, कानून और न्याय के बीच की खाई को पाटा जा सके"। मध्यस्थता सहित वैकल्पिक विवाद समाधान तरीक़ों को "सामाजिक संदर्भ

[4] जस्टिस ए.के. सीकरी, "द सिंगापुर कन्वेंशन: ए पैराडाइम शिफ्ट फॉर मिडियेशन" इन सुधांशु बतरा, एट.एल. (eds.), *द पॉवर ऑफ़ मीडियेशन* (2020), p. 11.

न्याय" में इस बदलाव के कारण लाया गया था।[5] अतः यह ठीक ही कहा गया है कि देर आए दुरुस्त आए।

1996 में, विधायिका द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया जब उसने विवाचन अधिनियम, 1940 को, जोकि पुराना हो गया था, निरस्त करते हुए विवाचन और सुलह अधिनियम, 1996 पारित किया। यह सोचा गया था कि विवाचन और सुलह से मामले बहुत तेजी से और सस्ते में तय होंगे। विवाचन मुख्य रूप से कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा लागू की गई थी। सुलह को वह कामयाबी नहीं मिली जिसकी उससे अपेक्षा थी। विवाद समाधान की एक विधि के रूप में सुलह का कम उपयोग किया गया।

भारत के विधि आयोग ने लंबित मामलों पर कुछ अध्ययन किए थे और कई सिफारिशें भी की थीं। सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1997, जिसे 14 अगस्त 1997 को राज्य सभा में पेश किया गया था, विधि आयोग की 129वीं रिपोर्ट; अधीनस्थ विधानों पर समिति (11वीं लोकसभा) की रिपोर्ट; और "विवाद समाधान के लिए वैकल्पिक तरीकें और मंच" पर मालिमथ समिति की रिपोर्ट; और उन सबकी सिफारिशों से प्रभावित हुआ था।

विधेयक का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी था कि "दीवानी मुकदमों और कार्यवाहियों के निपटान में तेजी लाने

[5] *Id.* at 12.

के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए"।[6] विधेयक में "न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे" के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में एक नया प्रावधान धारा 89 सम्मिलित करने का प्रस्ताव था। 1999 में अंतत: सिविल प्रक्रिया संहिता में धारा 89 जोड़ी गई जो 1 जुलाई 2002 से लागू हुई।

धारा 89(1) यह प्रावधान करती है कि "जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि समझौते के तत्व मौजूद हैं जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकते हैं, न्यायालय समझौते की शर्तों को तैयार करेगा और उन्हें पक्षों को उनकी टिप्पणियों के लिए देगा और पक्षों की टिप्पणियों को प्राप्त करने के बाद, न्यायालय संभावित समझौते की शर्तों को पुनः तैयार कर सकता है और उसे मध्यस्थता के लिए संदर्भित कर सकता है। धारा 89(2) यह प्रावधान करती है कि "जहां एक विवाद मध्यस्थता के लिए भेजा गया है, न्यायालय पक्षों के बीच समझौता करेगा और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो निर्धारित की जायेंगी"।

सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन, तमिलनाडु बनाम *भारत संघ*[7] में सिविल प्रक्रिया संहिता के संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी। संशोधनों को न्यायालय द्वारा

---

[6] वी.के. आहूजा, "मेकिंग एडीआर टेक्नीक्स मेंडेटरी इन इंडिया: प्रोपोज़्ड सीपीसी अमेंडमेंट", II नेशनल कैपिटल लॉ जर्नल (1997), pp. 27-42 at 38-39.

[7] (2003) 1 SCC 49.

बरकरार रखा गया था। न्यायालय ने वैकल्पिक विवाद समाधान के तरीक़ों के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण अवलोकन किया:

> "दुनिया के कुछ देशों में जहां एडीआर इस हद तक सफल रहा है कि 90 प्रतिशत से अधिक मामलों को अदालत से बाहर सुलझाया जाता है, वहां आवश्यकता है कि वाद के पक्षकार एडीआर का वह तरीक़ा बतायें जो वे मुकदमे की सुनवाई के लंबित रहते हुए अपनाना चाहते हैं। यदि पक्ष विवाचन के लिए सहमत होते हैं, तो विवाचन और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान लागू होंगे और वह मामला अदालत के बाहर जाएगा, लेकिन विवाद को निपटाने की दृष्टि से सुलह या न्यायिक समाधान या मध्यस्थता का सहारा लेना अपने आप में मामले को न्यायिक प्रणाली से बाहर नहीं ले जाएगा। इसका मतलब यह है कि पक्षों के बीच एक सौहार्दपूर्ण समझौता करने का प्रयास किया जाना है, लेकिन यदि प्रयासों के बावजूद सुलह या मध्यस्थता या न्यायिक समझौता संभव नहीं है, तो मामला अंततः सुनवाई के लिए जाएगा"।[8]

पूर्वोक्त अवलोकन में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि एडीआर कुछ देशों में बहुत सफल रहा है जहां 90% से अधिक मामलों का अदालत से बाहर समझौता

[8] *Id.*, para 10.

हुआ है। इससे पता चलता है कि मध्यस्थता सहित एडीआर के तरीक़ों में अदालतों का बोझ कम करने की क्षमता है।

सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन, तमिलनाडु बनाम *भारत संघ* (2003)[9] और *सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन, तमिलनाडु* बनाम *भारत संघ* (2005)[10] में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के प्रभावी कार्यान्वयन को गति देने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान नियम 2009 और सिविल प्रक्रिया मध्यस्थता नियम 2009 बनाए गए।

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के संबंध में कानूनी स्थिति को सुप्रीम कोर्ट द्वारा *एफकॉन इंफ्रा लिमिटेड और अन्य* बनाम *चेरियन वारके कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड*[11] में स्पष्ट किया गया था। इस मामले में न्यायालय ने धारा 89 के कार्यान्वयन के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश दिए थे।

धारा 89 को सिविल प्रक्रिया संहिता में शामिल करने की विधायिका की पहल दीवानी मामलों के शीघ्र निपटान की दिशा में एक अच्छा कदम था। न्यायपालिका ने धारा 89 के कार्यान्वयन के संबंध में प्रक्रिया की व्याख्या करने और कानूनी क्षेत्र में कार्य

[9] (2003) 1 SCC 49.
[10] (2005) 6 SCC 344.
[11] (2010) 8 SCC 24.

करने वालों की शंकाओं को दूर करने में भी अपनी भूमिका निभाई। विधायिका और न्यायपालिका के प्रयास वांछित परिणाम नहीं ला पाये क्योंकि मामले बढ़ते रहे और विवाद समाधान के तरीके के रूप में मध्यस्थता का प्रभाव बहुत अधिक दिखाई नहीं दिया।

विधायिका ने 2015 में "वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग अधिनियम" को अधिनियमित करके वाणिज्यिक मामलों के त्वरित निपटान की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। अधिनियम में "वाणिज्यिक विवाद" को व्यापक तरीके से परिभाषित किया गया है। 2018 के एक संशोधन अधिनियम द्वारा, मध्यस्थता को 2015 अधिनियम में वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के एक तरीके के रूप में जोड़ा गया है। 2018 के संशोधन में अन्य बातों के साथ-साथ धारा 12ए को शामिल किया गया, जो वाणिज्यिक विवादों में अनिवार्य "पूर्व-संस्था मध्यस्थता और समझौता" का प्रावधान करती है। 2018 में संशोधित वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय (पूर्व-संस्था मध्यस्थता और समझौता) नियम, 2018 को अपनाया गया।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में विवाद समाधान के तरीके के रूप में मध्यस्थता को शामिल करना एक स्वागत योग्य कदम है। चूंकि 2018 के नियम अन्य बातों के

साथ-साथ मध्यस्थता की कार्यवाही की गोपनीयता का भी ध्यान रखते हैं और मध्यस्थ के लिए नैतिकता का भी प्रावधान करते हैं, इसलिए मध्यस्थता का एक आशाजनक भविष्य होने की संभावना है, बशर्ते पक्ष निहित स्वार्थ, यदि कोई हो, को छोड़कर सकारात्मक मानसिकता के साथ कार्यवाही में शामिल हों।[12]

उल्लेखनीय है कि पहला न्यायालय संलग्न मध्यस्थता केंद्र चेन्नई में शुरू किया गया था। इसका आयोजन कोर्ट प्रशासन ने किया था। तत्पश्चात, दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता और सुलह केंद्र की स्थापना की गई जिसका प्रबंधन दिल्ली उच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, दिल्ली के क्षेत्र में, न्यायालय संलग्न मध्यस्थता केंद्रों में, न्यायाधीशों की सेवाओं को जिला अदालतों द्वारा मध्यस्थ के रूप में विस्तारित किया गया। दिल्ली में जिला अदालतों का यह कदम सराहनीय है।

सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति (एमसीपीसी) द्वारा किए गए उत्कृष्ट प्रयासों के साथ, सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों ने न्यायालय संलग्न मध्यस्थता केंद्र स्थापित किए हैं। इसके अलावा, उच्च न्यायालयों

[12] अधिक जानकारी के लिये देखें वी. के. आहूजा एंड पार्थवी आहूजा, "मीडियेशन इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स" इन वी. के. आहूजा एट.अल., *मीडियेशन* (2020), pp. 127-39.

ने अपने मध्यस्थता और सुलह नियम भी बनाए हैं जो उनके न्यायालय संलग्न मध्यस्थता केंद्रों पर लागू होते हैं।[13]

उल्लेखनीय है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, विशेष विवाह अधिनियम, 1954, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, कंपनी अधिनियम, 2013, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015, रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में भी मध्यस्थता/सुलह लागू की गई है।

भारत में मध्यस्थता नहीं बढ़ने का एक मुख्य कारण मध्यस्थता पर नियमों या दिशा-निर्देशों की कमी थी, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है। तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमना ने कहा था कि "धारा 89 सीपीसी की संवैधानिक चुनौती में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त की, जिसे (नियमों के मसौदे को) बाद में मंजूरी दे दी गई। सभी उच्च न्यायालयों को नियम बनाने का निर्देश दिया गया था। इससे भारत में न्यायालय-संलग्न मध्यस्थता का विकास हुआ"।[14]

---

[13] देखें निरंजन जे. भट्ट, "रोल ऑफ़ 'थर्ड पार्टी' इन मीडियेशन" इन सुधांशु बतरा, एट.एल. (eds.), *द पॉवर ऑफ़ मीडियेशन* (2020), pp. 52-53.
[14] व्याख्यान का पूरा प्रारूप https://www.deccanherald.com/national/mahabharata-early-attempt-at-mediation-a-tool-of-

न्यायमूर्ति रमना ने आगे कहा कि "मध्यस्थता रेफरल अक्सर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भी होते हैं, और मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि दशकों से चले आ रहे विवाद थोड़े समय के भीतर मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम से हल हो जाते हैं"।[15]

निजी मध्यस्थताओं का उल्लेख करते हुए, न्यायमूर्ति रमना ने आगे कहा कि "निजी मध्यस्थता, जो पूर्व-मुकदमेबाजी चरण में होती है, देश में भी अधिक प्रचलित हो रही है। वाणिज्यिक अनुबंधों में अधिकांश विवाचन धारा में एक बहु-स्तरीय दृष्टिकोण होता है, जहां पक्षकारों के बीच विवाद को सुलझाने का पहला प्रयास मध्यस्थता या बातचीत के माध्यम से होता है"।[16]

यह वैकल्पिक विवाद समाधान के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट विकास है जहां मध्यस्थता सहित एडीआर के विभिन्न तरीकों को एक वाणिज्यिक अनुबंध में विवाचन शुरू करने से पहले लागू किया जाएगा। वाणिज्यिक अनुबंधों में बहु-स्तरीय दृष्टिकोण हमेशा उपयोगी होगा, चाहे अनुबंध के दोनों पक्ष भारतीय हों या उनमे से एक विदेशी हो। यह इस तथ्य को साबित करता है कि

---

social-justice-chief-justice-n-v-ramana-1009719.html पर उपलब्ध है।

[15] *Ibid.*

[16] *Ibid.*

मध्यस्थता/सुलह को सभी संभावनाओं में लागू किया जाना चाहिए। जब मध्यस्थता/सुलह के माध्यम से विवाद का समाधान नहीं होता है, केवल तभी विवाचन को लागू किया जाना चाहिए या पक्षों को अदालत में जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमने युगों बाद एक बार फिर मध्यस्थता के महत्व को पहचाना है और तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमना ने भी यही कहा है।

2005 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति (एमसीपीसी) की स्थापना की थी। एमसीपीसी अन्य बातों के साथ-साथ देश भर में मध्यस्थों और रेफरल न्यायाधीशों को प्रशिक्षित करता है। इसे भारत में मध्यस्थता प्रक्रिया को संस्थागत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी कहा जा सकता है।

मध्यस्थों को पेशेवर मध्यस्थों के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए, मध्यस्थता संबंधी योग्यता/कौशल को अलग किया गया है, उनकी पहचान की गई है और उन्हें मध्यस्थों को सिखाया जाता है। इस तरह के प्रशिक्षित पेशेवर मध्यस्थों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने "प्राधिकार-आधारित या मनमाना निर्णय

लेने" के बजाय मुख्य बातचीत और संचार कौशल का उपयोग करके विवादों को हल करने में पक्षकारों की सहायता करें।[17]

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एफ एम इब्राहिम कलीफुल्ला ने कहा कि 2005 से 2015 के दौरान तमिलनाडु में मध्यस्थता और सुलह केंद्र को भेजे गए 38,592 मामलों में से केवल 6,359 का निपटारा किया गया था। सफलता का आंकड़ा केवल 18% था। उन्होंने आगे कहा कि "पारंपरिक सिविल अदालतों द्वारा लाखों निपटारो की तुलना में यह मामूली उपलब्धि है"।[18]

ऐसी खेदजनक स्थिति पर निराशा व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति कलीफुल्ला ने पांच पहलुओं की तरफ़ तत्काल ध्यान आकर्षित किया। ये पाँच पहलू हैं - (i) मध्यस्थता के लिए संदर्भ; (ii) कौशलता की कमी; (iii) वादियों द्वारा दिखाई गई अनिच्छा; (iv) खराब बुनियादी ढाँचा; और (v) अच्छा मानदेय।[19]

---

[17] ग्रेग एफ रेलिया, "*मीडियेशन*: ए पावरफुल टूल फॉर रिस्क रिडक्शन एंड रिवॉर्ड एक्सपेंशन इन द कमर्शियल सेक्टर" इन सुधांशु बतरा, एट.एल. (eds.), *द पॉवर ऑफ़ मीडियेशन* (2020), pp. 33-34.

[18] "जजस इन्वॉक वेदा, लॉर्ड कृष्णा, प्रोफेट टू ले स्ट्रेस ऑन मीडियेशन" https://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/judges-invoke-veda-lord-krishna-prophet-to-lay-stress-on-mediation/articleshow/50510850.cms पर उपलब्ध है।

[19] *Ibid*.

विवाद समाधान तरीक़े के रूप में मध्यस्थता पर कोई विशेष अधिनियम नहीं था, जैसा कि विवाचन और सुलह के लिए था। "मध्यस्थता, विशेष रूप से संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए, वाणिज्यिक या अन्य विवादों के समाधान के लिए, मध्यस्थता निपटान समझौतों को लागू करने, मध्यस्थों के पंजीकरण के लिए एक निकाय प्रदान करने, सामुदायिक मध्यस्थता को प्रोत्साहित करने के लिए और ऑनलाइन मध्यस्थता को स्वीकार्य और लागत प्रभावी प्रक्रिया बनाने के लिए" 20 दिसंबर 2021 को मध्यस्थता विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया था। इस विधेयक को अगस्त 2023 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया। 14 सितंबर 2023 को मध्यस्थता अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति मिली।

मध्यस्थता अधिनियम, 2023 "मध्यस्थता" को परिभाषित करता है। अधिनियम के अनुसार, "मध्यस्थता" में एक प्रक्रिया शामिल है, चाहे वह मध्यस्थता, मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता, ऑनलाइन मध्यस्थता, सामुदायिक मध्यस्थता, सुलह या समान अर्थ की अभिव्यक्ति द्वारा संदर्भित हो, जिससे पक्ष मध्यस्थ कहे जाने वाले तीसरे व्यक्ति जिसके पास विवाद के पक्षों पर समझौता थोपने का अधिकार नहीं है, की सहायता से अपने विवाद का निपटारा सौहार्दपूर्ण तरीक़े से करने का प्रयास करते हैं।[20]

[20] धारा 3(h), मध्यस्थता अधिनियम, 2023.

अधिनियम की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध विवादों या मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से हल नहीं किया जाएगा। हालाँकि, न्यायालय, सुलह योग्य अपराधों या दीवानी कार्यवाही से जुड़े वैवाहिक अपराधों से संबंधित किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित कर सकता है।[21]

विधेयक प्रस्ताव करता है कि मध्यस्थ का दायित्व विवाद के एक सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने के प्रयास में एक स्वतंत्र, तटस्थ और निष्पक्ष तरीके से पक्षों की सहायता करना है। मध्यस्थ को निष्पक्षता और न्यायसंगता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मध्यस्थ को पक्षकारों की स्वैच्छिकता, गोपनीयता और आत्मनिर्णयता को संरक्षित करना है। मध्यस्थ को मुद्दों की पहचान करने, गलतफहमियों को कम करने, प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने, समझौते के क्षेत्रों की खोज करने और विवाद को शीघ्रता से हल करने के प्रयास में विकल्पों को उत्पन्न करने में पक्षकारों की सहायता करनी है। मध्यस्थ स्पष्ट शब्दों में पक्षकारों को सूचित करने के लिए बाध्य होगा कि वह केवल उन्हें विवाद को हल करने के निर्णय पर पहुंचने में सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही वह यह भी स्पष्ट करेगा कि वह उन पर कोई समझौता नहीं थोपेगा और न हि कोई

[21] *Id.*, धारा 6.

आश्वासन देगा कि मध्यस्थता के परिणामस्वरूप समाधान हो जाएगा।[22]

मध्यस्थता कार्यवाही में सभी हितधारकों द्वारा गोपनीयता बनाए रखी जानी चाहिए।[23] मध्यस्थता समझौते को निम्नलिखित के आधार पर चुनौती दी जा सकती है - (1) धोखाधड़ी; (2) भ्रष्टाचार; (3) प्रतिरूपण; या (4) विवाद मध्यस्थता के लिए उपयुक्त नहीं है।[24] ऑनलाइन मध्यस्थता को अधिनियम के तहत मंजूरी दी गई है।

अधिनियम में भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना का भी प्रावधान है। परिषद के कर्तव्यों और कार्यों में शामिल है - मध्यस्थता को बढ़ावा देने से लेकर निरंतर शिक्षा, प्रमाणन और मध्यस्थों के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करना; मध्यस्थों के पंजीकरण, नवीनीकरण, वापसी, निलंबन या पंजीकरण रद्द करने का तरीका; मध्यस्थों के पेशेवर और नैतिक आचरण के लिए मानक निर्धारित करना; मध्यस्थता के क्षेत्र में प्रशिक्षण, कार्यशालाएं और पाठ्यक्रम आयोजित करना; मध्यस्थता संस्थानों और मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं को मान्यता

[22] *Id.*, धारा 15 और 16.
[23] *Id.*, धारा 22.
[24] *Id.*, धारा 28.

देना; और मध्यस्थता संस्थानों और मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं के पेशेवर और नैतिक आचरण के लिए मानक निर्धारित करना।[25]

अधिनियम में सामुदायिक मध्यस्थता करने का प्रावधान भी शामिल है।[26] मध्यस्थता को पूरा करने की समय सीमा 120 दिन होगी जिसे 60 दिनों तक और बढ़ाया जा सकता है।[27]

न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा ने अपने व्याख्यान में कहा कि मध्यस्थता विधेयक के पारित होने के साथ ही मध्यस्थों की आवश्यकता भी बढ़ जायेगी। ऐसे में वकीलों को तैयार होने और प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है।[28]

यह एक प्रसन्नता का विषय है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 के बीच, 479 वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र थे, जिनमें से 412 कार्यरत थे। वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्रों के अलावा, 613 मध्यस्थता केंद्र और 16,577 मध्यस्थ थे जिनमें न्यायिक अधिकारी मध्यस्थ, वकील मध्यस्थ और अन्य मध्यस्थ

---

[25] *Id.*, धारा 31 और 38.

[26] *Id.*, धारा 43.

[27] *Id.*, धारा 18.

[28] अधिक जानकारी के लिए देखें शेरिल सेबस्टियन, "वी हैव सफ़र्ड इनफ विद् एडवरसेरियल लिटिगेशन, मीडियेशन इज द अल्टरनेटिव: जस्टिस पीएस नरसिम्हा", 9 मई 2023 ऐट https://www.livelaw.in/top-stories/supreme-court-justice-ps-narasimha-no-adversarial-litigation-mediation-is-the-alternative-228338?infinitescroll=1

शामिल थे। इस दौरान 67,099 मामले मध्यस्थता के जरिए निपटाए गए।[29]

इससे पता चलता है कि संस्थागत तरीके से और पूरी क्षमता से मध्यस्थता का उपयोग करके, तुलनात्मक रूप से कम समय में अच्छी संख्या में मामलों का निपटारा किया जा सकता है।

[29] अधिक जानकारी के लिए और मध्यस्थता पर अवधि-वार आँकड़े तक पहुंच प्राप्त करने के लिए, देखें https://nalsa.gov.in/ statistics/settlement-through-mediation-report/ settlement-through-mediation-april-2022-to-december2022

अध्याय 7
भारत में लंबित मामले: क्या मध्यस्थता आमूलचूल परिवर्तन ला सकती है?

"लंबित मामलों के कारण हमारी न्यायिक प्रणाली पर दबाव न केवल न्याय प्रदान करने में देरी करता है बल्कि इसमें जनता के विश्वास को भी प्रभावित करता है। आज की दुनिया में मध्यस्थता की भूमिका न केवल अदालतों में मुकदमों की संख्या को कम करने की है, बल्कि यह संघर्षों को हल करने का एक लागत प्रभावी तरीका भी साबित हो रही है"।

न्यायमूर्ति शरद ए बोबडे
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधी

7. भारत में लंबित मामले: क्या मध्यस्थता आमूलचूल परिवर्तन ला सकती है?

"अगर हर मामले को अंत तक लड़ा जाना है, अगर हर पहली अपील को अदालतों द्वारा सुना जाना है, अगर हर मामला सुप्रीम कोर्ट तक आता है, तो 200 साल, 500 साल भी इन मुकदमों का अंत नहीं देखे पायेंगे ।"

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल
न्यायाधीश, भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सभी अदालतों में कुल मिलाकर लंबित मामलों की संख्या लगभग ५ करोड़ तक पहुंच गई है। हैरानी की बात यह है कि यह संख्या कई देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक है।

हुसैनारा खातून बनाम *गृह सचिव, बिहार राज्य*[1] में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि "शीघ्र सुनवाई का अधिकार एक मौलिक अधिकार है", जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आता है। त्वरित न्याय का अधिकार किसी भी मजबूत न्याय प्रदान प्रणाली के लिए अनिवार्य है, क्योंकि देर से मिला न्याय, न्याय से वंचित होने के बराबर है।

अब सवाल यह उठता है कि लंबित मामलों की बढ़ती संख्या के लिए किसे दोषी ठहराया जाए? क्या केवल न्यायपालिका दोषी है? उत्तर है नहीं। वास्तव में, राज्य के तीनों अंग, अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं।

लंबित मामलों को लेकर दोषारोपण का खेल अब बंद होना चाहिए और मामलों की लंबितता को कम करने के लिए एक प्रभावी समाधान खोजा जाना चाहिए। आज दर्ज किया गया मामला कल लंबित मामलों की संख्या में जुड़ जाता है। बढ़ती आबादी के साथ जो 140 करोड़ की सीमा को पार कर गई है, मामलों की संख्या भी बढ़ रही है। लंबित मामलों को तत्काल आधार पर कम करने के लिए किसी के पास जादू की छड़ी तो है नहीं, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उचित विकल्प ढूँढा जाये और उसे प्रभावी तरीक़े से लागू किया जाये।

[1]1979 SCR (3) 532.

न्यायमूर्ति एन वी रमना ने ठीक ही कहा है कि मामलों की लंबितता को बढ़ाने वाले कई कारकों में से एक "विलासी मुकदमेबाजी" है। "विलासी मुकदमेबाजी" को न्यायमूर्ति रमना द्वारा "विशिष्ट प्रकार की मुकदमेबाजी" के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें संसाधन वाले पक्ष न्यायिक प्रक्रिया को विफल करने का प्रयास करते हैं और न्यायिक प्रणाली में कई समानांतर कार्यवाहियाँ दायर करके न्यायिक प्रक्रिया को विलंबित करते हैं। इन असंवेदनशील पक्षों को मामलों के लंबित होने के मामले में न्यायिक प्रणाली पर दबाव की कोई परवाह नहीं होती। वे अनावश्यक और परिहार्य मामलों को दर्ज करके अपना व्यक्तिगत प्रतिशोध निबटाते हैं या अपने अहंकार को संतुष्ट करते हैं।

न्यायमूर्ति रमना द्वारा "न्याय तक पहुंच में वृद्धि" को भारत में लंबित मामलों में योगदान देने वाले एक अन्य कारक के रूप में भी उद्धृत किया गया है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधिनियमन के बाद भारत में कानूनी सहायता कार्यक्रमों ने लगभग 70% भारतीय आबादी को न्याय तक आसान पहुंच प्रदान की है।

न्यायमूर्ति रमना यह कहने में सही हो सकते हैं कि "न्याय तक पहुंच में वृद्धि" बढ़ते लंबित मामलों के लिए एक कारक है। साथ ही यह कहना भी गलत नहीं होगा कि न्याय व्यवस्था के बारे में जनता की आम धारणा में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। बहुत

से लोग अभी भी अपने अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह समय और धन की बर्बादी होगी। वे न्यायालय जाने के बजाय अन्याय को सहना पसंद करते हैं। दूसरी ओर, आपराधिक मानसिकता वाले कुछ लोग अपना मामला तुरंत ही ग़ैरक़ानूनी रूप से निपटा देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि न्यायालय जाने का कोई लाभ नहीं होगा।

उपरोक्त के अलावा, भौतिक और तकनीकी दोनों तरह के अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, बढ़ती आबादी की तुलना में न्यायाधीशों की कम संख्या, न्याय प्रदान प्रणाली में कृत्रिम बुद्धि (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का उपयोग न करना या अपर्याप्त उपयोग करना,[2] मध्यस्थता प्रक्रिया सहित एडीआर तंत्र का अपर्याप्त उपयोग,[3] सरकार की और से धन की कमी, अधिवक्ताओं की ओर से मामलों को अदालत से बाहर निपटाने की इच्छा की कमी, कुछ अन्य कारक हैं जो मामलों की बढ़ती लंबितता के लिए जिम्मेदार हैं।

---

[2] यह ध्यान देने योग्य है कि कई देशों में न्याय प्रदान प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (artificial intelligence) का उपयोग किया जा रहा है। कुछ देशों में जज ए. आई. के पास छोटे-छोटे मामले दायर किए जा रहे हैं, जिनकी अपील मानव जज को की जा सकती है।

[3] निजी मध्यस्थता पर कानून की कमी अब तक न्याय प्रदान प्रणाली के लिए हानिकारक साबित हुई है।

अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि "हर कठिनाई के बीच में अवसर होता है"। आज, कठिनाई लंबित मामलों की बढ़ती संख्या से निपटने की है, और अवसर है कि हम अपनी स्वदेशी विवाद समाधान पद्धति, यानी मध्यस्थता को लोकप्रिय बनाएं। दूसरे शब्दों में, लंबित मामलों को कम करने के लिए कई उपायों में से, जिन पर आज विचार किया जा रहा है, मध्यस्थता आमूलचूल परिवर्तन ला सकती है।

इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि मध्यस्थता विवाद को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है, चाहे वह राजनीतिक विवाद हो, पारिवारिक विवाद हो, व्यावसायिक विवाद हो या किसी अन्य प्रकृति का विवाद हो। मध्यस्थता, जिसका भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं आह्वान किया था, देश में विवाद समाधान के लिए सबसे भरोसेमंद तरीका है।

न्यायमूर्ति रमना ने भी कहा है:

> "मध्यस्थता और सुलह, लंबितता को कम कर सकते है, संसाधनों और समय को बचा सकते है, और वादियों को उनकी विवाद समाधान प्रणाली की प्रक्रिया और परिणाम पर नियंत्रण की अनुमति देते है"।[4]

[4] न्यायमूर्ति एन.वी. रमना का व्याख्यान "मिडियेशन फॉर एवरीवन: रियलाइज़िंग मिडियेशन'स पोटेंशियल इन इंडिया" ऐट इंडिया-सिंगापुर मिडियेशन समिट - 2021, available at

न्यायमूर्ति सीकरी का भी यह मत है कि पूर्व मुकदमेबाजी मध्यस्थता के रूप में मध्यस्थता में बकाया की समस्या को दहलीज पर ही निपटाने की क्षमता है। न्यायपालिका पर दबाव कम करने के लिए मध्यस्थता "विवाद से बचाव" की स्थिति ला सकती है।

न्यायमूर्ति सीकरी आगे कहते हैं कि "अदालत द्वारा संदर्भित मध्यस्थता" का परिणाम समझौता होता है और ऐसे समझौतों के खिलाफ अपील की संभावनाओं से भी बचा जाता है जो अंततः मामलों की लंबितता को कम करता है और अपीलीय अदालतों पर दबाव को भी कम करता है।[5]

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मध्यस्थता कुछ मामलों के लिए विवाद समाधान का सबसे उपयुक्त तरीका है। उदाहरण के लिए, पारिवारिक मामले मध्यस्थता द्वारा हल किए जाने के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। इसका उदाहरण 17 ऊंटों और 3 पुत्रों की कहानी से दिया जा सकता है।

---

https://www.deccanherald.com/national/mahabharata-early-attempt-at-mediation-a-tool-of-social-justice-chief-justice-n-v-ramana-1009719.html

[5] जस्टिस ए.के. सीकरी, "द सिंगापुर कन्वेंशन: ए पैराडाइम शिफ्ट फॉर मिडियेशन" इन सुधांशु बतरा, एट.एल. (eds.), *द पॉवर ऑफ़ मीडियेशन* (2020), p.18.

कहानी कुछ इस प्रकार है - एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी था जो अपने 3 बेटों के साथ एक रेगिस्तानी इलाके में रहा करता था। उसके पास 17 ऊँठ थे, जो उसकी आय का मुख्य स्रोत थे। उसने वसीयत लिखी और मर गया। उनके अंतिम संस्कार के बाद, बेटों ने वसीयत खोली, ताकि वे ऊंठों को आपस में बांट सकें। वसीयत के अनुसार, 17 ऊंठों में से आधे (1/2) बड़े बेटे को; एक तिहाई (1/3) मंझले बेटे को; और 1/9 सबसे छोटे बेटे को मिलने थे।

यह एक अजीब मामला था क्योंकि 17, 1/2, 1/3 और 1/9 से विभाज्य नहीं है। दिए गए अनुपात में ऊंठों के बंटवारे को लेकर तीनों बेटों में झगड़ा हो गया। अंत में, उन्होंने एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाने और उससे मध्यस्थता करने और मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का अनुरोध करने के बारे में सोचा।

बुद्धिमान व्यक्ति ने उनसे सभी ऊंठों को उसके पास लाने को कहा ताकि वह उनकी समस्या का समाधान कर सके। उसकी सलाह के अनुसार मृतक के तीनों पुत्र उन 17 ऊंठों को उसके पास ले गए। बुद्धिमान व्यक्ति ने उन्हें अपनी ओर से एक ऊँठ दिया और फिर उन्हें वसीयत पढ़ने और विभाजित करने के लिए कहा। अब, ऊंठों की कुल संख्या 18 हो गई थी। सबसे बड़े बेटे को 9 ऊँठ मिले (18 का 1/2); मंझले बेटे को 6 ऊँठ मिले (18 का 1/3); और सबसे छोटे बेटे को 2 ऊँठ मिले (18

का 1/9)। जब तीनों ने कुल ऊँठों को जोड़ा तो योग 17 (9+6+2) हुआ। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उनसे अपना 18वाँ ऊँठ वापिस ले लिया। इस तरह समस्या का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान निकल गया।

उपरोक्त कहानी हमें बताती है कि हर समस्या का समाधान होता है। लेकिन हर समस्या का फैसला न्यायालय से नहीं हो सकता। यदि तीनों पुत्र न्यायालय में जाते तो न्यायालय अपने आप से एक ऊँट नहीं जोड़ सकता था जैसा कि मध्यस्थ ने किया था। मध्यस्थता में जाने से न केवल उनकी समस्या का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान हुआ, बल्कि उनके बीच का बंधन भी मजबूत हुआ क्योंकि तीनों विजेता के रूप में उभरे और उनमे से किसी को भी नुक़सान नहीं हुआ। यह कहानी विवाद समाधान के तरीके के रूप में मध्यस्थता की क्षमता को दर्शाती है।

मध्यस्थता के महत्व पर जोर देते हुए प्रोफेसर माधव मेनन ने कहा था:

> "मध्यस्थता ... वास्तव में लोगों की भलाई और समुदाय की बेहतरी के लिए मानवीय संबंधों को एक उत्तरदायी और सकारात्मक तरीके से संभालना है। ... मध्यस्थता में

न तो कोई विजेता होता है और न ही कोई पराजित होता है।"[6]

दुर्भाग्य से, राजनीतिक परिस्थितियों ने हमें मध्यस्थता छोड़ने और विरोधात्मक प्रणाली अपनाने के लिए मजबूर किया। अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए हमारी मातृभूमि पर उपनिवेश स्थापित करने के बाद हमारी स्वदेशी न्याय प्रदान प्रणाली को पूरी तरह से धवस्त कर दिया। उन्होंने अपनी विरोधात्मक प्रणाली हम पर थोप दी जो हमारी परिस्थितियों के अनुकूल नहीं थी। विरोधात्मक प्रणाली का अमीरों की ओर झुकाव था, क्योंकि मुकदमेबाजी की लागत अधिक थी, प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली थी। भारत में गरीब व्यक्ति के लिए विरोधात्मक प्रणाली के तहत न्याय पाना आसान नहीं था।

विरोधात्मक प्रणाली पर खेद व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा ने कहा था:

[6] जस्टिस ए.के. सीकरी, "द सिंगापुर कन्वेंशन: ए पैराडाइम शिफ्ट फॉर मिडियेशन" इन सुधांशु बतरा, एट.एल. (eds.), *द पॉवर ऑफ़ मीडियेशन* (2020), pp. 10-32 at p. 13.

> "हमारी मूल समस्या हमारी धारणा है कि न्याय केवल जमीन के स्तर से चार फीट ऊपर बैठे सज्जन से प्रवाहित हो सकता है"।[7]

स्वतंत्र होने के बाद भी हम विरोधात्मक व्यवस्था ही चलाते रहे हैं। एक कहावत है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। यह बहुत संतोष की बात है कि विवाद समाधान की यह स्वदेशी प्रणाली जो बहुत पहले विवाद समाधान की औपचारिक प्रणाली के रूप में छोड़ दी गई थी, अब पुनः महत्व प्राप्त कर रही है और न्यायालयों द्वारा पसंद भी की जा रही है।

मध्यस्थता को अब संस्थागत रूप दिया जा रहा है और मध्यस्थता पर नया कानून देश की न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है। यदि मध्यस्थता सही भावना से की जाए तो लंबित मामलों की संख्या बहुत कम हो सकती है। कुछ मामलों, विशेष रूप से आपराधिक और संवैधानिक, को छोड़कर अधिकांश मामलों को मध्यस्थता से सुलझाया जा सकता है और पक्षकारों के बीच संबंधों को मज़बूत किया जा सकता हैं। छोटे-मोटे अपराध के मामले भी मध्यस्थता से सुलझ

[7] "जज इनवोक वेदा, लॉर्ड कृष्णा, प्रोफेट टू ले स्ट्रेस ऑन मिडियेशन" available on https://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/judges-invoke-veda-lord-krishna-prophet-to-lay-stress-on-mediation/articleshow/50510850.cms

सकते हैं। हालाँकि, इस संबंध में कुछ दिशानिर्देश बनाए जा सकते हैं।

मामलों के बढ़ते बकाया को कम करने के लिए, हमें 18वें ऊँठ का पता लगाने की आवश्यकता है; और वह केवल मध्यस्थ ही ला सकता है, न्यायालय नहीं। केवल श्रीकृष्ण ही विवादों को सुलझाने के लिए पांडवों को सिर्फ पांच गाँव देने की पेशकश कर सकते थे। न्यायालय इस तरह की पेशकश नहीं कर सकते हैं; उन्हें तो देश के कानूनों के साथ ही चलना होगा, परिणाम चाहे जो भी हों।

भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना ने भारत-सिंगापुर मध्यस्थता शिखर सम्मेलन - 2021 में "सभी के लिए मध्यस्थता: भारत में मध्यस्थता की क्षमता को महसूस करना" पर अपना व्याख्यान देते हुए एक किस्सा साझा किया। यह किस्सा वर्तमान विरोधात्मक प्रणाली में न्यायाधीशों के रवैये को दर्शाता है जो भारी संख्या में लंबित मामलों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है।

किस्सा कुछ इस तरह है - एक सुबह एक जज अपनी कॉफी पी रहे थे और अखबार पढ़ रहे थे। उनकी पोती उनके पास आई और बोली, "दादाजी, मेरी बड़ी बहन ने मेरा खिलौना छीन लिया है"। जज की तत्काल प्रतिक्रिया थी – "क्या आपके पास कोई सबूत है?"

दुखद वास्तविकता यह है कि इस औपचारिक, जटिल, समय लेने वाली और खर्चीली विरोधात्मक प्रणाली ने बहुतों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है।

यदि हम विवाद समाधान की अपनी स्वदेशी प्रणाली, विशेष रूप से मध्यस्थता को विरोधात्मक प्रणाली के साथ जारी रखते, तो लंबित मामलों की संख्या 5 करोड़ तक नहीं पहुँचती। दुर्भाग्य से, स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी, हमने अपनी स्वदेशी प्रणाली को आगे बढ़ाने के बजाय, अपने पर थोपी गई विदेशी व्यवस्था से चिपके रहना ही पसंद किया।

विरोधात्मक प्रणाली लोगों को समय पर न्याय दिलाने में बुरी तरह से विफल रही है। मामलों की दयनीय स्थिति को देखते हुए और संसाधनों की कमी के कारण बहुत से लोगों ने अन्याय होने के बावजूद भी न्याय प्रणाली से दूरी बनाई रखी। एक बार फिर हम मध्यस्थता में आशा की किरण देखते हैं, जो की पक्षों के बीच विवादों को हल करने का एक समय-परीक्षित, विश्वसनीय, समय बचाने वाला और किफायती तरीका है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, मुख्य रूप से आपराधिक और संवैधानिक मामलों को छोड़कर, लंबित मामलों को कम करने के लिए अन्य सभी मामलों में मध्यस्थता को अपनाकर लंबित मामलों की संख्या को कम किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने भी 'विरोधात्मक प्रणाली के विकल्प के रूप में मध्यस्थता' पर अपने व्याख्यान में कहा:

> "क्या विरोधात्मक मुकदमेबाजी का कोई विकल्प है? जो विकल्प सामने आने वाला है वह क्रांतिकारी होने वाला है। हमने विरोधात्मक मुकदमेबाजी के साथ काफी कुछ झेला है। विरोधात्मक मुकदमेबाजी संविधान की व्याख्या या राज्य के खिलाफ रिट याचिकाओं के लिए उपयोगी हो सकती है। लेकिन साधारण मुद्दों जैसे अनुबंध, पारिवारिक मामलों आदि के लिए यह तरीका हमारे अनुकूल नहीं है।"[8]

कुछ आपराधिक मामलों, विशेष तौर पर छोटे-मोटे अपराधों में भी मध्यस्थता को मौका दिया जा सकता है। वैवाहिक मामलों में, मानहानि के मामलों में, पारिवारिक मामलों में, पड़ोस के मामलों में और इसी तरह के अन्य मामलों में जिनमें कुछ आपराधिक तत्व हैं, मध्यस्थता का प्रयास किया जा सकता है। कारण यह है कि बहुत से आपराधिक मामले सिर्फ तर्क-वितर्क के बीच घटित हो जाते हैं। इसलिए परिवार और आस-पड़ोस के

[8] शेरिल सेबस्टियन, "वी हैव सफ़र्ड इनफ विद् एडवरसेरियल लिटिगेशन, मीडियेशन इज द अल्टरनेटिव: जस्टिस पीएस नरसिम्हा", 9 मई 2023 ऐट https://www.livelaw.in/top-stories/supreme-court-justice-ps-narasimha-no-adversarial-litigation-mediation-is-the-alternative-228338?infinitescroll=1

आपराधिक मुद्दों को न्यायालयों के बजाय मध्यस्थता से बेहतर तरीके से निपटाया जा सकता है। कभी-कभी, यह एक अहम् का मुद्दा होता है जिसे मध्यस्थता द्वारा संवेदनशीलता से निपटाया जा सकता है। यह केवल मध्यस्थ है जो पक्षों को एक साथ लाता है और तनावपूर्ण स्थिति को एक सुखद स्थिति में बदल देता है जहां दोनों पक्ष इस प्रकार हाथ मिलाते हैं जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो। अनिल ज़ेवियर लिखते हैं कि मध्यस्थता अपने विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से पुनर्स्थापनात्मक न्याय में काफी मददगार है। सुधारात्मक प्रथा के द्वारा समुदाय में अपराधी को बहाल किया जा सकता है और ऐसा करने से सभी को दूसरा मौका मिलता है। कभी-कभी अपराध के पीड़ितों को अपराधियों को दंडित किए जाने के बारे में जानने से अधिक उत्तर की और क्षमायाचना की आवश्यकता होती है।[9]

नए मामलों में मध्यस्थता को लागू करने के लिए पक्षों को उत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही लंबित मामलों में भी मध्यस्थता का उपयोग किया जाना चाहिए। अदालतों को उस पक्ष पर सख्ती से पेश आना चाहिए जो जानबूझकर मध्यस्थता की कार्यवाही को विफल करने की कोशिश करता है।

---

[9] अनिल ज़ेवियर, "मिडियेशन इज हेयर टू स्टे", *इण्डियन ईयरबुक ऑफ़ इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिसी* (2009), pp. 363-78 at p. 374, http://arbitrationindia.com/pdf/mediation_tostay.pdf पर उपलब्ध है।

जैसा कि ज्ञात है कि गीता में सभी समस्याओं का समाधान है, आइये हम वापस श्रीकृष्ण के पास जाएं और उनके द्वारा अपनाई गई विवाद समाधान की इस विधि, यानी मध्यस्थता का आह्वान करें। आज आवश्यकता है मध्यस्थता को सकारात्मक सोच और पूरे मन से अपनाने की, ताकि लंबित मामलों को शीघ्रता से निपटाया जा सके।

अध्याय 8
उपसंहार

"मुकदमे को हतोत्साहित करें। जब भी संभव हो अपने पड़ोसी को समझौता करने के लिए राजी करें ... एक शांति-निर्माता के रूप में वकील के पास एक अच्छा इंसान होने का बेहतर अवसर होता है। वहां अभी भी काफ़ी व्यापार होगा"।

अब्राहम लिंकन

8. उपसंहार

"हम मध्यस्थता के स्वर्ण युग की शुरुआत में खड़े हैं।"

न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड़
भारत के मुख्य न्यायाधीश

मध्यस्थता सभी मानव संघर्षों को हल करने के लिए विकसित की गई है जो न केवल प्रतिशोध, आक्रामकता और प्रतिकार को अस्वीकार करती है, बल्कि आपसी विश्वास और समझ के आधार पर संबंधों को भी मजबूत करती है।

परिवर्तन प्रकृति का नियम है। दुनिया का कोई भी समाज स्थिर नहीं रह सकता। किसी भी राष्ट्र में कानून प्रणाली को भी समय-समय पर समाज की बदलती जरूरतों के अनुरूप ढालना अनिवार्य होता है। मध्यस्थता में न्याय की अवधारणा, अर्थात् "कानूनी न्याय से परे निष्पक्षता" भारत में

भी संस्थागत हो रही है, जैसा कि न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी ने ठीक ही कहा हैं। यह बहुत खुशी की बात है कि मध्यस्थता को भारतीय कानूनी व्यवस्था में एक सम्मानजनक स्थान मिलने जा रहा है। एक बार फिर हमने इस महान देश की स्वदेशी कानूनी व्यवस्था के महत्व को महसूस किया है; जिसे दुर्भाग्यवश हमने विरोधात्मक प्रणाली के लिए बहुत पहले छोड़ दिया था।

मध्यस्थता विफल होने पर हमें निराश नहीं होना चाहिए। जहां दोनों पक्षों का विवाद सुलझाने का नेक इरादा है, वहां सभी संभावनाओं में सफलता मिलती है। सामान्य रूप से मध्यस्थता उन मामलों में विफल हो जाती है जहां एक पक्ष किसी कारणवश विवाद को हल करने में रुचि नहीं रखता है। कभी-कभी, दोनों पक्षों में से एक पक्ष को गलत जानकारी होती है, या वह न्यायालय में मामले की निश्चित सफलता के बारे में अति आत्मविश्वासी होता है, या उसमें बहुत अहंकार होता है, या वह मामले में देरी करने में रुचि रखता है। इन सभी परिस्थितियों में, मध्यस्थता इस कारण से विफल होती है क्योंकि किसी एक पक्ष द्वारा ईमानदारी से प्रयास नहीं किया गया था।

हमारे सामने श्रीकृष्ण का उदाहरण है जिन्होंने युद्ध को टालने के लिए कौरवों और पांडवों के बीच विवाद को सुलझाने का सबसे ईमानदार प्रयास किया था। हालाँकि,

दुर्योधन के जिद्दी स्वभाव के कारण वह विवाद को सुलझाने में असफल रहे। यह सत्य है कि श्रीकृष्ण अपने प्रयासों के परिणाम को पहले से ही अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि वे भगवान थे, फिर भी उन्होंने मध्यस्थता को अपनाया। अगर श्रीकृष्ण ने सीधे पांडवों से युद्ध की सिफारिश की होती, तो लोग उनके फैसले पर सवाल उठा सकते थे और सैकड़ों बार सोचते कि अगर किसी तीसरे पक्ष ने ईमानदारी से प्रयास किया होता तो युद्ध को टाला जा सकता था।

श्रीकृष्ण इस तथ्य को अच्छी तरह से जानते थे कि दुर्योधन सहमत नहीं होगा, फिर भी वह मध्यस्थता करने गए। इसका कारण यह था कि वह लोगों को एक मजबूत संदेश देना चाहते थे कि अंतिम क्षण तक विवादों को सुलझाने के अपने प्रयासों को कभी न छोड़ें।

राम और रावण के बीच अंगद द्वारा की गई मध्यस्थता भी विफल रही और युद्ध हुआ। आधुनिक समय में भी राम जन्मभूमि मामले में मध्यस्थता विफल रही। इन विफलताओं के बावजूद, यह स्पष्ट है कि विवाद को हल करने की हमारी स्वदेशी पद्धति, यानी मध्यस्थता पहली पसंद होनी चाहिए क्योंकि यह एक समय द्वारा जाँची परखी विधि है और विवाद की प्रकृति चाहे जो भी हो, यह पक्षों के बीच संबंधों को खराब नहीं करती है। मध्यस्थता की सफलता पक्षों की इच्छा पर आधारित है।

मध्यस्थता "अतीत को ठीक करो, वर्तमान को जियो, भविष्य के सपने देखो" के सिद्धांत पर आधारित है।[1] सभी विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से हल करने का ईमानदार प्रयास होना चाहिए क्योंकि मध्यस्थता में दोनों पक्षों को उनके बीच मजबूत संबंध के साथ साथ, उन्हें समान आधार पर रखने की अंतर्निहित विशेषताएं हैं। कुछ विवादों को छोड़कर लगभग सभी विवाद प्रथम दृष्टया मध्यस्थता द्वारा समाधान के योग्य होतें हैं, चाहे वे सरल, जटिल, तकनीकी या अन्य प्रकार के हों।

उल्लेखनीय है कि ऑनलाइन मध्यस्थता ने पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) को पूरी तरह से बदल दिया है। महामारी कोविड-19 ने हमें कई सबक सिखाए हैं और साथ ही कई अवसर भी प्रदान किए हैं। ऐसे अवसरों में से एक महामारी के समय में प्रौद्योगिकी की मदद से जीवन को वापस पटरी पर लाना था। जब पूरी दुनिया रुक गई थी, तो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ऑनलाइन मध्यस्थता ने रफ़्तार पकड़ ली थी। आज, मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवादों को हल करने के लिए विभिन्न स्थानों या विभिन्न देशों के पक्षों को यात्रा करने और एक स्थान पर मिलने की आवश्यकता

[1] जस्टिस ए.के. सीकरी, "द सिंगापुर कन्वेंशन: ए पैराडाइम शिफ्ट फॉर मिडियेशन" इन सुधांशु बतरा, एट.एल. (eds.), *द पॉवर ऑफ़ मीडियेशन* (2020), p. 13.

नहीं है। अब ऑनलाइन मध्यस्थता होती है जहां मध्यस्थ और विवाद के पक्षकार अपने स्थान से ऑनलाइन जुड़ते हैं। जिस आसानी से ऑनलाइन मध्यस्थता होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भविष्य में यह विवाद समाधान के अन्य तरीकों के मुक़ाबले में एक ज़्यादा पसंदीदा विकल्प बनेगा।

हालाँकि, ऑनलाइन मध्यस्थता के संबंध में कुछ चिंताएँ भी हैं। इनमें से मुख्य हैं - शारीरिक भाषा की कमी, जो मध्यस्थता करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है; तकनीकी गड़बड़ियाँ जिनके कारण अनुचित संचार हो सकता है; गोपनीयता की कमी, आदि। जोएल ईसेन कहते हैं कि "मध्यस्थता के चलन को ऑनलाइन वातावरण में आसानी से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है क्योंकि साइबर स्पेस भौतिक दुनिया की दर्पण छवि नहीं है"।[2] ऑनलाइन मध्यस्थता के बारें में यह भी कहा जाता है कि इसमे सबसे महत्वपूर्ण "मानवीय स्पर्श" गायब रहता है जो पक्षों को समझौते की ओर प्रेरित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, आंखों की थकान भी चिंता का विषय है।[3]

---

[2] जोएल ईसेन उद्धृत इन जे.पी. सिंघ, "इम्पावरिंग सस्टेनेबल नेगोशिएशनस इन द न्यू वर्ल्ड ऑफ़ मीडियेशन" इन सुधांशु बतरा, एट.एल. (eds.), *द पॉवर ऑफ़ मीडियेशन* (2020), p. 92.

[3] अलॉयसियस गोह, "न्यू कोंसीडरेशंस फॉर इफेक्टिव वर्चुअल मिडियेशन" इन सुधांशु बतरा, एट.एल. (eds.), *द पॉवर ऑफ़ मीडियेशन* (2020), pp. 128-35.

यह सच है कि ऑनलाइन मध्यस्थता की अपनी सीमाएँ हैं, फिर भी, यह विशेष रूप से उन मामलों में बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है जहाँ पक्षकार और मध्यस्थ भिन्न-भिन्न देशों से हों। निर्बाध इंटरनेट के साथ अच्छा बुनियादी ढांचा होना महत्वपूर्ण है। कुछ खामियों के बावजूद भविष्य में ऑनलाइन मध्यस्थता कायम रहने वाली है। अलॉयसियस गोह यह भी सुझाव देते हैं कि कैसे पक्षकारों के लिए इसे बोझिल बनाए बिना और गोपनीयता और अन्य मुद्दों के संबंध में उन्हें पूर्ण विश्वास में लेकर ऑनलाइन मोड में मध्यस्थता का संचालन किया जाना चाहिए।[4] मध्यस्थता अधिनियम, 2023 में भारत में ऑनलाइन मध्यस्थता का भी प्रावधान किया गया है।

यदि विवादों को सुलझाने के लिए पक्षों द्वारा सकारात्मक मानसिकता के साथ मध्यस्थता का आह्वान किया जाता है तो मध्यस्थता निश्चित रूप से न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन ला सकती है। अधिवक्ताओं से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे सहयोग करें और लोगों को गलत जानकारी देने के बजाय मध्यस्थता के लिए जाने के लिए प्रोत्साहित करें।

[4] *Ibid.*

लैला ओलापल्ली का कहना है कि ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर जैसे कुछ क्षेत्राधिकारों में मध्यस्थता अच्छा काम कर रही है। वह आगे कहती हैं कि कैलिफोर्निया विशेष रूप से मध्यस्थता में बहुत अच्छा कर रहा है। "न्यायालयों और निजी कार्यक्षेत्रों दोनों में, सक्रिय न्यायाधीशों और अच्छी मध्यस्थता सेवाओं की उपलब्धता" के कारण वहाँ निजी मध्यस्थता अच्छा कार्य कर रही है।[5]

यदि भारत की स्वदेशी न्याय प्रणाली अन्य क्षेत्राधिकारों में बहुत अच्छा कर सकती है तो यह उस देश में सफल क्यों नहीं हो सकती जहां स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने मानवता को सिखाने के लिए इसका आह्वान किया था।

उल्लेखनीय है कि मध्यस्थता को सफल बनाने के लिए इसकी शुरुआत विधि विद्यालयों से होनी चाहिए। मध्यस्थता न केवल विधि विद्यालयों में पढ़ाया जाना चाहिए बल्कि "मध्यस्थता क्लिनिक" खोलकर वहां अभ्यास भी कराया जाना चाहिए। मध्यस्थता क्लिनिक स्वतंत्र हो सकता है या कानूनी सहायता क्लिनिक का हिस्सा बन सकता है। एक बार मध्यस्थता विधेयक पारित हो जाये, उसके बाद प्रमाणित मध्यस्थों को इन क्लिनिकों में जाना चाहिए और

[5] लैला ओलापल्ली, "प्राइवेट मिडियेशन: पीसमेकिंग ऐज़ ए प्रोफेशन" इन सुधांशु बतरा, एट.एल. (eds.), *द पॉवर ऑफ़ मीडियेशन* (2020), p. 99.

समुदाय के लोगों द्वारा उनके पास लाए गए वास्तविक मामलों को सुलझाना चाहिए। छात्र और शिक्षक पक्षकारों की पूर्व सहमति से मध्यस्थता की कार्यवाही का हिस्सा हो सकते हैं। विधि विद्यालयों में मध्यस्थता और अनुरूपित मध्यस्थता कार्यवाही पर जागरूकता कार्यक्रम होने चाहिए। छात्रों के मन में मध्यस्थता के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जाना चाहिए ताकि वे अधिवक्ता बनने के बाद पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए प्रेरित कर सकें, भले ही उनके मामलों में मध्यस्थता अनिवार्य न हो। भारत में लंबित मामलों की समस्या के बारे में कानून के छात्रों को संवेदनशील बनाना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान स्थिति के अनुसार, बकाया मामलों को समाप्त होने में कई सौ वर्ष लग सकते हैं, क्योंकि आज दर्ज किया गया मामला कल लंबित हो जाता है। मध्यस्थता को सही ढंग से अपनाने से भविष्य की तस्वीर बदल सकती है।

अध्याय 7 में पहले से चर्चा की गई 17 उंठों और 3 बेटों की कहानी से संकेत लेते हुए, कोई भी आसानी से यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि किसी भी विवाद को हल करने के लिए किसी भी मध्यस्थ के पास 18वां ऊंठ हो सकता है, चाहे वह विवाद कितना भी जटिल क्यों न हो। ऐसा होना किसी ऐसे विवाद में संभव नहीं है जिसे न्यायालय में भेजा गया हो, क्योंकि न तो न्यायाधीश और न ही न्यायालय के पास 18वां ऊंठ है। इसलिए, 18वां ऊंठ जो केवल एक मध्यस्थ के पास

मिल सकता है, देश की न्याय प्रणाली को नया जीवन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

निजी मध्यस्थता का देश में बहुत अच्छा भविष्य है जहां लगभग 5 करोड़ मामले लंबित हैं। जागरूकता कार्यक्रमों, प्रशिक्षित मध्यस्थों, अच्छे पारिस्थितिकी तंत्र और अन्य बातों के साथ सकारात्मक मानसिकता की अत्यधिक आवश्यकता है। एक बार, मध्यस्थता विवाद समाधान पद्धति के रूप में पनपती है, तो न्याय प्रदान प्रणाली का दृष्टिकोण "कौन सही है और कौन गलत है" से बदलकर "क्या सही है" पर केंद्रित हो सकता है। जैसा कि पहले ही कहा गया है, मध्यस्थता की कार्यवाही भागीदारी प्रक्रिया पर आधारित होती है जिसमें दोनों पक्ष मध्यस्थ की सहायता से समाधान तक पहुँचने का प्रयास करते हैं।

कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा किए जा सकने वाले विभिन्न प्रयासों के अलावा, मध्यस्थता अदालत में दायर मामलों की संख्या को कम करने के साथ-साथ देश में लंबित मामलों की संख्या को भी कम करने में बहुत मददगार साबित हो सकती है। यदि प्रति दिन निपटाए जाने वाले मामलों की संख्या प्रतिदिन दायर किए गए मामलों की संख्या से अधिक होगी, तो इससे लंबित मामलों की बढ़ती संख्या पर विराम लगेगा।

इसप्रकार, मध्यस्थता मामलों की लंबितता को कम करने के लिए दो तरीकों से काम करेगी। सबसे पहले, यह न्यायालयों में दायर किए जाने से पहले या प्री-लिटिगेशन चरण में मामलों को हल करेगी। दूसरे, यह पुराने लंबित मामलों को हल करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर मध्यस्थता की विश्वसनीयता को बहाल करना है जिसमें विवादों के पक्षकार स्वयं न्यायालयों में जाने के बजाय मध्यस्थता पसंद करें। हालाँकि, हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि मध्यस्थता विवाचन कार्यवाही जैसी महंगी न हो और मध्यस्थ सभी प्रकार से मध्यस्थता की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए नैतिकता का पालन करें।

23 अक्टूबर 2016 को "भारत में विवाचन और प्रवर्तन को मजबूत करने की दिशा में राष्ट्रीय पहल" में समापन भाषण में भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि:

> "हमें विवाचन, मध्यस्थता और सुलह सहित वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की आवश्यकता है। इससे निवेशकों और कारोबारियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह

भारतीय न्यायालों पर मुक़दमों के भार को भी कम करेगा।"[6]

एक वैकल्पिक विवाद समाधान तरीक़े के रूप में मध्यस्थता पर जोर देते हुए उन्होंने आगे कहा कि "हमें न्यायपालिका और विवाचन तंत्र के प्रयासों को परिपूर्ण करने के तरीकों और साधनों पर विचार करना चाहिए। मध्यस्थता एक ऐसा तरीक़ा है, जिसकी क्षमता का देश में अधिक उपयोग नहीं किया गया है।"[7]

मध्यस्थता को सफल बनाने में अधिवक्ताओं की भूमिका काफी अहम होती है। अधिवक्ताओं को मुकदमेबाजी के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय अपने पक्षों को मध्यस्थता के लिए जाने की सलाह देनी चाहिए। अमन हिंगोरानी लिखते हैं कि मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान, अधिवक्ता को गौण भूमिका अपनानी चाहिए, जब तक कि शक्ति असंतुलन के कारण हस्तक्षेप करने या गतिरोध को रोकने या पक्षों के बीच सीधी बातचीत में कानूनी सहायता देने की आवश्यकता महसूस न हो। यदि किसी विवाद में

---

[6] प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का व्याख्यान at https://www.narendramodi.in/valedictory-speech-by-prime-minister-at-national-initiative-towards-strengthening-arbitration-and-enforcement-in-india-532838

[7] *Ibid.*

मध्यस्थता की कार्यवाही विफल हो जाती है, तो अधिवक्ता से अपने मुवक्किल को विवाद सुलझाने के अन्य वैकल्पिक तरीकों के बारे में मार्गदर्शन करने की अपेक्षा की जाती है। हालाँकि, जहाँ मध्यस्थता की कार्यवाही सफल होती है वहाँ अधिवक्ता से निपटान समझौते की शर्तों को तैयार करने और प्रारूपित करने में सक्रिय होने की उम्मीद की जाती है। अधिवक्ता को निपटान समझौते को एक गैर-मूल्यांकन, संतुलित और सकारात्मक भाषा में, दोष मूल्यांकन से मुक्त लिखित रूप में तैयार करना चाहिए। निपटान समझौते को कानूनी शब्दजाल से बचाते हुए सरलतम तरीके से तैयार किया जाना चाहिए, ताकि दोनों पक्ष इसे ठीक से समझ सकें।[8]

संक्षेप में, हमे लोगों को इसके बारे में जागरूक करके और उनका विश्वास जीतकर मध्यस्थता को पूरे दिल से एक मौका देना चाहिए। मध्यस्थता को सफल बनाने के लिए इसकी विश्वसनीयता सुनिश्चित करना अनिवार्य है। इस समय यह तीनों अंगों, अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का वास्तविक धर्म है।

[8] अमन हिंगोरानी, "मिडियेशन एडवोकेसी – रेसपॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ़ ए लॉय्यर इन मिडियेशन" इन इ-मीडियेशन राइटिंग्स, *मीडियेशन कम्पेंडियम* (2021), pp. 187-91, at pp. 190-91.

भगवान श्रीकृष्ण भी गीता में कहते हैं:

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन |[9]

(तुम्हारा अधिकार नियत कर्मों को करने में ही है, उसके फलों में नहीं।)

जब हम किसी उत्कृष्ट कार्य के लिए पूरी ईमानदारी, सत्यानिष्ठा और दृढ़ विश्वास के साथ काम करते हैं, तो हमें सफलता प्राप्त होती हैं। यही ईश्वरीय विधान है। लोगों को प्रभावी न्याय दिलाने के लिए मध्यस्थता को सफल बनाना ही हमारा प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए।

भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड़ ने कहा कि सरकार को, जो कि सबसे बड़ी वादी है, "एक दोस्त, साथी और एक समस्या समाधानकर्ता का चोला धारण करना चाहिए, चाहे वह व्यापार, समुदायों या परिवारों के संदर्भ में हो"।[10]

---

[9] *श्रीमद् भागवत गीता,* अध्याय 2, श्लोक 47.

[10] अवस्तिका दास, "मीडियेट, डॉन'ट लिटिगेट: सीजेआई डीवाई चन्द्रचूड़'स मैसेज टू यूनियन गवर्नमेंट टू 'डिकलॉग' कोर्ट्स", 15 अप्रैल, 2023 ऐट https://www.livelaw.in/top-stories/chief-justice-of-india-cji-dy-chandrachud-mediate-do-not-litigate-226382

अध्याय के अन्त में न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ को उद्धृत करना उचित होगा:

> "मध्यस्थता अदालतों से मुक़दमों का बोझ कम करने के लिए एक आंदोलन से कहीं अधिक है।"[11]

[11] अधिक जानकारी के लिए देखें "सीजेआई चन्द्रचूड़ बैट्स फॉर मीडियेशन ऐज़ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर इंडीविडुअल्स, गवर्नमेंट", 14 अप्रैल 2023 ऐट http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/99501254.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

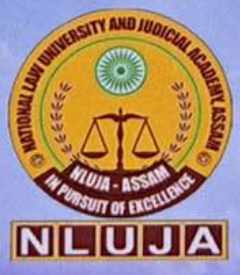

NATIONAL LAW UNIVERSITY AND JUDICIAL ACADEMY ASSAM
NLUJA - ASSAM
IN PURSUIT OF EXCELLENCE
NLUJA

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और न्यायिक अकादमी
हाजो रोड, आमिनगाँव, कामरूप
गुवाहाटी - 781031
असम

ISBN 978-8195427673-3
9 788195 427673